खण्ड-263, अंक-4
सोमवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(21 फरवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी०-दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी

जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दामदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलत लाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहिरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेतीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री

भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नलाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजोलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
वकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरीफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनलाल सक्सेना श्री,
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्दमजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्री राम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यबीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खाँ, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, तथा शिक्षा उप-मंत्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ फरवरी, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अनामाली कमेटी की रिपोर्ट

**१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या वित्त मंत्री अनामली कमेटी की रिपोर्ट, जो पे रेशनलाइजेशन रिपोर्ट के अन्तर्गत बनाई गई है, सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं । लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय लिये गये हैं उनकी सूचना सदन को दे दी जायगी ।

**२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी सुविधायें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को दी गई हैं तथा कब से ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तक नगर-प्रतिकर भत्ता, ऊंचे स्थानों पर रहने सम्बन्धी भत्ता तथा यात्रा एवं दैनिक भत्ता सम्बन्धी सुविधायें देने के आदेश जारी किये गये हैं । ये सुविधायें १ अगस्त, १९६५ से दी गई हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह अनामली कमेटी की रिपोर्ट है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २८ जनवरी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि वह दो तीन रोज के अन्दर सदन की मेज पर रख दी जायगी उसमें क्या दिक्कत है और कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने में ?

श्री जयराम वर्मा—

कैबिनेट की सब-कमेटी की रिपोर्ट पर काफी फैसला हो गया, थोड़ा सा फैसला बाकी है। वह बहुत जल्दी ही हो जायगा। पूरे साल के लिये इस रिपोर्ट को लागू करने में करीब १५ करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह जो अनामली कमेटी की रिपोर्ट है उस पर निर्णय की सूचना कर्मचारियों को कब तक दी जायगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब जल्दी हो जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—

यह फैसला जल्दी हो जायगा। जैसे फैसला होगा, जो निर्णय होंगे माननीय सदन को बता दिये जायंगे और यह हमारा पूरा प्रयास है कि इसी वित्तीय वर्ष में जितना बकाया वेतन है, दे दिया जाय।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक जो भी निर्णय हो चुके हैं अन्तिम रूप से, क्या उनके सम्बन्ध में शासकीय आदेश जारी हो गये हैं या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

भत्ते के बारे में आदेश जारी हो गये। वेतन के सम्बन्ध में जब पूरा फैसला हो जायगा तब आदेश जारी होंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उस बड़ी रिपोर्ट का पार्ट जब इस कमेटी की रिपोर्ट बन जायगी तो सदन को विवाद का अवसर मिलेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो कैबिनेट की सब-कमेटी है। इसकी रिपोर्ट कभी नहीं रखी जाती। जो फैसला होगा बता दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री कोई निश्चित तारीख जब यह रिपोर्ट पेश होगी, बताने की कृपा करेंगे ? अगर नहीं, तो निश्चित तारीख बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह स्पष्ट नहीं हुआ कि रिपोर्ट पेश की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट पेश की जायगी और की जायगी तो कब तक ?

श्री जयराम वर्मा—

उसका हिन्दी अनुवाद करके छपवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

क्या अन्दाजा है ? कब तक हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

निश्चित कहना मुश्किल है लेकिन जल्दी होने वाली है।

श्री रामचन्द्र विकल—

निश्चित तारीख बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि असमर्थ हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

तो आप सामर्थ्य दें थोड़ी सी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९६६ तक यदि यह रुपया ड्रा नहीं होगा तो उसके लैप्स हो जाने का भय है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो हमारा प्रयास है कि सारा बकाया वेतन दे दिया जाय, ३१ मार्च, १९६६ तक। किन्तु गजटेड एम्प्लाइज की पे ड्रा करने के लिये ए० जी० के पास से पे-स्लिप वगैरह आती है, यदि पे-स्लिप वहां से इन-टाइम न आ सकी, तो हो सकता है उनको रुपया इस साल न मिल पाये और छोटे कर्मचारियों को नये और पुराने वेतन क्रमों में से एक आप्शन करना है, यदि उन्होंने अपने आप्शन करने में देर की, तो हो सकता है कि उनको भी इस साल न मिल सके।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ निर्णय अभी लेने बाकी हैं, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से विभाग हैं, जिनके सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हो सके हैं ? यह क्या कोई टेक्निकल विभाग हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो किसी विभाग की बात नहीं है, कुछ मामले हैं जो जरूर बाकी रह गये हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट सब-कमेटी विचार कर रही है उसने जब पे के सम्बन्ध में सिफारिश की तब से काफी अन्तर हो गया ह, कास्ट आफ लिविंग बढ़ गया है। इसको देखते हुये केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। जिसके लिये यहां के राजकीय कर्मचारी भी जोरदार मांग कर रहे है, मांग सप्ताह मना रहे हैं, डिमांस्ट्रेशन आदि कर रहे हैं। इसको देखते हुये क्या सरकार भी केन्द्रीय सरकार के अनुरूप और बढ़ी हुई कास्ट आफ लिविंग के अनुसार राजकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधायें बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो श्रीमन्, मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारा अपना यह निर्णय ह कि जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ायेगी, तो हम अपने फण्ड को देखते हुये उस पर

[श्री जयराम वर्मा]

विचार करेंगे। किन्तु अब केन्द्रीय सरकार भी सशंक रही है कि महंगाई भत्ता बढ़ाना महंगाई रोकने का कोई हल नहीं है। इस बार तो उन्होंने अपने कमिटमेंट के अनुसार दे दिया है, लेकिन आगे से वह कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई पर अधिक भत्ता न देकर कुछ इस तरह से उनकी मदद की जाये कि उनको फायदा पहुंचे और आगे महंगाई न बढ़े तथा उनका महंगाई भत्ता बार-बार न बढ़ाना पड़े। महंगाई भत्ता से महंगाई रुकती नहीं है वह बराबर बढ़ती जाती है और फिर महंगाई बढ़ाना पड़ता है, इस तरह से महंगाई और महंगाई भत्ता का चक्र बराबर चलता रहने वाला है, वह रूकने वाला नहीं है। कर्मचारियों का तो बढ़ा दिया जाये, लेकिन उनके अतिरिक्त भी तो एक बड़ा भारी समाज है, जिसकी तकलीफ को देखते हुये अब उनका और आगे महंगाई भत्ता बढ़ाना उचित नहीं समझा जाता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

मार्च, १९६६ में ए० जी० के सामने रेगुलर बिल्स भी होंगे और यह नये बिल्स पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होंगे, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी करने की व्यवस्था कररही है जिससे लोगों को ३१ मार्च तक भुगतान सब बिलों का हो जाय ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो हमारा प्रयास है ही।

श्री अध्यक्ष—

असल सवाल यह है कि देर सरकार की तरफ से हो रही है तो कर्मचारियों को हानि न हो, क्या यह उपाय सरकार के विचाराधीन है। यही प्रश्न है न आपका, त्रिपाठी जी ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जी हां।]

श्री जयराम वर्मा—

इसमें हानि का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि नये वेतन और नया महंगाई भत्ता जो दरें १ अप्रैल, १९६५ या जिस दिन से कर्मचारी आप्ट करेंगे उस दिन से लागू हो ही जायंगी।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अभी मंत्री जी ने कहा था कि सरकार सोच रही है कि ऐसा उपाय हो कि महंगाई भत्ता न दिया जाय जिससे महंगाई न बढ़े बल्कि और कोई उपाय किये जावें। तो वह ऐसी कौन-कौन सी विधियां सोच रही है जिससे उसको महंगाई भत्ता भी न बढ़ाना पड़े और कर्मचारियों की समस्या भी हल हो जाय ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तक तो एक सुझाव यही है कि फेयर प्राइस शाप्स खोली जायं जिससे उनको जिन्दगी के लिये जरूरी सामान मुनासिब दाम पर मिल जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अभी मंत्री जी ने कहा कि जिस दिन से वे आप्ट करें उस दिन से नये वेतनक्रम लागू होंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको आप्ट करने की सुविधा ३१ मार्च से कितने दिन पूर्व मिलेगी, यह सूचना उनको कितने दिन पहले मिल जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो अब सरकारी कर्मचारियों पर है जो जल्दी से लेना चाहें।

श्री अध्यक्ष—

प्राप्ट करने का जो उनका अधिकार है उसके लिये सूचना क्या उन्हें दे दी गयी है और अगर अब तक नहीं दी गयी है। तो वह ३१ मार्च से कितने दिन पहले दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो सूचना उनको है ही।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कुछ सुविधायें दे दी गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कब से लागू की गई हैं और कब उनका नोटीफिकेशन हुआ है और जो सुविधायें मिलने वाली हैं और जिनके बारे में निश्चय हो चुका है वे कब तक नोटीफाइ हो जायेंगी ?

श्री जयराम वर्मा—

नगर प्रतिकर भत्ता तथा ऊंचे स्थान पर रहने संबंधी भत्ता जी० ओ० १६ अक्तूबर, १९६५ को इशू कर दिये गये हैं, यात्री एवं दैनिक भत्ता संबंधी आदेश १५ अक्तूबर, १९६५ को इशू कर दिये गये हैं। ये १ अगस्त, १९६५ से लागू होंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मुख्य मंत्री जी के उस बयान की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि १ हफ्ते के अन्दर सारे जी० ओ० निकाल दिये जावेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने के लिये जी० ओ० निकल गये हैं और कितने के बाकी हैं ? क्या वे इसी महीने में निकल जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

ये वेतन संबंधी आदेश अभी नहीं निकले हैं लेकिन वे इसी महीने में निकल जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो जी० ओ० उन्होंने निकाला था उसके अन्तर्गत कुछ कर्मचारी और चपरासी सचिवालय में ऐसे हैं जिनको लाभ के बजाय हानि होगी ? मैंने इस संबंध में एक पत्र भी माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि विचार हो रहा है और उनको हानि नहीं होने पावेगी। तो इस बीच में जिनको हानि हो रही है और लाभ नहीं मिल रहा है उनकी क्षति की पूर्ति कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

इसमें हानि का कोई प्रश्न नहीं है। नये वेतन १ अप्रैल, १९६५ से शुरू होंगे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि महंगाई भत्ता बढ़ने से महंगाई बढ़ने की आशंका है यह माननीय मंत्री जी की व्यक्तिगत राय है या सरकार द्वारा कोई इस तरह का सर्वे कराया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

यहां पर विशेषज्ञों की एक सी राय है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे से महंगाई भत्ता न बढ़ाकर महंगाई रोकने के लिये राशन की दूकानों पर सस्ता गल्ला देकर सरकार इसको रोकना चाहती है या कोई दूसरे कदम भी उठाये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तक और कदम तो नहीं उठाये गये हैं लेकिन उसके संबंध में जितने भी कदम जरूरी होंगे, उठाये जाने का विचार है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका कर्मचारी, बिन्दकी की छटनी

*१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले की नगरपालिका, बिन्दकी ने स्थायित्व प्राप्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा संगृहीत की जाने वाली तहबाजारी को नीलामी करने और पालिका में कार्य का अभाव दर्शाकर विभागीय कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने के एक प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त, इलाहाबाद मंडल द्वारा प्राप्त की है ? यदि हां, तो आयुक्त ने कब, क्या तथा किस प्रकार की स्वीकृति प्रदान की ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*२—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार तहबाजारी विभाग में कार्यरत स्थायित्व प्राप्त २५ से भी अधिक विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की उम्र, आर्थिक समस्याओं और सेवाओं को देखते हुये उनके हितों की रक्षा हेतु अनुचित तथा अनियमित कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध नगरपालिका, बिन्दकी को आदेश देगी कि कर्मचारियों की सेवायें न समाप्त की जायें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि प्रस्तुत मामला अभी आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के विचाराधीन है अतः सरकार द्वारा अलग से इस संबंध में फिलहाल किसी आदेश देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

शाहजहांपुर जिले में प्लान्ट प्रोटेक्शन

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के तहसील तिलहर में चूहों ने बड़ा नुकसान रबी फसल को किया है विशेषकर परगना खेड़ा बझेड़ा में ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त इस विषय में आवश्यक आदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग को देंगे ?

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जी हां । उचित आदेश जारी हो चुके हैं।

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि प्लान्ट प्रोटेक्शन वाले जो चूहे मारने की दवाई देते हैं वह नाकामयाब है, अतः तुरन्त गैस द्वारा चूहों के बिलों में मारने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं। इस संबंध में सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

*५--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६६ तक शाहजहांपुर में रबी की फसल में प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग ने कितने गांवों में गैस का इस्तेमाल किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

५९ गांवों में ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि प्लान्ट प्रोटेक्शन योजना जिले के स्तर पर नाकाफी है तो उसको ब्लाक लेविल पर करने के प्रश्न पर वह विचार करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह प्लान्ट प्रोटेक्शन की स्कीम शाहजहांपुर में लागू है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्लान्ट प्रोटेक्शन की योजना में जिले में ४ आदमी रखे गये हैं और १,२०० गांव हैं, उनके लिये सम्भव नहीं है कि वह सब जगह जा सकें। तो ब्लाक लेविल पर सब ब्लाकों में इसको वे लागू करने पर विचार करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

साधारण तौर पर यह आशा की जाती है कि ब्लाक स्तर पर जो कृषि के जानकार लोग हैं वह भी इस काम में मदद करेंगे। यह भी सोचा जा रहा है कि प्लान्ट प्रोटेक्शन के काम की सीमा कुछ सीमित है तो उसकी शक्ति को कुछ बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मंत्री जी को जानकारी है कि इस प्रदेश में जिला शाहजहांपुर में ही यह बीमारी नहीं है बल्कि प्रदेश में अन्य जिले भी ऐसे हैं कि जहां पर यह बीमारी है ? तो उनको जानकारी करने की कोशिश की गई है कि प्रदेश में अन्य जिलों में जहां पर इस बीमारी से बहुत नुकसान हो रहा है वहां पर विकास विभाग या किसी अन्य विभाग के द्वारा इन्तजाम किया जाय ?

श्री गेंदासिंह—

यहां से सूचना मिली है और जहां कहीं से भी सूचना मिलती है मंगाने की कोशिश की जाती है और की गई है। जो कुछ भी किया जा सकता है करने की चेष्टा की गई है ।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि हमारे प्रदेश और देश में चूहों के कारण करोड़ों रुपये का अन्न नष्ट हो जाता है, सरकार बड़े पैमाने पर चूहों को मारने की योजना चालू करेगी जिससे फसल का नुकसान से बचाया जा सकें और भारत सरकार से सिफारिश करेगी कि मलेरिया या चेचक उन्मूलन योजना की तरह चूहा उन्मूलन योजना बनाने पर वह विचार करे ?

श्री गेंदासिंह—

चूहों द्वारा नुकसान को देखते हुए इस बात की तरफ पूरा-पूरा ध्यान है कि उससे बचाव के उपाय किये जांय और जैसा कि माननीय ऊदल जी ने कहा, बड़े-बड़े वैज्ञानिकों से और भारत सरकार से भी इस संबंध में विचार किया जा रहा है कि कौन से कदम उठाये जायं कि जिनसे प्रभावकारी ढंग से चूहों से फसल को बचाया जा सके।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि चूहों के बिलों में जो गैस भरी जाती है उसके लिय उचित होगा कि वह मई और जून के महीनों में भरी जाय ?

श्री गेंदासिंह—

इस का ध्यान रखा जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

क्या मैं यह जानकारी कर सकता हूं कि वह कौन से नेससेरी और सालिड स्टेप्स हैं कि जो गवर्नमेंट इस दिशा में ले रही है ?

श्री गेंदासिंह—

समुचित उत्तर मैं दे नहीं पाऊंगा इसलिये कि मैं सवाल समझ नहीं पाता।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछते हैं कि समुचित कार्यवाही क्या की जा रही है ? उसे आप बतला दीजिये।

श्री गेंदासिंह—

यह प्रश्न शाहजहांपुर के लिये था और माननीय चन्द्रसिंह जी का सवाल बहुत आम था। मेरा उत्तर भी उस के लिये आम था। अगर वह निश्चित उत्तर चाहते हैं तो कृपा कर वह हम को पत्र लिख दें या सवाल कर दें, मैं उन की सेवा में उत्तर भेज दूंगा।

श्री रामायण राय—

जो प्लान्ट्स की बीमारियां आती हैं वे आमतौर पर एपेडेमिक फार्म में आती हैं और उनको देखते हुए आप का स्टाफ बहुत नाकाफी है। इसके साथ ही बंबई और मध्य प्रदेश में ऐसे अवसरों पर एरियल स्प्रेयिंग द्वारा पौधों को बचाने की व्यवस्था की जाती है। तो इस पौध संरक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये इस क्षेत्र में लगे हुए स्टाफ की संख्या बढ़ाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

मैं माननीय सदन का बड़ा आभारी हूं कि कृषि रक्षा के संबंध में उस का इतना गहरा ध्यान है और अगर सदन कुछ अधिक धन दे सकेगा तो अवश्य ही इसका प्रबन्ध किया जायगा।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी प्लांट प्रोटेक्शन की अहमियत को देखते हुए और स्टाफ को नाकाफी समझते हुए इस बात का विचार कर रहे हैं कि इलाकों में ऐसे कैम्प खोले जायं जहां किसानों को प्लान्ट प्रोटेक्शन की शिक्षा दी जा सके ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां, यह सोचा जा रहा है और इस संबंध में लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

शाहजहांपुर जिले में जो प्लान्ट प्रोटेक्शन के संबंध में सरकार ने व्यवस्था की है उसकी जानकारी ग्राम काश्तकार को नहीं है, तो क्या मंत्री जी जिलाधीश को आदेश देंगे कि वह एक पैम्फलेट छपवाकर ग्राम सभाओं में बंटवा दें जिससे कृषक ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें?

श्री गेंदासिंह—

जिलाधीश के बजाय मैं माननीय सदस्यों को भेजने वाला हूं और उनसे कहने वाला हूं कि उसकी अपने क्षेत्र में जानकारी अधिक से अधिक करायें।

श्री शिवराजसिंह—

क्या संपूर्ण रूप से किन्हीं क्षेत्रों में मास स्केल पर चूहा इरेडिकेशन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

आप इंग्लिश अधिक बोलते हैं, महाराज। इनका मतलब है कि व्यापक रूप से कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे चूहों का मूलोच्छेदन किन्हीं क्षेत्रों में किया जा सके, या पूर्ण उन्मूलन किया जा सके ?

श्री गेंदासिंह—

संपूर्ण रूप से चूहा मारने का अभियान चलाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जहां तक भी चूहे कम किये जा सकें उसके लिये जरूर सोचा जाता है।

श्री वी० पी० विश्वकर्मा, आलू विकास अधिकारी, रामपुर के विरुद्ध शिकायतें

*६—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी० पी० विश्वकर्मा, आलू विकास अधिकारी, रामपुर ने २० मार्च से ३१ मार्च, सन् १९६५ तक जाली और फर्जी रसीद कर्मचारियों से बनवा कर खर्च दिखा दिया गया है ? क्या वास्तव में यह धन गबन कर लिया गया है, इसके विरुद्ध पर्याप्त शिकायत आई है ? शिकायत किसने की है और सरकार इन शिकायतों पर किस परिणाम पर पहुंची ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्री वी० पी० विश्वकर्ता, आलू विकास अधिकारी, रामपुर के विरुद्ध सर्वश्री मुहम्मद अनवर, अनवर हुसैन, अर्जुन सिंह, जमन सिंह तथा दीवान सिंह के नाम से शिकायतें प्राप्त हुई। सर्वश्री जमन सिंह तथा दीवान सिंह की शिकायतों की जांच के पश्चात् ज्ञात हुआ कि उन्होंने कोई शिकायत ही नहीं की थी। बाकी तीनों शिकायतों के बारे में अभी तक शासन का कृषि निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

*७—श्री जसरामसिंह—

क्या इसी सिलसिले में श्री शिवकुमार अग्रवाल, हेडक्लर्क, आलू विकास कार्यालय, रामपुर भेद खोलने के सन्देह में ११ वर्ष की नौकरी बिना किसी चार्ज लगाये एक माह का अग्रिम वेतन की नोटिस देकर उपनिदेशक, आलू द्वारा कैम्प में तुरन्त समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं। श्री शिवकुमार अग्रवाल, जिन्होंने विभाग में लगभग ६ वर्ष अस्थायी रूप से काम किया था, की सेवाएं उनका कार्य सन्तोषप्रद न होने के कारण नियमानुसार समाप्त की गयीं।

*८—श्री जसरामसिंह—

क्या आलू विकास अधिकारी, रामपुर को १ वैगन सीमेन्ट अप्रैल, १९६५ में, ४ वैगन सीमेंट जून, १९६५ में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस सीमेंट का प्रयोग कहां किया गया जब कि ३१ मार्च तक सब रुपया व्यय हो चुका था?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। आलू विकास अधिकारी, रामपुर को कुल ४ वैगन १ अप्रैल, १९६५ में तथा ३ जून, १९६५ में, सीमेन्ट मिला। निर्माण कार्य मार्च, १९६५ तक पूरा करना था। अतः ठेकेदारों ने स्वयं सीमेन्ट का प्रबन्ध कर के कार्य पूरा किया। बाद में जब आलू विकास अधिकारी को सीमेन्ट मिला तो उन्होंने ठेकेदारों को जितना सीमेन्ट उन्होंने स्वयं लगाया था, उतना लौटा दिया उक्त ४ वैगन में से २७० बोरा सीमेन्ट शेष रहा जो स्टोर में रखा है।

श्री जसरामसिंह—

दो लाख रुपये के गबन के मामले की शिकायतें मंत्री जी को अधिकारियों को आयीं और इंद्रनारायण टंडन और वी० पी० विश्वकर्मा के खिलाफ शिकायतें की गयीं कि २० मार्च से ३१ मार्च तक २ लाख रुपये का खर्चा कर दिया और वही शिकायतें जो सरकार को की गयीं वह उन्हीं अधिकारियों के पास भेज की गयीं कि इसकी जांच करके हमको बताया जाय, क्या यह बात सही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो शिकायतें आयी थीं उनका तो मैंने उत्तर में जिक्र कर दिया और दो ने तो कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की। वहां पर जो हमारे एकाउंट्स आफिसर हैं वे इन एकाउंट्स की जांच करने के लिये मौके पर गये और उन्होंने जांच की और उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि कोई एम्बैजिलमेंट नहीं हुआ है, बल्कि छोटी-छोटी अनियमितताएं हुई हैं जिनमें सुधार हो सकता है। यह कहना गलत है कि वहां पर २ लाख का गबन हुआ है या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे पास सब खर्चे का ब्योरा है, और माननीय सदस्य अगर उसे जानना चाहेंगे तो वह बताया जा सकता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

जो शिकायतें थीं वे लिखित थीं और उसके ऊपर किसी के हस्ताक्षर भी होंगे। तो जिन लोगों ने गलत शिकायतें की। क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

श्री गेंदासिंह—

उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

शिकायती पत्र में जो शिकायतें की गयी थीं उनकी जांच हुई या नहीं? और दूसरा प्रश्न यह है कि ठेकेदारों को जब सीमेंट दिया नहीं गया तो उन्होंने उसको कहां से लगाया, उनके पास कोई फैक्टरी उसकी थी क्या? कहां से सीमेंट आया उनके पास?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि दो शिकायत करने वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—

जो शिकायतें थीं उनकी जांच की गयी या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जांच तो अभी जारी है। सीमेंट के बारे में यह निवेदन करना है कि ठेकेदारों के पास बहुत सारे और काम भी चलते रहते हैं, दूसरे कामों का उनके पास सीमेंट होगा, उससे उन्होंने लगा दिया होगा। (व्यवधान) उन्होंने दूसरे कामों का सीमेंट यहां लगा दिया और जब यहां से सीमेंट उनको मिला तो उन्होंने उसको वापस कर दिया या दूसरे कामों में लगा लिया।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

जिस लिपिक की सेवायें समाप्त की गयी हैं और यह कहा गया है कि उसका कार्य संतोषप्रद नहीं था, तो क्या कभी उसके पहले भी उसका कार्य असंतोषप्रद पाया गया या इसी केस में ऐसा पाया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इनको ५ नवम्बर, १९६५ से कार्य पर नियुक्त किया गया। समय-समय पर इनके खिलाफ शिकायतें आईं कि ये रिश्वत के लिये कहते हैं। उनका अच्छा व्यवहार अपने अधिकारियों के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ नहीं था। इसलिये.....

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या असन्तोषजनक कार्य के बारे में इन्हें किसी तरह की लिखित या जुबानी वार्निंग टर्मिनेशन से पहिले दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, वे तो समय-समय पर दी गईं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना और सूचित करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ने विचार करने के बाद दया करके उन्हें पुनर्नियुक्ति कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

पहिले ही कह देते कि पुनर्नियुक्त हो चुकी है।

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि टर्मीनेशन आर्डर्स से सिर्फ एक दिन पहिले उनको वार्निंग दी गई, और कोई शिकायत उनके खिलाफ रिकार्ड पर नहीं है, पिछले छः साल की सर्विस में.....

श्री अध्यक्ष—

अब तो वे कहते हैं कि उनको निकाला नहीं गया।

श्री वीरसेन—

उनके बारे में अक्सर शिकायतें होती रही हैं....

श्री अध्यक्ष—

यह आप ठीक कहते हैं लेकिन अब तो उन सब बातों की सफाई हो चुकी है।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायतें थीं और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ये तो आलू विकास अधिकारी, आगरा के कार्यालय में काम करते थे। उनको शिकायत थी, उनको मातहत से शिकायत थी। अब सब चीजों को देखकर तय किया गया कि उनको इतनी बड़ी सजायें न दी जायं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरा मतलब यह नहीं है। ये जो पांच शिकायतें आईं जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था, उनके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आईं और किस अधिकारी ने इन शिकायतों की जांच की या कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

आलू विकास अधिकारी के खिलाफ यह शिकायतें थीं और हमारे निदेशक, कृषि विभाग इस संबंध में छानबीन कर रहे हैं।

श्री ऊदल—

यह शिकायत निदेशक के खिलाफ भी है.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जिन ठेकेदारों के नाम से और कामों से सीमेन्ट निकाल लिया था तो वे काम भी सरकारी थे। वे ३१ मार्च तक होने थे। वे कौन से काम थे ?

श्री गेंदासिंह—

इसकी सूचना नहीं है कि वे कहां से सीमन्ट लाये। हो सकता है कि वह अन्य जगह से सीमेन्ट लाये हों। जब उन पर तकाजा हुआ कि काम जल्दी होना चाहिये तो उन्होंने सीमेन्ट का अन्यत्र से बन्दोबस्त किया और काम पूरा किया। यह बात सही है कि सीमेन्ट को उन्होंने कहीं से लिया। इसकी छानबीन हमारे विभाग ने नहीं की।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री वीरसेन—

माननीय कृषि मंत्री ने बताया है पहली शिकायत पर कि काम पूरा नहीं हुआ है और कमी अदायगी की गई है। तो पहली शिकायत कब मिली और फिर यह जानने के लिये कि वाकई काम कम्पलीट हुआ है और फर्जी पेमेन्ट किया गया है, सरकार ने क्या किया ?

श्री गेंदासिंह—

मैं इस संबंध में यह बात कहना चाहता हूं कि मुझे इस जांच के अलावा जो हमारे विभाग के जरिये हो रही है, दूसरे जरियों से भी कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं। जिसमें मैं समझता हूं कि उसकी जांच करानी चाहिये और विशेष तौर पर करानी चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी जांच विशेष तौर से कराई जायेगी और उन बातों को ध्यान में रखकर जांच कराई जावेगी जिन बातों की ओर आपने शिकायतें कीं।

श्री असराम सिंह—

श्रीमन्, २० मार्च से ३१ मार्च तक दो लाख रुपया खर्च किया गया। जाली और फर्जी वाउचर दाखिल किये गये। दो लाख रुपये से इमारत तैयार नहीं हुई और वह तैयार नहीं हो

गई। तो मेरा यह निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने जाली और फर्जी वाउचर बनाकर दो लाख रुपये पेमेन्ट किये हैं, क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों को मुअत्तल कर जांच करायेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

अवश्य जांच की जायेगी। मुअत्तल करने का जहां तक सवाल है जब तक यह प्राईमा-फेसी न मालूम हो कि उनमें बर्खास्त करने का केस बनता है या नहीं, तब तक मुअत्तल करने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन जांच की जावेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न

गोरखपुर तथा अन्य जिलों में मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था

*१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री खाद्य विभाग के पत्र संख्या लखनऊ, दिनांक ७ फरवरी, १९६३ की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे तथा बतायेंगे कि मिट्टी के तेल का वितरण इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में चालू है या नहीं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

पत्र की प्रति संलग्न है। वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से इस पत्र के अनुसार होना संभव नहीं था क्योंकि यह लगभग तीन साल पुराना है। इसलिये परिस्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण अब इस संबंध में नये आदेश जारी कर दिये गये हैं जिनकी एक-एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०२–४०५ पर)

*२—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिल में मिट्टी के तेल के वितरण की उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कितना मिट्टी का तेल १ सितम्बर, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक कुल कितना आया तथा कितना थोक विक्रेताओं के रिटेलर्स द्वारा तथा कितना डी० एस० ओ० के लाइसेन्सी द्वारा वितरण किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना निम्नलिखित है :

कुल तेल जो आया	..	२०,२८,१२६ ली०
थोक विक्रेताओं के रिटेल लाइसेन्स द्वारा वितरण	..	२,०५,२९६ लि०
डी० एस० ओ० के लाइसेन्सी द्वारा वितरण	..	१५,७६,३६८ लि०

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था कि डी० एस० ओ० द्वारा नियत जो लाइसेन्सीज हैं उनके द्वारा जो वितरण व्यवस्था की जावेगी उसमें करीब ७५ या २५ परसेन्ट का डिफरेन्स होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह जो वितरण व्यवस्था की है उसमें क्या रेश्यो है और क्या प्रोपोर्शन है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यह पहिली दफा जो सन् ६३ में कन्ट्रोल या कैरोसीन आयल पर उस वक्त इस वक्त से पोजी-शन अच्छी थी। इसलिये उस वक्त २० परसेन्ट के करीब रिटेलर के थ्रू जो उनके एजेन्ट्स होते हैं उनको वितरण करने की इजाजत दे दी गई थी। फिर उसके बाद पोजीशन अच्छी हो गई

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

तो बीस परसेन्ट की इजाजत दे दी गई। अब इस वक्त रिटेलर्स तो नहीं हैं जो सन् ६३ में थे देहातों और शहरों में भी, मगर इस वक्त तेल की पोजीशन और ज्यादा खराब थी। इसलिए उन्होंने गोरखपुर जिले में विशेष तौर पर इन माहों में बीस परसेन्ट वितरण कराया और उसके बाद जब खराब हालत हुई तो उन्होंने १४ जून, १९६५ तक बीस परसेन्ट बढ़वाया और १५ जून से ३० सितम्बर तक १५ परसेन्ट और १ अक्तूबर, १९६५ से अब तक २० प्रतिशत बढ़वा रहे हैं। इससे पहिले में और इसमें अन्तर इतना और कर दिया गया है कि उस वक्त किस मात्रा में दें यह निर्धारित नहीं किया गया था। अब चूंकि कमी थी इसलिये शहरी क्षेत्रों में जहां बिजली हो, वहां आधा लिटर और देहातों में दो लिटर देने के आदेश दिये गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इस सम्बन्ध वितरण व्यवस्था इस प्रकार से हो गई है कि डी०एस० ओ० के लाइसेंसी की तरह जो आम लाइसेंसी पहले थे वे सब लोग लाइसेंस नहीं पाये हैं बल्कि कुछ कम लोग पाये हैं और नये तरीके से कंज्यूमर सोसाइटी को लाइसेंस दिया गया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

एक तो एजेन्ट्स होलसेलर के होते हैं। पहले से ही कम्पनी के एजेन्ट्स होते थे और हमारे लाइसेंसी भी हैं। रिटेल में डी० एस० ओज० ने, मुमकिन है कि, कोआपरेटिव को दे दिया हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

सन् ६३ में व्यवस्था थी और जैसे लाइसेंसी डी० एस० ओ० द्वारा मुकर्रर किये गये थे क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उनमें भी ७५ फीसदी कम कर दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुमकिन है कि तेल कम होने के कारण रिटेलर कम कर दिये गये हों।

श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील मंझनपुर में रिटेलर की दूकान पर १ रुपये बोलत तेल बिक रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

नहीं। रसीद पर ग्राम प्रधान के दस्तखत होने चाहिये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

जहां बिजली नहीं है वहां २ लीटर देने के सरकार ने आदेश कब भेजे और उन पर अमल हो रहा है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

३१-१२-६५ को आदेश भेजे। अगर कहीं उनके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो आप बतलावें, हम जांच कराके मुनासिब कार्यवाही करेंगे।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)---

रूस का तेल एसो और बरमा शैल कंम्पनियों ने बेचने से मना कर दिया तो उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह केन्द्र का विषय है।

श्री बल्वन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

ट्रैक्टरों के लिये सरकार ने मिट्टी के तेल की क्या व्यवस्था की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने पहले ही आदेश दे दिये थे कि कृषि संबंधी मामलों में प्राथमिकता दी जाय।

श्री ए० सी० ग्राइस (आंग्ल भारतीय)—

कानपुर में जितना चाहें मिट्टी का तेल मिलता है, क्या इसकी इनक्वायरी करावेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आप स्थानीय फूड एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, वहां के डी० एम० को लिखकर दें तो जरूर कार्यवाही होगी।

श्री बल्वन्तसिंह—

क्या सभी ट्रैक्टर्स को जितना चाहें तेल मिल सकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर में कृषि के लिये ५८,३२२ लीटर तेल दिया गया।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

मथुरा में आज भी ३०,००० टीन एजेन्ट्स के पास हैं, तो क्या सरकार मुख्तलिफ जिलों के लिये मुख्तलिफ आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अलग-अलग नियम तो नहीं हो सकते। माननीय सदस्य वहां की दिक्कत डी० एम० और खाद्य सलाहकार समिति की नोटिस में लावें।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री ऐसे आदेश देंगे कि हर पंचायती अदालत केन्द्र में कम से कम २ दूकानें हो जावें जिससे किसानों को दूर न जाना पड़े ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर किसी जिले में नहीं मिल रही है तो बतावें। हम उनकी कठिनाई को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थोक विक्रेताओं के रिटेलर किस भांति तेल का वितरण करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर का मैं बता सकता हूं कि वहां जिलाधीश के आदेश से परमिट बन जाता है। थोक विक्रेताओं के एजेन्ट एक ही तेल की दूकान रख सकते हैं और वह भी जहां एजेन्सी है उससे अलग। पहले उनको १० परसेंट था, फिर २० हुआ और अब १० और २० परसेंट के बीच में है।

श्री ऊदल---

माननीय मंत्री जी के ऐजेन्टों द्वारा केवल २०-२५ प्रतिशत तेल का वितरण होता है और बाकी तेल कंपनियों को छोड़ दिया जाता है। क्या माननीय मंत्रीजी इसकी जांच कराकर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पूरा तेल मंत्रीजी के लाइसेंसीज के द्वारा ही वितरित हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं गोरखपुर के बारे में निजी तौर पर बता रहा हूं। उनके भी जितने एजेन्ट और रिटेलर हैं उनके द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिट से ही तेल मिलता है। ६३ में जितना भी वे देते हों लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कम समझता है तो और भी अधिक कन्ट्रोल कर सकता है।

श्री शिवराजसिंह---

प्रदेश में पावरकट की कमी होने के कारण ट्रैक्टर अब मिट्टी के तेल से ही चलाये जाते हैं तो क्या माननीय मंत्रीजी ऐसे ट्रैक्टरों के लिये माहवारी कोटा बांधने की कृपा करेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यहां से कोटा बांधना उचित नहीं है। इसके बारे में आप जिला अधिकारियों और फूड ऐडवाइजरी कमेटी से करायें।

श्री माथूराम शिक्षक---

क्या माननीय मंत्रीजी नगरों की भांति गांवों में भी मिट्टी के तेल के लिये कार्ड व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

गांवों में कार्ड व्यवस्था संभव नहीं है और उचित भी नहीं है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---

जो दूकानदार गांव के प्रधानों के दस्तखत पर लोगों को तेल नहीं देते, क्या माननीय मंत्री जी उनकी दूकानों को कैंसिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जो आज्ञा नहीं मानेगा, उसको जरूर सजा दी जायगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मिट्टी के तेल में बंगलिंग रोकने के लिये क्या माननीय मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो कंपनी के लाइसेंसी हैं उनको गवर्नमेंट का लाइसेंस न दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

ऐसा होना इसलिये संभव नहीं है कि सारे गल्ले के दूकानदार हमारे लाइसेंसी हैं, वे अपने एजेन्ट मुकर्रर कर देते हैं, हम उनको लाइसेंस इसलिये दे देते हैं ताकि वे हमें रिटर्न दे सकें।

तरबगंज तहसील में बाग काटने के परमिट

*३---श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज के ग्राम खजुरिया, कुरी, कटरा तथा काशीपुर ग्रामों में हरे बनों को कटवाने के लिये किस-किस बाग के मालिक को जमींदारी उन्मूलन के बाद अपने बाग कटवाने के लिये सरकार द्वारा परमिट दिया गया ?

वन मंत्री (श्री चरण सिंह)---

ऐसा कोई परमिट सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।

नोट---तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सहकारी बैंक, बांदा में खाद विषयक प्रस्ताव

*४--श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद के अनिवार्य रूप से दिये जाने के विरोध में सन् १९६४ के कोआपरेटिव बैंक, बांदा के वार्षिकोत्सव में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त विरोध में प्रस्ताव पास होने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गेंदासिंह--

जी हां। सहकारी ऋण लेने के लिये किसी सदस्य को खाद लेना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई सदस्य बिलकुल खाद न लेना चाहे तो उसे छूट है कि वह खाद न लेकर शेष ऋण नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। इस परिस्थिति में बांदा बैंक द्वारा पारित प्रस्ताव पर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्कता नहीं समझी गयी।

गो-सदन

*५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गोसदनों में प्रति पशु दैनिक चारा व्यय क्या है ? कितनी संख्या पर कितने व्यक्ति पशुओं के सेवार्थ किस वेतन पर रखे जाते हैं तथा प्रतिवर्ष उन पशुओं के गोबर आदि की खाद तथा मृत पशुओं से कितनी आय होती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

राजकीय गोसदनों में अधिकतर पशु चराई पर निर्भर रहते हैं और जो पशु चरने जाने में असमर्थ होते हैं उन्हें काट कर चारा खिलाया जाता है। ऐसे पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध करने अथवा चारा कटवा कर रखने में राजकीय गोसदन, बरवर खोरी, तथा राजकीय गोसदन, रानीपुर, बांदा में क्रमशः पिछले तीन वर्षों में २५० रुपये तथा १,७१९ रुपये व्यय हुआ।

निजी तथा जिला गोसदनों में भी पशुओं के चरने के लिये भूमि उपलब्ध है। सरकार द्वारा इन गोसदनों को १८ रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से पशुओं के रख रखाव के मद में सहायता देने की व्यवस्था है। यह सहायता तृतीय पंचवर्षीय परियोजना के अन्तर्गत इमलिया, जिला जालौन में स्थापित एक निजी गोसदन चर्मालय सहित को ३६ रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

राजकीय गोसदनों पर पशुओं को चराने तथा रख रखाव के लिये लगभग २५ से ५० पशुओं पर एक व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। निजी तथा जिला गोसदनों में निजी गोसदनों के प्राधिकारीगण तथा जिला गोसदन समिति गोसदन की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं।

पिछले तीन वर्षों में राजकीय, निजी तथा जिला गोसदनों में पशुओं के गोबर आदि की खाद तथा मृत पशुगों से हुई आय इस प्रकार है :

	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
	रु०	रु०	रु०
राजकीय गोसदन ..	२३,७९४.६१	५,४२९.६९	२,७८०.६६
निजी गोसदन ..	९,४७०.०५	९,१७९.३७	१०,५८५.७५
जिला गोसदन ..	१३,६१४.०६	१४,९१६.८१	१०,०९७.१६

स्याना क्षेत्र में गन्ना

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश में मुक्त क्षेत्र (फ्री एरिया) के गन्ना उत्पादकों को वही सुविधायें देने के लिये, जो कि सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को सरकार की ओर से प्राप्त हैं, आवश्यक धन को उपलब्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

सरकार द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में कोई विशेष सुविधा ऐसी नहीं दी जाती है जो मुक्त क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को न दी जाती हो ।

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में मुक्त क्षेत्र (फ्री एरिया) का हजारों एकड़ का गन्ना सितम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६ तक सूखा रोग के कारण सूख गया ?

श्री गेंदासिंह—

इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

लखनऊ में किसान सम्मेलन तथा कृषि मेला

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में प्रमुख किसानों की ८ जनवरी की बैठक में प्रदेश के किन-किन जिलों के व्यक्ति सम्मिलित हुए थे और इस आयोजन एवं सम्पादन में सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री गेंदासिंह—

इस बैठक में प्रदेश के ३६ जिलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । जिलों का नाम संलग्न सूची में दिया गया है ।

इस संबंध में अब तक ९,०६०.८० रु० व्यय हो चुका है और लगभग २,००० रु० का व्यय का भुगतान होना बाकी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत कृषक समाज के तत्वावधान में लखनऊ में २४ जनवरी से २३ फरवरी, १९६६ तक कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसमें सरकार का कितना और क्या हिस्सा है ?

श्री गेंदा सिंह—

जी हां । सरकार द्वारा इस मेले में भाग लेने के लिये १५,००० रु० का व्यय स्वीकृत किया गया है।

[२१ फरवरी, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सामान्य निर्वाचन स्थानीय निकाय, मथुरा में प्राइवेट गाड़ियों का किराया

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय सामान्य निर्वाचन स्थानीय निकाय १९६४ में मथुरा जिले में कितने प्राइवेट वाहन ट्रक तथा जीपें काम में लायी गयीं उनके क्या नम्बर थे तथा कितना रुपया सरकार ने उनको किराये का दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तृतीय सामान्य निर्वाचन स्थानीय निकाय १९६४ में मथुरा में ६ प्राइवेट गाड़ियां काम में लाई गई थीं। उनके नम्बर क्रमशः यू०एस० ओ० ११३३, यू०एस० ओ० १३२९, यू०एस० ओ० ११९८, यू०एस० ओ० १०४८, यू०पी० आर० ८६५० तथा यू०पी० ए० ७१६० है। सरकार ने ७४९ रुपये ७२ पै० इन गाड़ियों का किराया दिया है। ४३ रु० ६० पै० का भुगतान होना बाकी है।

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी को पता है कि एक ट्रक का फर्जी बिल बना कर रुपया निकाल लिया गया और उस गाड़ी ने यू० पी० आर० ८६५० इन दिनों बाहर काम किया, वह चुनाव में आयी भी नहीं इस प्रकार की दरख्वास्त कोई मालिक की है ? यदि हां, तो सरकार इस गबन पर क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*५–७—श्री विजय सिंह—

[६ठे बुधवार के प्रश्न सं० १३–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

८–१०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा ड्रेनेज योजना

*११—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा नगरपालिका में ड्रेनेज (नाली) योजना सरकार की ओर से स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है ? क्या ड्रेनेज योजना का सर्वे (survey) हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

बांदा नगर की ड्रेनेज योजना का सर्वेक्षण का काफी कार्य समाप्त किया जा चुका है शुद्ध शेष सर्वेक्षण कार्य तथा योजना के अनुमान बनाने का कार्य अभी जारी है।

*१२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजना का निर्माण कार्य कब से किया जायगा ? अभी तक योजना को कार्यान्वित न करने की क्या वजह है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त योजना के निर्माण-कार्य का प्रश्न तभी उठेगा जबकि योजना का डिटेल्ड प्रोजक्ट तैयार हो जाय तथा भारत सरकार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु टेक्निकल स्वीकृति प्रदान करे ।

गोरखपुर जिले में पेय जल योजना

*१३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के गगहा और बरहलगंज ब्लाक में ग्रामीण पेय जल योजना के अन्दर कौन-कौन से गांव लिये गये हैं ? और इनमें कब तक काम शुरू हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बड़हलगंज ब्लाक के ग्रामों का सर्वेक्षण हो रहा है । गगहा ब्लाक के ग्रामों में सर्वेक्षण कराने के लिये मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मांगा गया है । उसके आने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा । इन ब्लाकों में सर्वेक्षण हो जाने पर ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि किन ग्रामों में पेय जल योजनायें कार्यान्वित की जायं ।

यह प्रश्न अभी नहीं उठता ।

फल संरक्षण

*१४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद इत्यादि फलों को सुरक्षित करने के उद्योग की क्या स्कीम है ?

श्री गेंदा सिंह—

राज्य द्वारा स्थापित की गई फल संरक्षण फैक्टरियों तथा सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में सभी प्रकार के फलों व सब्जियों जिसमें आम व अमरूद भी सम्मिलित है, के संरक्षण का कार्य किया जाता है ।

*१५—श्री मतोला सिंह (जिला बांदा)—

[६ ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में वृक्ष रोपण

*१६—श्री भीखालाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में प्रति तहसील कितनी भूमि जमींदारी विनाश के बाद वन विभाग को प्राप्त हुई और उसमें से प्रति तहसील कितनी भूमि पर जंगल लगाया जा चुका है और बाकी भूमि पर कब तक जंगल लग जायेगा ?

श्री चरण सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

*१७—श्री भीखालाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की नीति इस संबंध में क्या है कि कितने एकड़ का इकजाई ब्लाक हो तो जंगल लगाया जायगा और इस नीति के आधार पर उन्नाव जिले में कितने एकड़ भूमि जंगल लगाने के योग्य हैं और वह किन-किन गांवों में हैं ?

श्री चरण सिंह—

जंगल लगाने के लिये एक स्थान पर कम से कम ५० से लेकर १०० एकड़ तक क्षेत्र होना चाहिये और यह भूमि की स्थिति पर निर्भर करता है। साधारणतया १०० एकड़ तथा उससे अधिक के ही क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु लिये जाते हैं परन्तु यदि किसी वन से मिला हुआ या उसके बिलकुल पास कोई छोटा टुकड़ा भी हो तो उसमें भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिला उन्नाव में अभी वन बन्दोबस्त कार्य पूरा नहीं हुआ है। वन बन्दोबस्त कार्य पूरा होने पर यह निश्चय किया जायेगा कि उन्नाव जिले में किन-किन गांवों में कितने एकड़ भूमि जंगल लगाने के योग्य होगी।

*१८—श्री भीखालाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की वन लगाने की नीति के अनुसार उन्नाव जिले का जिस जमीन पर जंगल लगाना संभव नहीं है क्या सरकार उसको ग्राम सभाओं को वापस करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—

चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में वन क्षेत्र में या तो घास और चारे वाले वृक्ष अथवा इंधन वाले वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। और यह प्रस्ताव भूमि की उपयुक्तता तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त जब तक वन बन्दोबस्त का कार्य पूरा नहीं होता यह कहना संभव नहीं है कि जिला उन्नाव में कितने एकड़ भूमि वृक्षारोपण करने के लिये अलाभकर है और वह किन-किन गांवों में है।

वीर्य संग्रह केंद्र अधिकारी का वेतन

*१९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग के अधीन काम करने वाले किन-किन सीमेन बैंक आफिसरों के वेतन फिक्सेशन के मामले कब-कब से सरकार के सामने विचाराधीन हैं?

श्री गेंदासिंह—

पशु पालन विभाग के केवल एक प्रभारी अधिकारी बीर्य संग्रह केंद्र (Officer-Incharge, Semen Collection Station) श्री जे०पी० शर्मा, जो इस पद पर १४-९-१९६५ से कार्य कर रहे हैं, का वेतन उक्त तिथि से निर्धारित नहीं हुआ है।

*२०—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उक्त मामलों के संबंध में अब तक अंतिम निर्णय न लेने का क्या कारण है तथा कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री गेंदासिंह—

श्री जे० पी० शर्मा की सेवा पुस्तिका (Service Book) में अराजपत्रित सेवा-काल की प्रविष्टियां अपूर्ण होने के कारण, महालेखाकार ने प्रभारी अधिकारी के पद पर इनका वेतन अभी निर्धारित नहीं किया है। निदेशक पशुपालन से श्री शर्मा की सेवा पुस्तिका पूरी करके महालेखाकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने को कहा गया है। लगभग दो माह में श्री शर्मा का वेतन निर्धारित हो जाने की आशा है।

जिला बुलन्दशहर में आटे का वितरण

*२१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों पर अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६५ में कितनी-कितनी बोरी आटा किन-किन दूकानों पर दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*२२---श्री हिम्मतसिंह---

क्या यह सच है कि मेसर्स बाबूराम देवेंद्र प्रकाश की दूकान के सौ-सौ बोरी के १४ दिसम्बर, १९६५ को, जिनके परमिट नम्बर, क्रमशः १०२७ व १०२८ हैं, काटे गये और मेसर्स बाबूराम देवेंद्र प्रकाश ने उन परमिट वालों को आटा अपनी दूकान से देने से इंकार कर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां, ये परमिट १४-१२-६५ को काटे गये थे, तथा मेसर्स बाबूराम देवेंद्र प्रकाश ने हिदायत के पश्चात् परमिट वालों को आटा परमिट के अनुसार १७-२-६५ को दे दिया था ।

*२३---श्री हिम्मतसिंह---

उक्त दूकान के मेसर्स बाबूराम देवेंद्र प्रकाश के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

आटा देने के पश्चात् किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही ।

*२४---श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२५---श्री राजेंद्रसिंह---

[४थे बुधवार के लिये प्र० सं० ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में जी० सी० शीट्स

*२६---श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मई, जून, १९६५ के महीनों में जिला फतेहपुर में जी०सी० शीट्स का कितना स्टाक था तथा जिला पूर्ति कार्यालय में सैकड़ों प्रार्थना-पत्र होने के बावजूद भी उनका वितरण क्यों नहीं किया गया?

श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी---

फतेहपुर जिले में मई व जून, १९६५ के महीनों में क्रमशः ४८ व ६६ टन जी०सी० शीट्स स्टाक में उपलब्ध थीं । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है यह कहना सही नहीं है कि उक्त स्टाक का वितरण सैकड़ों प्रार्थना-पत्र होने के बावजूद भी नहीं किया गया।

कृषि फार्म तथा अन्न उत्पादन

*२७---श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १३७२ फसली में कितनी एकड़ भूमि प्रदेश में सरकारी फार्मों के अन्तर्गत थी और उससे सरकार को कितने धन का लाभ अथवा हानि हुई और फसली सन् १३७३ में उनसे कितना लाभ होने का बजट अथवा लक्ष्य निर्धारित है ?

श्री गेंदासिंह---

सन् १३७२ फसली में सरकारी फार्मों के अन्तर्गत १८,४२२ एकड़ भूमि थी । लाभ हानि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । राजकीय कृषि फार्मों पर लाभ होने का बजट अथवा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता ।

*२८—श्री कृष्णानन्द राय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्षों में कितना अन्न उत्पादन प्रदेश में हुआ है ?

श्री गेंदासिंह—

प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित अन्न उत्पादन हुआ है:—

वर्ष	अन्न उत्पादन (लाख टन में)
१९६१–६२	.. १३८.३९
१९६२–६३	.. १३२.८३
१९६३–६४	.. ११६.०९
१९६४–६५	.. १५०.३८
१९६५–६९	.. खरीफ में लगभग ४८.६२ लाख टन अन्न उत्पादन की आशा है। रबी के आंकड़ों के उपलब्ध होने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

*२९—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

रेण्ट कन्ट्रोल अधिनियम

*३०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि रेंट कंट्रोल अधिनियम सभी मकानों पर लागू हो जाय अर्थात् यह व्यवस्था कि एक निश्चित तिथि के पूर्व बने हुए मकानों पर ही उक्त अधिनियम लागू होगा यह बंधन समाप्त हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उत्तर देना सार्वजनिक हित में न होगा।

महाराजगंज तहसील में शकर व मिट्टी के तेल के कोटेदार

*३१—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील महाराजगंज में कुल कितने कोटेदार शक्कर तथा मिट्टी के तेल के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील महाराजगंज में शकर एवं मिट्टी के तेल के कोटेदारों की संख्या निम्नलिखित है :--

शकर कोटेदार	४४,
मिट्टी के तेल के कोटेदार	२९५।

मत्स्य पालन

*३२—श्री कल्पनासिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा कुल कितना रुपया जलाशयों पर व्यय किया जा रहा है और अब तक उसे गत ५ वर्षों में कुल कितना लाभ हुआ है ?

श्री गेंदासिंह—

मत्स्य विभाग द्वारा तालाबों पर अब तक १९६१–६२ से लेकर दिसम्बर, १९६५ तक १८.३५८ लाख रुपया व्यय किया गया है और १३.२४८ लाख रुपये की आय हुई है।

ओरियन्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई पर कृषि विभाग का बकाया

*३३—श्री कल्पनारायसिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बम्बई की किसी फर्म पर कृषि विभाग का कुछ रुपया १९५४ से बकाया है और यह बकाया डी०डी० टी० खरीदने के रूप में पड़ी ? यदि हां, तो यह खरीद कब और किस फर्म से हुई और उससे १९५४ के बाद कितनी खरीदारी की गई और उसे कितना रुपया दिया गया तथा अभी तक जो सरकार को फर्म से रुपया पाना था वह मिला या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। रुपया १०५७८·०३ पैसा १९५४ से बाकी है। यह खरीद सर्वश्री ओरियन्ट इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई से १९५३–५४ में की गयी थी। १९६४ के पश्चात् उक्त फर्म से कोई भी खरीदारी नहीं की गयी।

चकिया तहसील में वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जा

*३४—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सहरसताल की आराजी में १० में २ बीघा श्री काशीकोल व २ बीघा रामजन कोल, तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी की सीरदारी है और लगान भी सरकार को देते हैं उसमें वन विभाग ने जबरदस्ती नर्सरी लगा दी है, यदि हां? तो ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, वन विभाग ने जबरदस्ती नर्सरी नहीं लगाई है। वस्तुस्थिति यह है कि सर्वश्री काशी और रामजतन (रामजन नहीं) ने ही वन भूमि पर नाजायज कब्जा किया था। वन बन्दोबस्त अधिकारी, वाराणसी ने इनका क्लेम अस्वीकृत करके उक्त भूमि को सुरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत वैधानिक रूप से कर दिया है।

माल विभाग अपने कागजात ठीक करने व इन व्यक्तियों से लगान न लेने की कार्यवाही कर रहा है।

*३५—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव मझगोई, तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के श्री धनुषधारी की जमीन ३।। बीघा जो गांव लोहसनियां में है उसे वन विभाग ने जबरदस्ती अपने प्लांटेशन में घेर लिया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, वन विभाग ने श्री धनुषधारी की जमीन जबरदस्ती नहीं घेरी है, वरन् उन्होंने ही ग्राम लोह-सनिया में ३ बीघा १० बिस्वा वन भूमि पर नाजायज कब्जा किया था। वन बन्दोबस्त अधिकारी ने इनका क्लेम अस्वीकृत कर दिया था और यह भूमि सुरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत वैधानिक रूप से कर ली गई है।

*३६—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव बिजैपुर बिजौरा, तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी की भूमि नं० १ में ७।। बीघा मनबोध व काशी का नं० १ में ७।। बीघा है उसको वन विभाग ने पत्थर गाड़ कर रोक दिया है जिसकी लगान भी देता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह—

सर्वश्री मनबोध और काशी प्रत्येक ने ग्राम बिजैपुर बिजौरा के खसरा नं० १ में ७ बीघा १० बिस्वा वन भूमि पर नाजायज कब्जा किया था। वन बन्दोबस्त अधिकारी ने इनका क्लेम अस्वीकृत करने के बाद उपरोक्त भूमि को सुरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार विभाग की कार्यवाही वैधानिक है।

माल विभाग अपने कागजात ठीक करने व इनसे लगान न लेने की कार्यवाही कर रहा है।

*३७—श्री विजयसिंह—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३८—श्री विजयसिंह—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ में नाले पर पुल निर्माण

*३९—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

क्या लखनऊ शहर से नहरनुमा नाला जो मारटिन पुरवा तथा जियामऊ होकर गोमती नदी में गिरता है उस पर बनने वाले पुल के बारे में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (क) पुल कब से बन रहा है, (ख) कब तक बनकर तैयार हो जायगा, (ग) आजकल निर्माण-कार्य रुके होने का कारण क्या है, (घ) निर्माण-कार्य कब तक पुनः प्रारम्भ हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) यह पुल १९५२–५३ में बनना प्रारम्भ हुआ था।

(ख) यह अभी नहीं कहा जा सकता।

(ग) धन की कमी।

(घ) अभी यह निश्चित नहीं है।

अलीगढ़ जिले में भूमि सुधार

*४०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ जिले में कितने एकड़ भूमि सिंचित और कृषि योग्य है और कितने एकड़ भूमि ऊसर और वीरान पड़ी हुई है ? सरकार चतुर्थ योजना में इस भूमि में से कितनी भूमि कृषि योग्य बनाये जाने के लिये ले रही है ?

श्री गेंदासिंह—

	एकड़
१—सिंचित और कृषि योग्य भूमि	५,८६,९५०
२—ऊसर तथा वीरान भूमि	१,०१,१६८

चतुर्थ योजना में ३५०० एकड़ ऊसर भूमि को सुधारने का आयोजन किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा नगरपालिकाध्यक्ष व ओवरसियर, श्री वेदप्रकाश के विरुद्ध शिकायतें

१—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा नगरपालिका के ओवरसियर (द्वितीय) श्री वेद प्रकाश की योग्यता क्या है ? क्या यह सही है कि वह ओवरसियर क्वालीफाइड नहीं हैं और उसके प्रति पालिका सदस्यों में भारी असन्तोष है ? यदि हां, तो उक्त अनक्वालीफाइड ओवरसियर को उक्त पद पर कार्य करते कितना समय हो गया ? और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री वेद प्रकाश ने हाई स्कूल परीक्षा सन् १९४८ में पास की । हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ में ओवरसियर क्लास में दो साल सन् १९४८ तक पढ़े । तदुपरान्त उन्होंने ब्रिटिश इंडिया टेक्नीकल कालेज, अजमेर से ओवरसियर डिप्लोमा सन् १९५५ में प्राप्त किया । वे क्वालीफाइड ओवरसियर नहीं हैं । उनके प्रति मथुरा नगरपालिका के सदस्यों में असंतोष नहीं है । वे दिनांक २४ जुलाई, १९५८ से उक्त पालिका में ओवरसियर पद पर विधिवत् नियुक्ति की शासकीय स्वीकृति के अनुकूल कार्य कर रहे हैं ।

२—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा नगरपालिका के एक सदस्य श्री रामजी लाल शर्मा ने आयुक्त, आगरा मंडल को पालिकाध्यक्ष एवं सदस्यों के विरुद्ध चुंगी कर अदा न करने विषयक एक शिकायत भेजी थी ? यदि हां, तो वह शिकायत किस किस के विरुद्ध थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । श्री रमन लाल अग्रवाल, वर्तमान अध्यक्ष एवं श्री सत्यपाल अग्रवाल, भूतपूर्व सदस्य, नगरपालिका, मथुरा के विरुद्ध शिकायत थी । इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट मथुरा से जांच कराई जा रही है ।

ईश्वर भवन, हरिहरगंज, फतेहपुर का एलाटमेंट

३—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, फतेहपुर के नाम गलत तौर से किये गये ईश्वर भवन, हरिहरगंज, फतेहपुर का एलाटमेन्ट आदेश शासन द्वारा दिनांक १७ मई, १९६५ को रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन फतेहपुर के संबंधित अधिकारियों ने किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, बन्दोबस्त अधिकारी फतेहपुर के हक में प्रश्नगत मकान का एलाटमेन्ट आदेश शासन द्वारा दिनांक १७-५-६५ को रद्द कर दिया गया है । परन्तु कानूनन जिला अधिकारी ऐसे मामलों में कब्जा दिलाने की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । रिलीज आदेश के आधार पर यदि मकान मालिकिन चाहें, दीवानी अदालत द्वारा मकान का कब्जा ले सकती हैं ।

४—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७ मई, १९६५ का उक्त आदेश संख्या २१४६/२९-ई०, २० फरवरी, १९६५ कब जारी हुआ और कब फतेहपुर पहुंचा था व किस तिथि को कब्जा दिलाने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बगमोहन सिंह नेगी—

शासकीय आदेश दिनांक १७–५–६५ को जारी हुआ और रेन्ट कंट्रोल अधिकारी, फतेहपुर को दिनांक २२–५–६५ को प्राप्त हुआ। कब्जा दिलाने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, गौरा बरहज के सदस्यों के विरुद्ध जांच

५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका गौरा बरहज के दो सदस्यों के विरुद्ध पालिका के जमीन पर बोर्ड को धोखा देकर दिनांक २८ अगस्त, १९६५ को प्रस्ताव संख्या १४/१२ व १४/१९ के द्वारा नक्शा पास कराने के खिलाफ स्थानीय सं० सो० पा० के मंत्री ने उपरोक्त दोनों सदस्यों को बोर्ड से पृथक् करने के लिये नगरपालिका ऐक्ट की धारा ४० सी और ४ (३) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये आयुक्त, गोरखपुर तथा जिलाधीश, देवरिया को शिकायती पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। जांच की जा रही है।

६—श्री उग्रसेन—

क्या नगरपालिका गौरा बरहज ने दिनांक २८ अप्रैल, १९६४ के प्रस्ताव संख्या ९/१ द्वारा नगरपालिका की जमीन पर अनधिकृत रूप से निर्मित मकान के बारजा को गिराने के लिये प्रस्ताव पास किया था? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हो रही है? क्या इस विषय में स्थानीय सं० सो० पा० के मंत्री ने आयुक्त, गोरखपुर और जिलाधीश, देवरिया को पत्र लिखा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, वैधानिक कार्यवाही के निमित्त जांच की जा रही है। जी हां।

७—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका गौरा बरहज के दो सदस्यों द्वारा बोर्ड की जमीन पर अपना नक्शा पास करा कर मकान बनाने के खिलाफ देवरिया के किसी विधायक का पत्र संख्या ५७८–६५, दिनांक २७ अगस्त, १९६५ का उन्हें मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस पत्र पर कौन सी कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, इस पर जिला मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गयी थी जो प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

नौगढ़ तालुका में वन विभाग से भूमि की वापसी

८—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नं० १९५ में ५ बीघा शंकर गांव लछिमनपुर की काश्तकारी तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी की है जिसकी डिग्री भी कमिश्नरी से इनके माफिक हो गयी है? यदि हां, तो वन विभाग ने अब तक अपने पत्थर इस नम्बर से क्यों नहीं हटाये?

श्री चरणसिंह—

श्री शंकर ने लछिमनपुर के खसरा प्लाट नं० १९५ में अपनी भूमि के लिये २ क्लेम वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में दायर किये। उनका १ बीघा ८ बिस्वा का क्लेम वन

बन्दोवस्त अधिकारी तथा एडीशनल कमिश्नर, वाराणसी द्वारा मंजूर किया गया तथा यह भूमि वन सीमा के बाहर कर दी गई है। उनका ५ बीघा १ बिस्वा २ धुर का क्लेम वन बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अतः यह भूमि वन सीमा के अन्दर है।

९—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नं० १९५, गांव लछमनपुर, तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में ५ बीघा श्री शिवधारी की काश्तकारी है जिसे कमिश्नरी से ये जीत गये हैं? यदि हां, तो वन विभाग ने आज भी अपने पत्थरों को नहीं हटाया? यदि हां, तो पत्थर अब तक न हटाने का क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—

श्री शिवधारी की लछिमनपुर ग्राम के खसरा प्लाट नं० १९५ में ५ बीघा भूमि की अपील एडीशनल कमिश्नर वाराणसी द्वारा खारिज कर दी गई थी, अतः यह भूमि वन सीमा के अन्दर ले ली गई है।

१०—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव बिजैपुर बिजौरा की आराजी नं० ३९, रकबा १० बीघा जो तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में है उस पर से आज तक पत्थर क्यों नहीं हटाया गया जब कि सन् १९६१ में सेटलमेंट आफिसर के यहां से इस नम्बर का फैसला किसानों के हक में हो गया है?

श्री चरणसिंह—

वन बन्दोबस्त अधिकारी ने ग्राम बिजैपुर बिजौरा, तालुका, नौगढ़ जिला वाराणसी के खसरा प्लाट नं० ३९ मि० में ७.१२ एकड़ अर्थात् ११ बीघा ८ बिस्वा का क्लेम स्वीकृत किया है। यह क्षेत्र वन सीमा से बाहर कर दिया गया है।

प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर चर्चा की मांग

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आज आप नम्बर २ तक पहुंचे हैं। मेरा सवाल नंबर ३० पर था। उसके बारे में जो उत्तर दिया गया है वह केवल इतना ही है कि "उत्तर देना सार्वजनिक हित में न होगा"। उसके लिये मैं आध घंटे के विवाद का नोटिस देता हूं। सरकार जिस बात का उत्तर नहीं देती उस पर हमें आध घंटे का विवाद करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आप मुझसे मिल लीजिये। हम देख लेंगे कि इसमें क्या हो सकता है।

नगरमहापालिका, वाराणसी की चुंगी नियमावली†

मुख्य मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०६ बी/११—ग—७—एम० टी०—६४, दिनांक १० मार्च, १९६५ द्वारा प्रख्यापित एवं शुद्धिपत्र संख्या २९४०—बी/११—ग—७ एम० टी० ६४, दिनांक ३ अगस्त, १९६५ द्वारा संशोधित, नगर महापालिका, वाराणसी चुंगी नियमावली को, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक २४ सितम्बर, १९६५ को सदन की मेज पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सभावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखती हूं।

---

†छापी नहीं गई।

वित्त विभाग की विज्ञप्तियां†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-६४३८/१०-१०१२-१९६२, दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ में, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन वित्त लेखा (परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ४७०/१०-९००(४५)-६५, दिनांक १ फरवरी, १९६६ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों, तथा

उक्त धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ४७१/१०-९००(४५)-६५, दिनांक १ फरवरी, १९६६ को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ पर, जैसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १७ अगस्त, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ६ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ जनवरी, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन †

*श्री कृष्णपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति के २८वें प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इस की छपी प्रतियां वितरित की जा चुकी हैं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में १६४ आश्वासनों का समावेश है जो २६ मार्च, १९६२ से १४ दिसम्बर, १९६२ की अवधि में प्रशासन द्वारा सदन में दिये गये थे और जो समिति के २३ व २४वें प्रतिवेदन के देने के समय अपूर्ण थे। अब विचारोपरान्त समिति ने यह निश्चय किया है कि इन १६४ आश्वासनों में से ८७ आश्वासनों की या तो पूर्णतया पूर्ति हो चुकी है या उनकी पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही को सन्तोषप्रद मानकर समिति उन पर अब कोई अन्य कार्यवाही करना उचित नहीं समझती है तथा शेष ७७ आश्वासनों को समिति ने अपूर्ण माना है। समिति को खेद है कि राजकीय सचिवालय के कतिपय विभागों द्वारा आश्वासनों की पूर्ति में सुचारु रूप से कार्यवाही नहीं हुई तथा शिथिलता विलम्ब व उदासीनता दिखाई गयी है।

समिति ने कुछ आश्वासनों के सम्बन्ध में विभागों की कार्यशैली को भी त्रुटिपूर्ण माना है। उदाहरणार्थ मैं ३ आश्वासनों का विवरण देता हूं। ३१ जुलाई, १९६२ के आश्वासन संख्या १५२ में सन् १९६२ के चुनाव संबंधी गड़बड़ियों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र का शासन से जिलाधीश को भेजने पर भी मार्ग में खो जाना है तथा उसकी कहीं भी कोई प्रतिलिपि का न होना है। समिति ने यह आवश्यक समझा है कि शिकायती पत्रों की मूल प्रति सुरक्षित रखी जाय तथा उसकी प्रमाणित प्रतियां ही डाक द्वारा भेजी जाया करें। समिति की सिफारिश है कि शासन इस आशय के आदेश समस्त विभागों व विभागाध्यक्ष को प्रसारित करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

१७ अक्तूबर, १९६२ को दिये गये आ० सं० ४८१ में सुपरवाइजर बीज भंडार, मखदूमपुर, फैजाबाद द्वारा गबन के बारे में यह सूचना है कि सहकारी बीज भंडार की आर्थिक दशा इतनी कमजोर है कि यह न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है। समिति की संस्तुति है कि यदि संस्थायें आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी कमजोर हों कि वे कानूनी कार्यवाही भी न कर सकें तो ऐसे मामलों को शासन को स्वयं अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

१८ अक्तूबर, १९६२ के आश्वासन संख्या ५१३ में ईश्वरी मेमोरियल जनाना अस्पताल, वाराणसी में शैयाओं की वृद्धि तथा प्रसूति कक्ष निर्माण के सम्बन्ध में कई वर्षों से यह सूचना मिल रही है कि उक्त प्रस्ताव सीमित प्राविधान के कारण विभागीय आयव्ययक में सम्मिलित नहीं किया गया। परन्तु समिति यह आवश्यक समझती है कि जब सदन में एक स्थान पर अस्पताल खोलने या शैयाओं के वृद्धि करने का आश्वासन है तो उसकी पूर्ति में उसे शासन द्वारा प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

अनावश्यक विलम्ब के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं १५ अक्तूबर, १९६२ का आ० सं० ५२२, जिसमें देवरिया जिले में रुद्रपुर–नगवा सड़क में किसानों की ली गई भूमि का प्रतिकर अभी तक नहीं दिया गया जब कि ११ वर्ष पूर्व यह सड़क बनना आरम्भ हुई थी और सन् १९५५ में सड़क बन कर तैयार भी हो गई तथा १९६२ में प्रश्न करने पर आश्वासनं को दिये ३ साल से अधिक समय व्यतीत हो गया है। २७ अगस्त, १९६२ के आश्वासन संख्या २७३ जिसमें नगरपालिका विभाग डाई वर्ष के समय में लखनऊ नगरमहापालिक के टैक्स विभाग में हुए गबन की धनराशि की भी सूचना नहीं दे सका है। समिति को खेद है कि जो सूचना लखनऊ में ही उपलब्ध थी उसे प्रस्तुत करने में सम्बन्धित विभाग असमर्थ रहा।

प्रतिवेदन के समाप्त करने के पूर्व मैं सचिवालय के विभागीय अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं तथा समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, माननीया मुख्य मंत्री का उनके २०–२–६६ के पत्र के लिए आभारी हूं जिसमें उन्होंने २७वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में आश्वासन समिति के कार्य की प्रशंसा की है तथा प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।"

इलाहाबाद जिले की मेजा तथा करछना तहसीलों में अनावर्षण से क्षति तथा लगान वसूली के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना स्वीकार की है जो माननीय कल्याणचन्द्र मोहिले, माननीय सालिकग्राम जायसवाल, व माननीय सत्य नारायण पांडेय की है और इस प्रकार है :—

"इलाहाबाद जिला की तहसील मेजा एवं करछना में लगभग ३० ग्राम भटौती, मंझनपुर, लोहदी, अरई, सिंहपुर, मसुन्धर, कौडिहार, तिगजा आदि गांवों का दौरा दिनांक १८, १९ फरवरी, को हम लोगों ने किया। इन सब गांवों के अलावा सम्पूर्ण मेजा एवं करछना तहसील में पानी न बरसने के कारण अकाल पड़ गया है और तालाब, गढ़े तथा कुयें बिल्कुल सूख गये हैं, फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है, लगान तथा तकाबी की वसूली जोरों से हो रही है। पानी पर्याप्त न होने से मनुष्यों और जानवरों के मरने की नौबत आ गयी है। सरकारी कर्मचारी सहायता देने में असमर्थ हैं। बीमारी, अकाल, सूखा तथा पानी की कमी के कारण हजारों मनुष्य तथा जानवर मौत के मुंह में हैं। सरकार तत्काल "वार फूटिंग" (war footing) पर प्रबन्ध करे और हजारों मनुष्यों तथा जानवरों को मरने से बचावे।"

इस पर माननीय मंत्री जी, आप कब वक्तव्य देंगे?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

२६ को दे दूंगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने हमारी सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है लेकिन मैं आपसे यह आशा करूंगा कि आप सरकार से कहेंगे कि उनका कोई भी आदमी कल या परसों चल कर देख ले, हम लोग भी जाने को तैयार हैं कि स्थिति क्या है। वक्तव्य देकर काम नहीं चलने वाला है। वहां पर हजारों मनुष्य तथा जानवर मौत के मुंह में हैं।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य होगा। आप प्रश्न कर सकते हैं, आप मुख्य मंत्री से मिल सकते हैं। यह तो कोई ऐसी बात नहीं है।

झांसी तथा आगरा जिलों में ओलावृष्टि से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब दो सूचनाएं और हैं। वे भी माननीय राजस्व मंत्री से सम्बन्धित हैं। एक सूचना झांसी से सम्बन्धित है और दूसरी आगरा से सम्बन्धित है।

आगरे के सम्बन्ध में जो सूचना है वह इस प्रकार है :—

"आगरा जिले की किरावली, बाह, फतेहाबाद तहसील में गत १६ फरवरी, १९६६, को हुयी, भयंकर ओला वृष्टि से, भंडीरा, गडौमा, मागरौल, जाट, फतेपुरा, कुर्दा, चित्तरपुर, बिरैह, कुमावर, महुमन का वास, लहर, दुलियापुरा, मीरपुरा, गुगरौठ, आदि सैकड़ों गांवों की फसल बिलकुल बर्बाद हो गयी है। ओलों का वजन १ किलो व १ १/२ किलो तक था। वृष्टि से खेतों की मेड़ें तक टूट कर खेतों में मिल गयी हैं। पशु मर गये हैं और चारे की समस्या पैदा हो गयी है। खेतों में पानी अभी तक भरा हुआ है।"

अब एक झांसी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी की का सूचना है वह इस प्रकार है :—

"जिला झांसी के विकास क्षेत्र तालबेहट के, तालबेहट, बृन्दावन बाग, म्यांव, रारा, बिजरौठा, भुकटौरा, मऊ, रजावन, तरगुवां, बम्हौरीसर, दिगार, ककडारी, बौलारी, तेरई, सेखास, दौलता, बरी, रामपुर, कडेसरा, बांसी, हसारी, हंसगुवां, कडेसरी, बुदावनी, राधापुर, रजपुरा, बुजरबारा, खैरा, बटवाता, रमपुरा, बगौरा, फकरेला, पारोन, तिदंरा आदि लगभग ३५ ग्रामों में १४ फरवरी, १९६६ को शाम को (एक एक सेर के) भयंकर ओलावर्षा हुई जिससे उक्त समस्त ग्रामों की फसल व पेड़ नष्ट हो गये हैं। समस्त ग्रामों में हाहाकार मचा हुआ है।" माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

२८ फरवरी को दे दूंगा।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न जिसे वक्तव्य के लिए आपने सदन में पढ़ा है, आ ने स्थिति को सही तरीके से, मैं समझता हूं कि सदन में नहीं रखा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि पहले जो लोक महत्व के प्रश्न जिन माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखे, जिस वक्त हम आप से स्वयं कक्ष में मिले थे तो प्राथमिकता हमारे प्रश्न को दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि प्राथमिकता वहां चली गई। जिस जिले में वहां की ओलावृष्टि के कारण फसलों का तो हमने हवाला दिया है, देहातों का दिया है, लेकिन जिलाधीश और तहसीलदार की कोठी पर जाकर के वहां के गांव वालों ने बर्फ की जमी हुई पटिया तक दिखा दी लेकिन.....

श्री अध्यक्ष---

यह सब बातें आप उनको बता सकते हैं जब वह वक्तव्य दें।

श्री बनवारीलाल विप्र---

हम तो श्रीमन्, यह कहने वाले थे कि आप ३० मिनट का समय निश्चित कर दें प्रश्नोत्तर के लिए तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन यह है कि नियम देख लें और नियमों के अन्तर्गत जो कुछ सहायता मैं कर सकूंगा माननीय सदस्यों की, वह करने को तैयार हूं।

लोक-लेखा, प्राक्कलन तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष---

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि "वर्तमान लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों का कार्यकाल ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होगा। अतः आगामी वित्तीय वर्ष (१९६६-६७) के लिये विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २३० (२) के अनुसार लोक लेखा समिति के लिये २१ सदस्य, नियम २३२ (२) के अनुसार प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य और मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य-विधि नियमावली के नियम १(क) के अनुसार मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया गया है :

(१) नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय		३ मार्च, १९६६ को सायंकाल ४ बजे तक।
(२) नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..		४ मार्च, १९६६ को अपरान्ह २ बजे।
(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय		१७ मार्च, १९६६ को सायंकाल ४ बजे तक।
(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ..		२४ मार्च, १९६६ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।"

सायंकाल ५ बजे के पश्चात् विधायी कार्य लेने पर आपत्ति

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, आज का कार्यक्रम आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि विधायी कार्य नम्बर १३ से १६ तक सायंकाल ५ बजे से लिये जायंगे। यह नई परम्परा पड़ रही है। कोई विधायी कार्य बजट सेशन में नहीं होना चाहिये। आप ने भी एक बार यही निर्देश दिया था। तो इस पर हमारी आप से प्रार्थना है कि आप इस पर अपनी आज्ञा न दें कि यह पेश हो क्योंकि हम लोग इससे सहमत नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में तो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चय हो चुका है और सदन नें भी इसे स्वीकार कर लिया है और ये ऐसे विषय हैं...

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

सदन ने कब स्वीकार किया है? कार्य मंत्रणा समिति की मैं नहीं कह सकता, लेकिन सदन ने कब स्वीकार किया?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

सदन में आकर समस्त विरोधी दलों ने उसका विरोध किया, वोटिंग हुई, डिवीजन हुआ। तो कार्य मंत्रणा समिति की पद्धति को इस पर कैसे लगा सकते हैं। सदन में प्रस्ताव किया कि मंत्रणा समिति की संस्तुति को वापस किया जाय, मंजूर नहीं हुआ, विभाजन हुआ। तो विधायी कार्य जो रोज रोज लगाने की परम्परा है आप इसको स्वीकार न करें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न अब उठाया जा रहा है वह उस समय भी उठाया गया। इसके ऊपर विभाजन हुआ, जैसा आप कहते हैं। विभाजन होने पर सदन द्वारा यह विभाजन के अनन्तर स्वीकृत हुआ और स्वीकृत हो जाने के कारण अब उसके ऊपर कोई विचार नहीं हो सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

५ बजे के बाद करने की स्वीकृति हुई सदन में?

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

यह श्रीमन्, एक नई परम्परा हो जायगी। बजट सेशन में और कोई विधायी कार्य नहीं होना चाहिये। ६, ६ महीने सदन बन्द रहता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आइन्दा श्रीमन्, यह सरकार ऐसा न करे इतना तो कह दीजिए।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

सरकार तो चाहती है कि असेम्बली कभी आवे न।

श्री अध्यक्ष—

जो भावनायें विरोधी दल की थीं उस रोज, वे स्पष्ट हो गईं। इतना विरोध प्रबल था कि आपने विभाजन मांगा। सरकार इससे अवगत है।

सहकारिता मंत्री द्वारा जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के निर्वाचन के सम्बन्ध में कथन का विकास मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। बृहस्पतिवार को सहकारिता मंत्री जी ने यह बताया था कि २६ फरवरी, शनिवार को असेम्बली बैठेगी। इस पर माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने यह फरमाया कि इस दिन

[श्री राममूर्ति]

जिला परिषदों के उपाध्यक्षों का चुनाव हो रहा है इसलिये लोगों को वहां जाने में दिक्कत होगी । उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम तारीख हटा देंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि यह निश्चय हो चुका है, आश्वासन नहीं दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

उसका मतलब यही है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जी नहीं, निश्चय और आश्वासन में फर्क है ।

श्री अध्यक्ष—

उनकी बात सुन लीजिये ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, उनको यह गलतफहमी हुई कि एक तारीख बदल कर दूसरी तारीख रख देंगे । लेकिन उसके बाद कानून देखा गया तो मालूम हुआ कि नियम यह है कि एक तारीख नहीं बदली जा सकती है । नोटीफिकेशन से ले कर पूरी तारीखें बदली जाती हैं । इसके माने यह हैं कि २१ दिन लगते हैं यानी यदि अजसं नौ काम करेंगे तो पूरा एक महीना लग जायेगा । हमारे यहां ५१ जिला परिषद् हैं जिनमें से ४६ में चुनाव होने की बात थी । ५ जिला परिषद् ऐसे हैं जिनमें उपाध्यक्षों के संबंध में.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, सदन का निश्चय हो चुका है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर मंत्री जी दूसरा प्रस्ताव लाना चाहते हैं । खाली सूचना से काम नहीं चलेगा । वह किस आधार पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे स्वयं नहीं मालूम कि वह क्या कहना चाहते हैं । मुझे मालूम होता तो मैं व्यवस्था दे देता । अब वह समाप्त करें तो मैं बताऊं कि वह क्या कह रहे हैं । उनका पर्चा आया था कि वह कुछ निवेदन करना चाहते हैं । अब जरा उनको सुन लीजिये ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, टम्बेश्वर प्रसाद जी व्यग्र हो जाते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं इसलिये व्यग्र हो जाता हूं कि मंत्री जी कहीं दूसरी गलतफहमी न पैदा कर दें ।

श्री राममूर्ति—

५ जिला परिषदों में चुनाव की तारीख इसलिये नहीं थी कि उनमें रिट हो गया था। ४६ में से ३४ में खबर आई कि चुनाव अनअपोज हो गया । अब १२ में से ६ ऐसे हैं जिनमें एक ही पार्टी के लोग हैं और एक का पता नहीं और बाकी ५ में अलग अलग पार्टी के लोग हैं। अगर हम तारीख बदलते हैं तो इसके माने यह हैं कि चुनाव एक महीने के लिये टल जाते हैं । इत्तफाक से दो जिले ऐसे हैं गोंडा और एटा कि वहां प्रेसीडेंट नहीं हैं और उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां २।३ महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है । अगर तारीख बदलते हैं तो एक महीने का इसमें समय और लग जायेगा ।

मेरी दरख्वास्त यह है कि जिन जिलों में चुनाव बाकी रह गया है उनमें चुनाव इस तारीख को रख दिया है । जिन मेम्बरों को दिलचस्पी हो वे जा सकते हैं । यह निश्चय हो गया है कि उस दिन असेम्बली होगी । अगर हम डेट बदलते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी । एक बात यह है कि पार्लियामेंट में भी ऐसा है कि चुनाव के लिये पार्लियामेंट कभी बंद नहीं की जाती। जिनको दिलचस्पी होती है वे मेम्बर जा सकते हैं । इसलिये गलतफहमी दूर करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे । चुनाव २६ तारीख को ही होंगे जिनको दिलचस्पी हो वे चले जायं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, पहले माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था चुनाव के स्थगित करने का और अब वे दूसरा प्रस्ताव रखने की आपसे आज्ञा चाहते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो इसका विरोध करने के लिये आप हमें आज्ञा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक बात की जानकारी करना चाहता हूं । क्या माननीय विकास मंत्री को इस बात का खयाल है कि पिछले महीने में उनके विभाग की ओर से जो आदेश प्रसारित किया गया था उसका कोई खयाल उनकी ओर से नहीं किया जा रहा है ? एक तरफ तो माननीय संसदीय मंत्री ने अपने मन से एकाएक इस सदन में चुनाव को स्थगित करने की घोषणा कर दी और दूसरी तरफ श्रीमन्, माननीय विकास मंत्री जो इसका परिमार्जन कर रहे हैं, वह भी गलत है । आपको मैं याद दिलाऊं कि उनकी ओर से प्रदेश के सभी विकास खंडों और जिला परिषदों को साल दो साल पहले एक आदेश प्रसारित हुआ था कि जब सदन बैठा हो उस वक्त उसकी मीटिंग नहीं होनी चाहिये और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के चुनाव का प्रश्न हो, कह दिया गया कि जो सदस्य चाहें जायं, जो न चाहें न जायं। इस प्रकार का परिमार्जन मैं समझता हूं कि बिलकुल हास्यास्पद है। इस पर आपको एक निश्चित निर्णय लेना चाहिये। नियमों के द्वारा सदन को जो एक अधिकार मिला हुआ है उसको आप घपले में क्यों डाल रहे हैं ? अगर विधान सभा बन्द हो तो चुनाव कराइये या अगर विधान सभा बन्द न हो तो चुनाव स्थगित कीजिये। दोनों में एक ही बात हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती । श्रीमन्, जो नियम बना हुआ है उसका मंत्री अपने आप उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, एक तो मैं श्री बनारसी दास के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आप लिख कर दे देंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

दूसरी चीज मैं इतना और चाहूंगा कि आप मंत्रि परिषद् से यह आग्रह करें कि वह शनिवार वाले प्रस्ताव को वापस ले लें या इसको निरस्त कर दें। जिस भ्रम में डाल कर उस दिन उन्होंने प्रस्ताव पास कराया कि वे अलग से उसकी सूचना देंगे और आज इस तरह की बात सरकार की तरफ से हो रही है । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बड़े ही गैर जिम्मेदाराना ढंग का व्यवहार मंत्रि परिषद् की तरफ से होता है और उसका कोई आधार नहीं होता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जैसा कि अभी निवेदन किया गया, इसका कोई निराकरण आप करें । यह सरकार जो मनमानी कर रही है इससे इस सदन के अन्दर बड़ा भ्रम पैदा होता है । माननीय बनारसी दास ने जो उस दिन वक्तव्य दिया, मैं सदन में उस दिन उपस्थित नहीं था, लेकिन अखबारों में पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । श्रीमन्, एलेक्शन की तिथि एलेक्शन कमीशन ही निर्धारित करता है, लेकिन सरकार के संसदीय मिनिस्टर ने बगैर कंसल्ट किये हुये सदन के अन्दर इस प्रकार का बयान दे दिया कि निर्वाचन टल जायगा । मैं समझता हूं कि यह बड़ी ही गम्भीर बात है है और डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है । आपको माननीय मुख्य मंत्री को इसका निराकरण करने के लिये कहना चाहिये । और माननीय बनारसी दास को सदन के सामने पब्लिकली खेद प्रकट करना चाहिये कि उन्होंने गलती की और एलेक्शन कमीशन का अपमान किया है । वह अपनी जानकारी की कमी की वजह से या जिस तरह भी उन्होंने किया, लेकिन इसके लिये उन्हें सदन के सामने खेद प्रकट करना चाहिये ।

दूसरी बात यह कि जब सदन के सामने यह प्रस्ताव आया और उस पर आपत्ति की गयी तो माननीय बनारसी दास ने सरकार की तरफ से सदन को आश्वासन दिया कि वह तिथि टल जायगी इसलिये सदन उस दिन बैठेगा । इस तरह से शनिवार के बारे में उन्होंने जान बूझ कर हाउस को मिसगाइड किया । वह समझते थे कि वह तिथि रहेगी पर उन्होंने शनिवार वाला प्रस्ताव पास करा लिया। तो इन दो बातों का निराकरण आपकी तरफ से होना चाहिये। एक तो यह कि श्री बनारसी दास सदन के सामने खेद प्रकट करें कि उन्होंने एलेक्शन कमीशन का अपमान किया और दूसरे, जो सदन में उन्होंने एक वक्तव्य देकर, भ्रम पैदा किया कि २६ तारीख का चुनाव टल जायगा। श्रीमन्, जिला परिषद् के हम लोग मेम्बर हैं और वोट देने का हमें अधिकार है। तो सदन की कार्यवाही चलने से हमें वहां जाने में दिक्कत होगी। दूसरी बात यह कि अगर सारे के सारे मेम्बर अपने-अपने क्षेत्रों में चले जायेंगे तो यहां कार्यवाही कैसे चलेगी ? इसलिये या तो चुनाव स्थगित होना चाहिये या चुनाव होता है तो विधान सभा बन्द होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि चुनाव होनाही चाहिये, चुनाव टालना ठीक नहीं है । तो इनका निराकरण माननीया मुख्य मंत्री जी से आप करा देने की कृपा करें।

श्री नेकराम शर्मा—

मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय बनारसी दास सुपर चीफ मिनिस्टर हैं । उन्होंने सही बात कही होगी । हो सकता है कि राममूर्ति जी को पता हो या न हो । माननीय बनारसी दास जी ने एक घोषणा की, मैजारिटी भी है, हम उसके विरोध में शोर मचायें तो माननीया मुख्य मंत्री भी नाराज होती हैं कि सदन को चलने नहीं देते हैं । कोई प्रस्ताव लाते हैं, मैजारिटी से पास करवा लेते हैं । उस दिन बनारसी दास ने एक बात कही तो सही होगी क्योंकि पार्टी वह चलाते हैं। राममूर्ति जी, आप पूछ लें कि वह सही या गलत, तब कहें, क्योंकि सदन में गड़बड़ी होती है । माननीय मुख्य मंत्री जी, अप आप ही बताइए हम क्या करें ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे यह कहना है, कि खेद मैं ही प्रकट करूं क्योंकि आखिरी जिम्मेदारी सब बातों की मेरी ही है । जो इधर काम का प्रेशर था प्रयत्न यह था कि काम हाउस का निकल जाय। उन्होंने राममूर्ति जी से पूरा विवरण नहीं लिया क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है । यह देखा गया कि गैरकानूनी तो नहीं होगा अगर बीच में एलेक्शन रोक दिया जाय तो यह २६ को एलेक्शन जारी रहना ही मुनासिब हो गा । जहां तक २६ को हाउस न करने का सवाल है, बनारसीदास जी को देखने के लिये कह रही हूं कि २६ को हाउस न करें तो किस तरह से हाउस का काम कम्प्लीट हो। मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती, कल वह आपके सामने रखेंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय बनारसीदास के वक्तव्य से कितने लोगों ने नामिनेशनपत्र न दाखिल किये हों। माननीय बनारसीदास के श्रीमुख से सूचना प्रसारित हो गयी, जो उनके दल के अनअपोज्ड हो गये, क्या पता उनकी महाकृपा से हो गये हों।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मुझे बड़ा खेद है कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी और अन्य कुछ सदस्यों को कुछ भ्रम हुआ, जो उस रोज मैंने कहा था उससे। मैंने यही निवेदन किया था २६ तारीख को शनिवार है। बजट को समय के अन्दर पारित करना है। उसको लाना आवश्यक है। २६ तारीख को चुनाव भी था। इस लिये मैंने कहा कि २६ तारीख को चुनाव टालने पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान) राममूर्ति जी से मालूम हुआ कि १६ तारीख को नामांकन पत्र दाखिल हो गये। कुछ में चुनाव की जरूरत भी नहीं है। माननीय विरोधी दल के नेता अगर चाहें तो २६ तारीख को छुट्टी हो जाय। बजट समय से पारित करने के लिये एक दिन ग्रांट का कम हो जाय। तो आसानी से काम हो सकता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जो, वह विधायी कार्य वाला दिन कम हो जाय। उस दिन बजट ले लें तो काम पूरा हो जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

हमारे पहाड़ की परिस्थितियां बिलकुल मुख्तलिफ हैं, वहां ट्रांसपोर्ट, मीन्स आफ कम्युनीकेशंस जैसे राममूर्ति जी खुद जानते हैं कि वहां पर लोग पैदल चला करते हैं, कारें नहीं हैं। तो जब यह एनाउन्समेंट हो चुका है कि २६ तारीख को चुनाव नहीं होगा और इसकी खबर सबको रेडियो पर भी मिल गयी। किन्तु अब आप पुनः एक बारगी चुनाव कराकर जिन लोगों का अधिकार है उनको आप उनके अपने अधिकार से डिबार करना चाहते हैं। इस हालत में जो प्रस्ताव यहां पर पास हो चुका है यह बात किसी के दिमाग से सोची भी नहीं जा सकती कि आप २६ तारीख को एलेक्शन करें। यदि करते हैं तो आप जानबूझकर एक गलती करते हैं और वह गलती बड़ी भारी कीमत रखती है। सरकार अधिकार देती है और उस अधिकार का उपयोग करने से लोगों को रोकती है। लोगों को इस प्रकार से गुमराह क्यों किया गया, आप चुनाव के लिये दूसरी तारीख दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह चुनाव ६ ही जगह तो होने हैं, क्या यह चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं ?

श्री राममूर्ति—

यदि हमने टाला तो जो हो चुके हैं वह भी टलेंगे और एक महीने का टाईम और लगेगा। यह हमारी कानूनी दिक्कत आ गयी है वरना जो माननीय मेम्बरों की राय होती है, उसे हम हमेशा की तरह से मानने के लिये तैयार रहते हैं और उसे मान लेते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इस निश्चय पर माननीय मुख्य मंत्री अब जरूर आ जायें कि २६ तारीख को सदन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

न माननीय संसदीय मंत्री और न कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह सरकार में हों या विरोधीपक्ष में, जो सदन का निश्चय हुआ है, उसको टाल सकता है। यहां पर एक प्रस्ताव आया और उस

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव की स्वीकृति के फलस्वरूप वह बदल जाय तब तो ठीक है। इस के अतिरिक्त, जो सदन का एक निश्चय हो चुका है, उसे कोई यहां पर बदल नहीं सकता है, उसे पूरा हाउस ही बदल सकता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

वही तो मैं कह रहा हूं कि २६ तारीख को सदन न हो।

श्री अध्यक्ष—

जब मुख्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे तो आप क्या एक दिन के लिये ठहर नहीं सकते हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

जो एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से यहां पर पास हो चुका है, जो निर्णय पूरे हाउस का हो चुका है, उसके विपरीत यदि अन्य कोई निर्णय मेजारिटी से पास हो तो क्या आप उसको हाउस का निर्णय मान लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब वह आयेगा तब हम उसे देखेंगे।

कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना न लेने के संबंध में वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

देवरिया जिले के अन्तर्गत कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा मिल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना न लिया जाकर बिहार प्रान्त के किसानों का गन्ना लिये जाने के विषय में सर्वश्री उग्रसेन, बांकेलाल एवं कृष्णा द्वारा दिनांक १५-२-६६ को दिये गये कामरोको प्रस्ताव के बाबत स्थिति इस प्रकार है कि यह सत्य नहीं है कि देवरिया जिले की कप्तानगंज चीनी मिल अपने सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना नहीं ले रही है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मिल के सुरक्षित क्षेत्र से सीजन १९६५-६६ के लिये १८.८६ लाख क्विन्टल गन्ना पेराई हेतु मिल को आफर किया गया और बिहार क्षेत्र से केवल २.२४ लाख क्विन्टल गन्ने का आफर हुआ। इस प्रकार सप्लाई हेतु कुल गन्ने का आफर २१.१ लाख क्विन्टल हुआ। आफर किये गये गन्ने का सुरक्षित क्षेत्र एवं बिहार क्षेत्र से प्रतिशत क्रमशः ८९.३८ एवं १०.६२ होता है जिसमें से दिनांक १३-२-६६ तक सुरक्षित क्षेत्र से ९.०४ लाख क्विन्टल एवं बिहार से ०.८६ लाख क्विन्टल गन्ना अर्थात् क्रमशः ९१.३२ एवं ८.६८ प्रतिशत की पूर्ति हो चुकी है। अतः यह स्वतः स्पष्ट है कि सुरक्षित क्षेत्र से गन्ना कम नहीं वरन अनुमानतः कुछ अधिक ही लिया गया है उक्त तिथि के पश्चात् सुरक्षित क्षेत्र से शेष पेराई के लिये उपलब्ध गन्ने की अनुमानित मात्रा ८.३७ लाख क्विन्टल एवं बिहार क्षेत्र में ०.६३ लाख क्विन्टल ही आंकी जाती है जिसे १२,००० क्विन्टल प्रतिदिन औसत पेराई के आधार पर मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक पेरे जाने की आशा की जाती है। इस प्रकार कप्तानगंज चीनी मिल इस वर्ष लगभग १८.९० लाख क्विन्टल गन्ना पेरेगी। गत सीजन, १९६४-६५ में इस मिल ने १८.३६ लाख क्विन्टल गन्ना पेरा था। जहां तक पर्चियों के नाजायज वितरण का उल्लेख किया गया है इस के सम्बन्ध में यह कहना है कि गन्ना समिति द्वारा पर्चियों का वितरण कलेन्डर के आधार पर होता है जिसमें कि पर्चियों की मार्किंग सीजन के आरम्भ में ही पूरे सीजन के लिये कर दी जाती है। यह व्यवस्था पर्चियों की त्रुटिपूर्ण वितरण को रोकने के लिये ही लागू है।

निकटवर्ती चीनी मिलों में भी पेराई के लिये सभी उपलब्ध गन्ने के समय से पेरे जाने की आशा की जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री बांके लाल के खड़े होने पर) बांकेलाल जी, यह केवल वक्तव्य के लिये था । अगर अब कोई बहुत आवश्यक बात हो तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर विचार कर लेंगे ।

१९६६-६७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी रहेगा । श्री रामसुन्दर पांडेय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, बजट केवल वार्षिक लेखा जोखा तथा आंकड़ों का समूह मात्र नहीं होता है बल्कि भावी प्रगति, विकास योजनाओं तथा जनता की सुख सुविधाओं की दिशा निर्देश करता है । इस बजट को जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो निराशा ही होती है । इस बजट में भावी विकास योजनाओं में वृद्धि तथा जनता की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिये कोई ठोस प्रयास करने के लिये नहीं कहा गया है । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने लम्बे भाषण में यह कहा कि १५ वर्षों की विकास योजनाओं से सारे देश की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और यही नहीं महान् परिवर्तन हुये हैं । श्रीमन्, जब मैं इस बात को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि यह तो केवल मजाक किया जा रहा है । आप जानते हैं कि इस प्रदेश की सारी योजनायें, आवास की, शिक्षा की, बेकारी दूर करने की, जो है, जब हम उन पर नजर दौड़ाते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चारों तरफ अभाव और विपन्नता का राज्य बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है । आखिर इसका क्या कारण है ? जिन विकास योजनाओं पर अरबों रुपया खर्च हो और उसके बाद बेकारी की फौज इकट्ठा होती चली जाय, लोगों की क्रय शक्ति कम होती चली जाय, लोगों की आर्थिक दशा कम होती चली जाय, तो कहना पड़ता है कि इन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले प्रशासन के अन्दर कोई कमी अवश्य है जिसके कारण अपने प्रदेशकी अवस्था अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में गिरी है । यही नहीं चारों तरफ अभाव और विपन्नता का साम्राज्य बढ़ता चला जाता है ।

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है । इसमें, मैं साफ कहना चाहता हूं कि कृषि की क्या दशा है ? माननीय कृषि मंत्री जी सदन में नहीं हैं । उसकी दशा दिनों दिन गिरती चली जा रही है । अब तक जो उसके सम्बन्ध में लेखा जोखा है उसको माननीय वित्त मंत्री ने कबूल किया है कि जितना लक्ष्य कृषि उत्पादन का निर्धारित किया गया है वह उसके मुताबिक नहीं बढ़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि केवल भगवान के भरोसे, प्रकृति के सहारे, प्रकृति के सर दोष मढ़कर प्रदेश की करोड़ों जनता को अभाव, अन्न की महंगाई, अन्य सामान खरीदने की शक्ति की क्षति की ओर बढ़ते देने के लिये क्यों छोड़ा जा रहा है ?

क्यों सरकार इस प्रकार के अधिकारियों के प्रशासन को आंख मूंदकर देख रही है ? जो इस प्रदेश की अन्न की समस्या को उलझाते जा रहे हैं और उसको सुलझाने के लिये आगे नहीं ले जा रहे हैं । इसके साथ ही श्रीमन, मैं यह देखता हूं कि अपने प्रदेश का यह बजट बहुत बड़ा बजट है । सन १९५२ में जब मैं इस सदन में पहली बार ही चुनकर आया था तो उस समय बहुत छोटा सा बजट था । उस समय का बजट केवल ६५ करोड़ रुपये का था । १९५२ से ६५ करोड़ के बजट से आज १९६६–६७ के बजट को देखा जाय तो वह ४॥ गुना बढ़ गया है । आज २९२ करोड़ का बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है । मैं

---

†२१ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से ।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट को प्रस्तुत करने के बाद इस बजट के जरिये से जनता की आमदनी कितनी बढी है? इतनी बड़ी रकम को खर्च करने के बाद, अरबों रुपया खर्च करने के बाद, जनता की आमदनी कितनी बढ़ी है, इसकी स्पष्ट बात सरकार की तरफ से आनी चाहिये? सरकार की ओर से इतने बड़े बजट भाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हमारी जो आमदनी घटी है वह केवल भगवान के भरोसे घटी है या उसका कोई और कारण है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैंने इस बजट भाषण को आद्योपान्त पढा है और आद्योपान्त पढने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस बजट भाषण में गरीबों की खिल्ली उड़ाई गई है, मजाक की गई है और भूखी नंगी जनता को सुदूरपूर्व के सुनहले स्वप्नों में उलझाया गया है। थोड़े समय में दुहरी फसल पैदा करके, छोटी छोटी मंझली योजनाओं को लागू करके, छोटे और बड़े सरकारी गैर सरकारी कारखाने खोलकर, मुर्गी पालन और शूकर पालन की योजनाओं को कार्यान्वित करके और प्रदेश में केवल ६ नगरियों में राशनिंग की व्यवस्था को लागू करने की बात कह कर इस बजट भाषण को समाप्त किया गया है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त जी जब यहां पर खाद्य मंत्री थे उन्होंने प्रदेश को अन्न में स्वावलम्बी बनाने की बात कही थी। यह उनके भाषण में मौजूद है। उनके मुख्य मंत्री काल में भी यह बात कही गई। संपूर्णानन्द जी के मुख्य मंत्री काल में भी यह बात कही गई लेकिन, श्रीमन, आज क्या स्थिति है? फिर उसी लक्ष्य को निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। आज यह सरकार केवल ६ नगरियों में ही राशनिंग की व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसमें भी सरकार बिलकुल सफल सिद्ध नहीं हो सकती है। जनता को सरकार ऐसे जाल में फंसाती जा रही है कि जिससे उसको निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। इस बजट भाषण को देखा जाय तो पता चलेगा कि इसमें आवास समस्या को हल करने की बात कही गई है जिससे कर वृद्धि का संकेत मिलता है। जनता पहले ही यहां पर करों के भार से दबी हुई है। श्रीमन्, इस प्रदेश के करोड़ों व्यक्ति ऐसे है जो करों के भार से दब कर कराह रहे हैं, लेकिन उनके लिये एक शब्द भी सहानुभूति का इस बजट भाषण में नहीं कहा गया है। हमारे प्रदेश के एक वर्ग विशेष के संबंध में इसके अन्दर उपेक्षा की गई है। जो अपने प्रदेश में निम्न मध्यम श्रेणी के लोग हैं और जो छोटे छोटे राज्य कर्मचारी हैं, इस प्रदेश के अध्यापक हैं, जो सरकारी आस्थानों में लगे हुए श्रमिक वर्ग हैं, उन सब के लिये इसमें क्या कहा गया है? यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है लेकिन हमको देख कर अफसोस होता है कि आखिरकार यह सरकार क्या करने जा रही है। २, ३ वर्ष पहले इस सरकार ने समाजवादी राज्य बनाने का संकल्प किया था और ऐसे बजट में प्राविधान भी किये गये थे जिससे समाजवाद की तरफ जाने का रास्ता मिलता था। लेकिन इस पूरे बजट भाषण में आप स्वयं देखें कहीं भी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के जरिये देश में समाजवाद आने वाला है? नहीं। लेकिन सरकार कहती है कि हम समाजवाद लाने वाले हैं। इस बजट भाषण के बाद स्पष्ट हो गया कि सरकार का इरादा देश में समाजवाद लाने का नहीं है और ऐसा कोई कदम नहीं आने वाला है जिससे समाजवाद का रास्ता प्रशस्त हो सके।

श्रीमन्, आप को स्वयं याद होगा कि जब हम प्रथम बार चुन कर आते हैं तो आपकी कुर्सी की ओर से हम सब को संविधान की सौगंध दिलायी जाती है और कहा जाता है कि हम संविधान की पाबन्दी करेंगे और हम उसके संरक्षक हैं? और जनता को जो मूल अधिकार दिये गये हैं हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन मैं आप के जरिये सत्तारूढ दल के सम्मानित सदस्यों से जानना चाहता हूं कि आप शपथ लेने के बाद जो सरकार के दल के पीछे बैठते हैं उस समय आप क्या इस संकल्प और प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं? आप क्यों उस सरकार के पीछे लगे रहे हैं और क्यों उसके पिछलग्गू बन जाते हैं? यह सरकार तो नौकरशाही के सहारे

बनी हुई हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरेंटेंडेन्ट पुलिस की रिपोर्ट का ही प्रतिपादन करती रहती है और हमको जो संविधान में मूल अधिकार मिले हुए हैं प्रदर्शन करने के, मांग करने के और जिसका प्रयोग जनता, मजदूर, और प्रदेश का किसान समय समय पर करता रहता है, उसकी मांग की पूर्ति करने के स्थान पर यह सरकार तो उसे मांग के बदले में लाठी, गोली और अश्रु गैस देती है। आप गांधी जी की बात याद करें, सरकार के मंत्रिगण, चौधरी गिरधारी लाल जी उनकी बात याद करें कि गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंग्रेज से हमने रोटी मांगी और रोटी के बदले हमको पत्थर मिले। मैं जानना चाहता हूं कि आज की प्रदेशीय सरकार जो संविधान की दुहाई देती रहती है, अपने करोड़ों नर नारियों पर उनकी मांग के बदले क्या लाठी और गोली नहीं देती, उन पर वह क्या लाठी का प्रयोग नहीं करती? आप को ताज्जुब होगा यह जानकर हम इस सरकार को आर्डिनेंसों की सरकार क्यों कहते हैं? १९३९ से १९४५ तक के बीच इस प्रदेश का शासन अंग्रेज ने रेगुलेशन्स के सहारे किया और कांग्रेसी सरकार जो आज शासन में है उसने १९४६ से १९६५ तक इसके बीच में श्रीमन्, १३१ आर्डिनेन्सेज लागू किये हैं। अंग्रेजी राज में कोई आर्डिनेन्स लागू नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार के बैठते ही इस प्रदेश में अध्यादेशों का राज्य हो गया। ४६ में केवल ५ आर्डिनन्स जारी हुए, ४७ में १५ जारी हुए और १९६५ में जो आखिरी साल का आखिरी दिन है उस दिन केवल १० आर्डिनन्स जारी हुए। क्या बात है? आर्डिनेन्स क्यों लागू होते हैं? जनता की कुछ भावनायें हैं। उसने स्वयं ही एक पार्टी को चुनकर महापालिकाओं में भेजा है। उसकी ईमानदारी पर सरकार शक करती है। उसको दिये हुए अधिकारों को सरकार छीन लेना चाहती है और अपना स्वामित्व कायम करने के लिये जनता की इच्छाओं के विपरीत आर्डिनेन्स लागू करती है। आर्डिनेन्सों का राज्य श्रीमन्, चला नहीं करता और अगर चलता है तो जनता उससे ऊबती है और ऊब कर उसे तोड़ कर फेंक देती है। ऐसी सरकार को वह बदल देती है। मैं चाहता हूं कि सरकार का जब यह आखिरी साल है, आखिरी साल का आखिरी बजट है तो उसे संकल्प करना चाहिये, जनता के सामने फैसला लेकर जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में अब आर्डिनेन्सों का राज्य नहीं होगा। मैं क्या उम्मीद करूं कि आगे अब कांग्रेसी शासन आर्डिनेन्सों का शासन नहीं रहेगा? अंग्रेज अपनी हुकूमत कायम रखने के लिये लाठी और गोली का इस्तेमाल करता था, कांग्रेसी हुकूमत अपनी हुकुमत को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये इनका इस्तेमाल करती है। इस प्रदेश में १८ साल के दौरान १३१ आर्डिनन्स लागू हुए और इससे ही यहां की जन इच्छा क्या है इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार को जन भावनाओं का आदर करना चाहिये और आर्डिनसों को लाने की जो परिपाटी है उसे बन्द करना चाहिये।

श्रीमन्, मैं, माननीय सुचेता जी सदन में नहीं हैं, उनसे कहना चाहता था, उन्होंने कई बार इस प्रदेश और देश को आश्वासन दिया कि हम बचत, मितव्ययिता करेंगे। प्रशासन के खर्च में कमी करेंगे। श्रीमन्, मैं आपसे और आप के जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि साढे सात करोड़ रुपये की मितव्ययिता का संकेत बजट में किया गया था, लेकिन जरा आप वित्तीय वर्ष १९६४-६५ का बजट देखें, १९६५-६६ का बजट आप देखें। १९६५-६६ के बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा ३२ करोड़ रुपया अधिक खर्च दिखाया गया है जब कि वह बचत की गयी थी। इस बार दो अरब ६५ करोड़ का बजट दिखाया गया, लेकिन कहीं भी उस साढे सात करोड़ की जो बचत हुई उसका जिक्र नहीं है। स्पष्ट है कि जो मितव्ययिता की गयी है उसका लेखा नहीं है और इस प्रकार प्रदेश की करोड़ों जनता की आंखों में धूल झोंकने का ही प्रयास इस प्रकार किया गया है। उनके लिये यह मितव्ययिता एक बहाना मात्र है। सही मानों में प्रदेश में मितव्ययिता किसके लिये हुई है, वह छोटे कर्मचारियों के लिये है, चौकीदार के लिये है, चपरासी के लिये है, उत्तर प्रदेश का जो आई० सी० एस० है, आई० ए० एस० है, उसके लिये मितव्ययिता नहीं है। उनकी तो नौकरियां भी बढी हैं और उनका वेतन भी बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ी है। छोटा कर्मचारी आज भी पिस रहा है। इसलिये मितव्ययिता का ढोग केवल जनता की अखों में धूल झोकने के लिये किया गया है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और कर दूं। सामान्य प्रशासन के बारे में, श्रीमन्, को याद होगा, कि गांधी जी ने मंत्रियों तथा राष्ट्रपति के लिये कहा था कि हमारे देश में ५०० रुपये से अधिक वेतन किसी का नहीं होगा। मैं सुचेता जी से पूछना चाहता हूं कि वह गांधी जी का आदेश कहां गया? आप को जानकर ताज्जुब होगा कि इस उत्तर प्रदेश में एक महीने के अन्दर एक मंत्री पर ११,००० रुपया व्यय होता है। ऐसे मंत्रियों के होते हुए जब प्रदेश में दूसरी तरफ करोड़ों लोग भूखे रहें, नंगे रहें तो समाजवाद आना नामुमकिन है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिस बात को तुम कहो, पहले उसे करो। सरकार उपदेश दे कि भ्रष्टाचार न हो तो सरकार को पहले स्वयं उस पर अमल करना चाहिये। लेकिन सरकार तो खुद भ्रष्टाचार करती है तब उससे लाभ क्या? श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बात क्या कही जाय? भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। जब गंगोत्री में भ्रष्टाचार है तो गंगा के मैदानों को साफ करने से फायदा क्या हो सकता है? इस देश में ऊपर ही भ्रष्टाचार चल रहा है और इसके अतिरिक्त कानून की अवहेलना भी होती है। वह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। कुनबापरस्ती है, वह भी भ्रष्टाचार है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। मंत्री जब छोटे-छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों के कामों में हस्तक्षप करते हैं तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? श्रीमन्, आप जानते होंगे कि अंग्रेजी राज्य के कलेक्टर के बारे में हमारी पार्टी सदन से एक बात कहती चली आ रही है और गांधी जी ने भी यही कहा था कि कलेक्टर की ताकत को कम करो। आज के कलक्टर को वह अधिकार है जो मंत्री को नहीं है, गवर्नर को नही है। सारे अधिकार कलक्टर के हाथ में केन्द्रित होते चले जा रहे हैं। जहां गांधी जी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही वहां सरकार कलक्टर के हाथ में सारी सत्ता केन्द्रित करती जा रही है। क्या तालाब हो, क्या शिक्षा हो, जितनी योजनाएं हैं सारा काम कलक्टर को ही करना है। कलक्टर अंग्रेज ने क्यों बनाया था? पूरा बजट, ३८ साल पहले ७० फीसदी मालगुजारी और लगान से वसूल होता था। आज तो २० फीसदी रुपया भी लगान और मालगुजारी से नहीं आता है, दूसर कामों से आता है। तो क्या जरूरत है कलक्टर की? गांधी जी ने कहा था कि जैसे इंगलैन्ड में बैठा हुआ मंत्री ब्रिटिश एम्पायर को हिन्दुस्तान में रखने वाला था, वैसे आज का कलक्टर मैं कहता हूं कांग्रेसी हुकूमत को रखने का ठेकेदार बना हुआ है।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुए।)

इसलिये हमारा चार्ज है, अधिष्ठाता महोदय, कि आज सरकार विकेन्द्रीकरण की नीति को छोड़ कर सत्ता के केन्द्रीकरण की ओर बढ़ती जा रही है। अन्त में गांधी जी ने कहा था कि राजकाज खत्म हो जायेंगे, लेकिन वह बात तो दूर रही, आज तो करोड़ों जनता को राहत देने के लिये भी सरकार तैयार नहीं है। इसलिये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे। जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं उनको निकाल, अगर वह चाहती है जनता का आशीर्वाद लेना और चाहती है कि सन् ६७ में फिर गद्दी मिले। उसके लिये उसे अपने दिलों में, कारनामों, व्यवहार और आचरणों में परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिये कि जनता इसका बदला सन् ६७ में लेगी और यह सरकार खत्म होगी।

जब लोग यह कहते हैं कि यह कैसे खत्म होगी, तुम तो सारे लोग आपस में मिले नहीं हो? लेकिन तो भी खत्म होगी। आपको याद दिलाऊं कि सन् ५२ में इधर के बैठने वालों की तादाद ४० थी। सन् ५७ में वह तादाद बढ़ कर ८० हो गयी और सन् ६२ के आम चुनाव में बढ़कर वह तादाद १८० हो गयी। यह सही है कि कुछ लोगों को सरकार ने फंसा कर, रोटी, नौकरी का लालच दिखा कर अपनी तरफ कर लिया, लेकिन फिर भी जनता सन् ६७ के आम चुनाव में यह फैसला करने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी सरकार नहीं बनने वाली है।

सरकार एक तरफ कहती है कि हम अपने प्रदेश में गरीबों का राज्य बनायेंगे। कामराज के आ जाने के बाद समाजवादी राज बनाने का एक संकल्प किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कानपुर में देखिये कि ३८ साल पहले जिस मिल मालिक की पूंजी जो थी, वह आज बढ़कर कांग्रेसी राज में १० गुनी हो गई है। और एक मामूली आदमी की क्या हालत है? आज बड़ा आदमी बड़ा हुआ है, छोटा आदमी छोटा हुआ है, यह सरकार का समाजवाद है। दिल्ली में गुलजारी लाल नन्दा ने कहा कि भ्रष्टाचार बरदाश्त नहीं किया जायगा, कुछ लोगों ने समझा कि शायद कुछ परिवर्तन आये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वह कहते हैं कि हमने कब कहा था? अब वह भी अन्य मंत्रियों की राह पर आ गये और सब संकल्प-विकल्प छोड़ दिया।

श्रीमन्, आपको मालूम होगा अनेकों मंत्रियों के खिलाफ यहां भ्रष्टाचार की शिकायतें की गयीं। मगर इस प्रदेश का मुख्य मंत्री इतना कमजोर है कि उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि वे कुछ कर सकें। यही कारण है कि आज इस प्रदेश का शासन ठीक नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचारी मंत्रियों को हटाने की इनमें ताकत नहीं है। उसका कारण यह है कि लगाम तो दूसरों के हाथ में है। इस सरकार के जब मंत्री भ्रष्टाचारी होंगे, कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, अधिकारियों के चंगुल में फंसे रहेंगे, तो श्रीमन्, शासन कैसे ठीक प्रकार से चल सकेगा?

चौधरी गिरधारी लाल जी, श्रीमन्, यहां बैठे हुए हैं। हमारे जिले में एक इंजीनियर है, उसके खिलाफ बहुत-सी भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं। चौधरी गिरधारी लाल जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उसका तुरन्त ट्रान्सफर कर दिया और उसके आदेश एक बार नहीं तीन तीन बार तार और वायरलेस द्वारा भेजे गये। जिले में अब शोहरत यह है कि वह इंजीनियर लखनऊ आया, उसने १० हजार रुपये खर्च किये, और उसका ट्रान्सफर रुक गया। मैं पूछता हूं कि उसका ट्रान्सफर किन परिस्थितियों में किया गया और क्यों रोका गया? वह १० हजार रुपया कौन खा गया? किसकी जेब में गया?

यही नहीं श्रीमन्, चाहे इंजीनियर का ट्रान्सफर हो, चाहे अध्यापक का ट्रान्सफर हो, चाहे किसी थानेदार का हो, हर छोटे-छोटे मामलों में यहां के मंत्री लोग हस्तक्षेप किया करते हैं। जब इन छोटे-छोटे मामलों में मंत्री हस्तक्षेप करने लगते हैं तो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाता है। श्रीमन्, ट्रान्सफर रोकने के लिये भी जो कहता है वह भी भ्रष्टाचारी है।

श्रीमन्, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। यह सरकार चाहती नहीं, श्रीमन् कि उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो। हमारा कहना है कि आय को बांधो। यह सरकार क्यों नहीं ऐसा करती? १०० रुपये की तनख्वाह वालों का वेतन बढ़ाने से इसे परेशानी हो सकती है मगर बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन कम करने में क्या परेशानी है? वह तो १,००० तक किया जा सकता है। उसको सरकार क्यों नहीं करती?

संकटकाल के नाम पर श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का अलग बही खाता खुला हुआ है और केन्द्रीय सरकार का अलग। जो लोग सुरक्षा कोष के लिये धन इकट्ठा करते हैं वे दो-दो रसीदें देते हैं। सरकार ने संकट काल के नाम पर मालगुजारी बढ़ा दी, विद्यार्थियों की फीस बढ़ा दी, और टैक्स बढ़ा दिये। श्रीमन्, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं, यह सरकार अपनी पार्टी के लिये सुरक्षा के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रही है। जहां श्रीमन् ४ करोड़ की मालगुजारी बढ़ाई जाय, भूमि भवन कर लगाये और टैक्स बढ़ाये, वहां वह बड़े बड़े लोगों से करोड़ों रुपया टैक्स का जो बकाया है वसूल नहीं कर रही है। श्रीमन्, भाषा के संबंध में क्या कहूं। हमारी पार्टी का सब से बड़ा नारा हिन्दी का है। हिन्दी के बारे में यही कहूंगा कि सरकार नहीं चाहती, सरकार के मंत्रिगण नहीं चाहते। आज भी सरकार के जो सचिव हैं, उनकी सारी चिट्ठियां अंग्रेजी में जाती हैं। भाषा का सवाल उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा सवाल है और यह पार्टी भाषा के सवाल को लेकर एक प्रतीक बनेगी। यह उम्मीद कीजिये। इस काम को सरकार नहीं कर सकेगी तो इसका नतीजा खराब होगा।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पुलिस के संबंध में क्या कहूं ? एक लाईन देखिये। उत्तर प्रदेश पुलिस का बजट दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ६४–६५ में पुलिस का बजट ११ करोड़ रहा और ६५–६६ में १५ करोड़ रुपया हुआ और इस साल १७, ६९, ४४,००० रुपया हुआ। यह बड़ा प्रदेश है, सही बात है। गुजरात क्या है, काश्मीर क्या है ? गुजरात में देखें, जम्मू काश्मीर में देखें। जम्मू काश्मीर का बजट ६१–६२में २४० लाख था और ६५–६६ में १९० लाख हो गया है। जम्मू काश्मीर का घटा, गुजरात का घटा पर उत्तर प्रदेश का पुलिस का बजट बढ़ा। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के मंत्री जी ने जघन्य अपराध किये हैं और मेरा विश्वास है कि जब तक उनके हाथ में पुलिस विभाग रहेगा उत्तर प्रदेश का शासन कुंठित रहेगा और यहां पुलिस राज बन जावेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री पर भी यह आरोप लगना चाहिये कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि राजस्व मंत्री के बनारस से आने के बाद उनकी जो संस्तुति होगी वह सदन को बतलाई जावेगी और तदनुसार कायवाही होगी, लेकिन मुझे दुख हैकि मुख्य मंत्री ने उस रिपोर्ट की और जो प्रदेश में पुलिस मंत्री से सम्बन्धित तथ्य हैं मनमाने लूटने खसोटने के कोई ध्यान उनकी ओर नहीं दिया है। इसके अलावा यह कहना चाहता हूं कि आज आई जी० की जहां तनख्वाह बढ़ी है वहां आज जो गांव के छोटे चौकीदार या थानेदार हैं उनकी उपेक्षा की गई है। अंग्रेजी राज में, श्रीमन्, आपको याद होगा, आप तो रहे हैं उस भाग में। उस वक्त बेहाती थानेदार को घोड़े के चने के लिये ४५ रुपय मिलते थे, तो एस० पी० के घोड़े को ७० रुपये, इंजीनियर के घोड़े को १०० रुपये मिलते थे। यह क्या तारतम्य है ? मालूम होता है कि एस० पी० और इंजीनियर का घोड़ा घी खाता है और थानेदार का घोड़ा चना ही। इसी तरह गांव के पुलिस चौकीदार की तनख्वाह पांच रुपये हैं जो पौने तीन आने रोज पड़ती है। इस तरह समाजवाद कैसे आ सकता है ?

श्रीमन्, गृह मंत्री के राज में अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। १९६२ में डकतियों की संख्या २०३० थी तो १९६४ में वह बढकर २१४२ हो गई। डकैतियों में तादाद बढ़ी। इसी तरह लूट की संख्या १९६२ में २१६४ थी और वही ६४ में २५८१ हो गई। इसी तरह चोरियों का हाल है। २३१७ से २३८५ हो गई। यही हाल और अपराधों में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुलिस का प्रशासन बहुत खराब है। एक मालगुजारी की समस्या अपने प्रदेश की समस्या है। हम लोग किसान व्यक्ति हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, किसानों की सब से बड़ी दयनीय हालत है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इतनी बड़ी मालगुजारी किसानों से वसूल की जाती है। हमारे पास श्रीमन्, सारे प्रदेश का लेखा जोखा है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी इस वक्त ६ रु० २० पैसे प्रति एकड़ ली जा रही है और बाम्बे में एक रुपया ८५ पैसे और पंजाब म २ रु० ५५ पैसे। जो धनी प्रदेश हैं जहां किसानों की आमदनी खेती से ज्यादा है वहां कम है और जहां किसानों की दयनीय हालत है वहां ज्यादा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मालगुजारी अधिभार वापिस लेना चाहिये नहीं तो सोशलिस्ट पार्टी इस बढ़ी हुई मालगुजारी के खिलाफ घूम घूम कर आन्दोलन संगठित करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि इसे हटा ले।

*श्री रामचन्द्र बिकल (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं इस बात के लिये कि इस महत्वपूर्ण विवाद के समय पर आपने मुझे अवसर दिया। इस उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत आज उस सवार के मानिन्द है जिसके घोड़े ने अपने मुहजोरपने से लगाम अलग कर दी है और जो घोड़ा इतना ट्रेन्ड भी नहीं है कि वह गर्दन पर हाथ मारने से रुक सके। हमारी सरकार की जो यह मशीनरी है वह सरकार के काबू से बाहर है। इस तरह के आप को अनेकों उदाहरण मिलेंगे। इसी सदन में जो प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं वे सच्चाई से बहुत दूर होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और मंत्रिगण उन गलत उत्तरों को सदन में पेश करते हैं। न तो मौके पर तथ्यों की कोई जांच होती है और न ही सही तौर से जो गलत उत्तर देते हैं उनको दन्ड ही दिया जाता है। एक रिवाज सा हो गया है जैसे हमें कहने की आदत हो गई है और उन्हें सुनने की आदत हो गई है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सन् ४७ में जब देश में स्वराज्य आया उस वक्त सरकारी कर्मचारी के दिल में एक भावना जागृत हुई थी, वह जिम्मेदारी समझने लगा था लेकिन आज वह उस घोड़े के ही मानिन्द हैं जिसने लगाम को फेंक दिया और जो गर्दन पर हाथ मारने से रुकता भी नहीं है। आज वह क्या करते हैं ? कोई सही हालत को जांचने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं होती। मैं तो निश्चित राय का हूं कि आज व्यक्तिगत रुप से प्रदेश की समस्याओं की जानकारी किसी भी मंत्री को सही रुप से नहीं है। अव्वल तो यह सूबा इतना बड़ा है कि पूरी जानकारी रखना असम्भव है। मैं स्वयं इस राय का हूं कि इस सूबे के दो भाग होने चाहिये। इतना बड़ा सूबा होने के कारण ही यहां की उन्नति तथा आर्थिक विकास नहीं होने पाता है, रुका हुआ है। यही कारण मंत्रियों के यहां की समस्याओं से अनभिज्ञ रहने का है। इस सूबे का विभाजन होना चाहिये तभी यहां की समस्यायें हल हो सकती हैं।

मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में एक ही उदाहरण दूंगा। हमारी सरकार के पास इतने साधन हैं कि उनकी जानकारी रखना चाहिये। मैंने ४ सितम्बर, १९६५ में नवभारत टाइम्स में एक खबर पढ़ी जो लखनऊ की ओर से ही छपी थी जिसका शीर्षक था जहां आदेश कागजी घोड़े बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्रिगण ने भी जरूर उस खबर को पढ़ा होगा। मैं उसकी कोई लम्बी चर्चा नहीं करूंगा। जिन्होंने उस खबर को पढा होगा, पता नहीं सूचना विभाग सरकार को ऐसी चीजों की खबर देता है या नहीं या सरकार इन चीजों की खबर भी रखती है या नहीं, यह सब बातें तो बड़ी विवादास्पद हैं, लेकिन उसमें लिखा है कि विस्तृत रुप से यहां के दफ्तरों की क्या हालत है ? कोई तुरन्त आदेश भी अगर भेजा जाता है तो उसको भी किस तरह से प्राथमिकता दी जाती है। वह बहुत दिलचस्प है और काफी स्पष्ट तरीके से उसमें यह चीज दी गई है। मैं इस तरफ सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। सौभाग्य से वह इस समय हमारे सामने बैठे हैं। अभी हमारे एक सवाल का उत्तर आया था। एक क्लब है कैनाल कालोनी में जिसके १८० इंजीनियर मेम्बर हैं। प्रश्न का उत्तर दिया गया कि यह क्लब न तो सरकारी इमारत में है और न सरकारी जगह में है और बताया गया कि वह प्राइवेट क्लब है और उसको सरकार ने प्राइवेट संस्था के तौर पर ५०० रुपए का अनुदान दिया है। अगर सरकार इस तरह से उसको पैसा देती है तो उसे उसका हिसाब जांचना चाहिए। आज भी मैं सिंचाई मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उस क्लब की इमारत कहां है, वह किस जमीन पर स्थित है, उसका फर्नीचर कहां से आया है, कहां से उस को बिजली मिलती है, उस की चहार-दीवारी का खर्चा कहां से आया है ? और क्या सारे सूबे के इंजीनियर्स, जो कभी किसान के खेत पर काम करते थे, आज वे क्लब की जिन्दगी व्यतीत करने लगे हैं ? मेरी सही जानकारी है कि जिस दिन अर्थात् ११ जनवरी को सारी दुनिया में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के कारण शोक मनाया जा रहा था, उस दिन भी वहां पर रंग रेलियां हो रही थीं। उस दिन भी यह क्लब चालू रहा। इस क्लब के मेम्बरों की संख्या १८० है। जब क्लब का जीवन इस प्रकार चलता हो तो कैसे हमारा यह प्रशासन ठीक ढंग से चल सकता है। श्रीमन्, यह वह विभाग है जिसके द्वारा आप प्रदेश और देश की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्लब की मेम्बरशिप क्या है, कब से यह जारी हुआ है ? इसकी बिल्डिंग का किराया, बिजली का खर्चा, फर्नीचर आदि का खर्चा क्या सरकार द्वारा मांगा जा सकता है ? लेकिन मैं जानता हूं कि अगर सूचना आएगी भी तो वह फर्जी आएगी। मैं चाहूंगा कि जब वह सूचना आ जाए तो उस पर सरकार को एक जांच बैठानी चाहिए।

प्रदेश भर का बजट ३ अरब का है। यह एक रेगिस्तान की नहर के समान है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा लौटफेर में खत्म होता है। यह बजट प्रदेश की जनता में नहीं जाता

[श्री रामचन्द्र विकल]

है। यही कारण है कि आज यह खेतिहर प्रदेश भी भूखा है, इसकी अन्न की समस्या पूरी नहीं हो सकती है। आज न तो हमारे सरकारी कर्मचारी ही और न नीति निर्धारित करने वाले मन्त्रिगण ही को किसानों की हालत को सुधारने का ज्ञान है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के एक साप्ताहिक अखबार में मैंने एक लेख पढ़ा है। उसमें फेमिली प्लानिंग और अन्न की समस्या पर विचार प्रकट किए गए थे। रेलवे के पास जो जमीन है वह खेती के काम के लिए दे दी जाय तो इसके बारे में था कि रेलवे के पास इतनी छोटी जमीनों के टुकड़े हैं कि लोग उसकी गलत मांग करते हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी तो मैं अपनी भूमिका ही बांध रहा हूं। सौभाग्य से वे केन्द्रीय सरकार के उपमन्त्री बन गए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस किसान के पास रेलवे की जमीन के पास में खेत हैं। अगर रेलवे की जमीन उसमें मिला दी जाय तो किसान का हल उस जमीन में खूब घूमेगा। लेकिन जानकारी का सवाल है। आज उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। आज अरबों की योजनायें बनायी जाती हैं और उन योजनाओं का परीक्षण हो रहा है। उनका ही रिजल्ट है कि आज देश में संकटकालीन की स्थिति पैदा हो रही है। टैक्स भी जो बढ़ रहे हैं वे बड़े लोगों और बड़े-बड़े तनख्वाह पाने वाले व्यक्तियों के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। वे भी आज गरीब किसान और मजदूरों के ऊपर ही पड़ रहे हैं। आज इस प्रदेश के किसान और मजदूर टैक्सों के कारण बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं। मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि वह इस प्रदेश की समस्या की ओर ध्यान दे और इस बात को सोचें कि कौन से तरीके से हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है तो उन्हें जबरदस्ती खाद दी जाती है। सहकारी विभाग जो हमारा है और जो आज गांव-गांव में छाया हुआ है, जो किसान बीज भी नहीं लेते उनको भी ३–३ साल की बकाया की लिस्ट भेजता रहता है।

किसानों के सामने आज एक बड़ी परेशानी है। श्रीमन्, यहां पर मैंने एक सवाल किया था कि प्रदेश में कानून के खिलाफ काम हो रहे हैं पर कुछ नहीं होता है। एक बार मैंने ध्यान भी आकर्षित किया था कि यहां पर सैनिक परिवारों से भी लगान वसूल हो रहा है। मैं इस प्रकार की सौ डेढ़ सौ रसीदें भी लाया हूं जिनके द्वारा मालगुजारी वसूल हो रही है। आज किसानों से, जिनके बच्चे सेना में मौजूद हैं, उनसे भी मालगुजारी वसूल की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

जरा यह बतायें कि बढ़ोत्तरी लगान की बात कर रहे हैं या लगान की ?

श्री रामचन्द्र विकल—

बढ़ोत्तरी लगान सैनिक परिवार से नहीं लिया जायगा यह तो कानून है। लेकिन वह कानून तोड़ कर के वसूली हो रही है और अगर सैनिक परिवार के किसान मांग करते हैं तो अमीन कहता है कि हमारे पास तहसील में कोई आदेश नहीं आया। घोषणायें यहां कुछ हो जाती हैं और गोपनीय पत्र सरकारी कर्मचारियों को दूसरे जाते हैं। गोपनीय आदेश उन को यह हैं कि जल्दी से जल्दी सारा लगान पूरे साल का वसूल कर लो, और रबी की वसूली जबरदस्ती किसानों से हो रही है। विरोधी दल के सदस्यों से कह चुका हूं कि इस लगान के सवाल को लें, मगर मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों चुनाव में जो कहा गया कि भूरे भैंसे तेरा खेत उजाड़ेंगे इस बात को सिद्ध न करें। आप किसान की लगान वाली समस्या को हल करें।

सहकारिता विभाग के बारे में आप जान लें कि जिले-जिले में कितना भारी भ्रष्टाचार है। मेरठ जिले की डी० सी० डी० एफ० का किस्सा आप ने अखबारों में पढ़ा होगा। एक दफा किसी को चार्ज मिल जाता है तो दूसरी दफा पुलिस की सहायता से दूसरे को चार्ज मिल रहा है और उसमें मन्त्रिगण की दिलचस्पी है। मेरठ के लोग जानते हैं कि किस तरह से रिवाल्वर, बन्दूक और पुलिस की मदद से ताला तोड़ कर चार्ज लिया जा रहा है। यह हाल हर जिले

में हो रहा है कोआपरेटिव विभाग में। यह सरकारी कर्मचारी काबू के बाहर क्यों हुए? क्योंकि इनके जरिए से चुनावों में हिस्सा लिया जाता है। कुछ विशेष अधिकारी हैं जो चुनाव के लिए खास तौर से रखे जाते हैं, इसलिए ये काबू के बाहर हैं। इन चीजों की गम्भीरता को आप सोचें, प्रदेश के प्रशासन को सोचें वरना मैं एक उदाहरण दे कर कहना चाहता हूं कि एक छोटी मछली को मारा गया कांटे में टांगने के लिए। लेकिन जो उस को खाने को मछली आ रही थी उस के लिए वह छोटी मछली संकेत कर रही थी कि तेरे लिए मैं मारी गई और तू मेरे लिए अगर मरी तो तेरे लिए यह शिकारी खड़ा है। अगर किसान, मजदूर और गरीब को छोटी मछली की तरह से मारा गया तो छोटी मछली संकेत करती है बड़ी मछली को कि अगर तू मुझ को खाने आयी तो तेरे लिए भी कोई ताकत बैठी है। जो हालत है आज मैं कहना चाहता हूं कि वह शिकारी तैयार बैठा है। हम तो मर जायेंगे, लेकिन जिन्दा आप भी नहीं रहेंगे। कोई न कोई आपको मार जायगा। इसलिए सोचें और समय से पहले सोचें, यह मैं आपको चेतावनी देता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रति वर्ष बजट स्वीकृति के लिए आते हैं, सप्लीमेंटरी बजट के रूप में और जनरल बजट के रूप में। मैं आप से निवेदन करूं कि १९४६-४७ में ३९ करोड़ १५ लाख २ हजार रुपये का बजट आया। १९६५-६६ में २४७ करोड़ ७४ लाख रुपयें का बजट था और १९६६-६७ में २९१ करोड़ ७४ लाख का बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट की स्वीकृति से जो आदरणीय सदन देता है आम जनता की भावना यह होती है कि उसको राहत मिलेगी और प्रदेश में सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी रकम की स्वीकृति के बाद भी प्रदेश के अन्दर जो सुख, शान्ति और जनता को राहत उस की तकलीफों में मिलनी चाहिए वह उस को नहीं मिलती है। मैं एक बहुत अजीब सी बात कहूं कि स्वास्थ्य को आप ले लीजिए जिस पर प्रदेश के जन जीवन के ही भविष्य का सवाल निर्भर करता है। इस प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य पर १९५७-५८ में ५१ पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए सरकार तैयार थी। और इसके बाद इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के प्रति व्यक्ति पर १९६५ में २ रुपए २४ नए पैसे इस सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च किए। इससे श्रीमन्, अन्दाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरुक है।

इसके अतिरिक्त बेरोजगारी के बारे में यह है कि १९५५ में ३,२१,९७७ व्यक्तियों ने काम पाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए जिनमें से १९,३९१ व्यक्तियों को काम मिल सका। इसके बाद मेरे पास आंकड़े हैं कि १९६२ में ८,३०,३४१ व्यक्तियों ने काम पाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए जिनमें से ८५,०७७ व्यक्तियों को ही केवल काम मिल सका।

आपको ताज्जुब होगा कि इस समय हमारा देश खाद्य संकट से गुजर रहा है और विशेषकर हमारे प्रदेश में यह समस्या उग्र रूप धारण किए हुए है। हर आदमी का ध्यान इस संकट की ओर जाता है। लेकिन हमारे यहां इस सरकार की हालत यह है कि आबपाशी के लिए पानी नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और है कि इस प्रदेश के किसानों पर सब से ज्यादा लगान का बोझ लदा हुआ है। इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे प्रदेश के मैदानी इलाकों में ४,११,६४,००० एकड़ जमीन में खेती कराई गई और पहाड़ों पर १५,४९,००० एकड़ जमीन में खेती कराई गई। इसका टोटल ४,२७,१३,००० एकड़ हुआ। इतनी जमीन में खेती कराई गई। अब सिंचाई के साधन जो दिए गए वे इस प्रकार हैं कि मैदानी इलाके में १,३२,१३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकी और पहाड़ों पर केवल ७५,००० एकड़ में सिंचाई हो सकी। इससे अन्दाजा लगाइए कि लाखों एकड़ में खेती कराने पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। १९५१ में सरकार ने इस पर १,९०,००,००० रुपए खर्च किए और ६२-६३ में ५,६०,००,००० रुपए खर्च हुए। इसका नतीजा क्या हुआ श्रीमन्, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का एक-एक रोम आज विदेशों में गिरवीं है।

[श्री लक्षपतराम शर्मा]

इसीलिए अमरीका वालों ने राष्ट्रीय संकट के समय हमको धौंस दी थी कि यदि तुम हमारा अन्न खाना चाहते हो तो हमारे सामने घुटने टेक दो। अब देखने की बात यह है कि यह क्यों होता है। इसलिए होता है कि हमारे देश में जो रुपया जिस मद में खर्च करने के लिए दिया जाता है उसमें से कम से कम आधा रुपया लोगों की जेब में चला जाता है।

रोजाना सुनने को मिलता है और यहां भी मिसालें सुनने को मिलीं कि जो लोग जेल में हैं उन्हीं को कत्ल तथा डकैती में इस प्रदेश की पुलिस ने चालान किया। अगर ऐसे मामलों में भी प्रदेश में सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश को रसातल में ले जाने की जिम्मेदारी इस कांग्रेस की सरकार पर होगी।

१९६२ के जरायम के आंकड़े इस प्रकार हैं कि डकैती २,०३० हुईं, लूट १,९६१, हत्यायें २,४३९, दंगे ६,०५७ और १९६४ में इनकी तादाद इस प्रकार हो गई कि डकैती २,१४२, लूट २,५८१, हत्यायें ३,३८५ और नकबजनी ४१,५८० हुयीं। इसके सुधार की जरूरत है। आज नौकरशाही इनके ऊपर हावी हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नौकरशाही को तीन दिन में कन्ट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सब से पहले प्रदेश की नेताशाही को ठीक करना होगा। आज हम लोगों की ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि छोटे से छोटे मामलों में भी सिफारिश करते हैं। आज मैं एक बड़ा गम्भीर रहस्य खोलने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस भाइयों से निवेदन करता हूं और अगर मैं विरोधी भाई भी सच्ची बात कहें तो उसकी कद्र करनी चाहिए। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने एक चीज रखता हूं और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य उसमें दिलचस्पी लेंगे।

आपको ताज्जुब होगा कि इसी लखनऊ शहर में एक पेंट फैक्टरी है जिसका नाम अलका है। यह पेंट बनाने का काम करती है। इससे पुरानी कई इंडस्ट्रीज जो बहुत दिनों से रंग बनाने का काम करती हैं मैं आपको बतलाऊं कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने इस अलका पेंट कम्पनी को प्रदेश के अन्दर सारे के सारे कार्य जो पेंट्स से सम्बन्धित हैं सुपुर्द किए हैं और उसको बड़े रुप में सुपुर्द किये हैं और उसकी स्वीकृति प्रदान की है। जबकि इस प्रदेश व देश के अन्दर अनेक ५०–६० वर्ष से काम करने वाली ब्रिटिश पेंट्स और शालीमार जैसी रंग बनाने वाली कम्पनी हैं जो अपने काम में काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि यह काम इस अल्का कम्पनी को दिया गया है। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अन्दर रंग बनाने की पैदावार की क्षमता कितनी है और इसमें कितने रुपए की पूंजी लगी हुई है। इस कम्पनी को स्वीकृति इसलिए प्रदान की गयी कि इस अल्का कम्पनी का सम्बन्ध एक मन्त्री के लड़के से छिपे रूप में बताया जाता है। आप चाहें तो इसकी जांच करा लीजिए। आप इसकी भी जांच करा लें कि उसकी माली हालत क्या है ? फिर भी इसी कम्पनी को ही लाखों रुपए पैदा करने की इजाजत दी जा रही है। इसका खास कारण एक मन्त्री विशेष को खुश करने के लिए डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने यह सब किया है। अगर माननीय मन्त्री जी का नाम जानने में लोगों की दिलचस्पी हो तो, श्रीमन्, आपकी इजाजत हो तो मैं उनका नाम भी बतला सकता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस कर सकते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

आपकी इजाजत के बगैर मैं उनका नाम नहीं ले सकता। वैसे मैंने इशारा कर दिया है, आप इसकी जांच करा लेंगे तो सारी स्थिति साफ हो जायगी कि किस मन्त्री के लड़के से इसका सम्बन्ध है।

इसी तरह से आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में जिस तरह का पक्षपात चल रहा है, वह भी अपने ढंग का एक ही है। पूरे यू० पी० के अन्दर आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

जिस शहर या इलाके में सरकार के विरोधी थे उनको न रख कर अपने खास-खास आदमियों को रखा गया। इस तरह से सरकार खुद पक्षपात करने और बेईमानी करने का दरवाजा खोलती है।

चौधरी साहब अभी यहां से तशरीफ ले गए हैं। पिछले वर्ष हमने माताटीला बांध के सम्बन्ध में शिकायत की थी और आपके कुछ अधिकारी गिरफ्तार किए गए, वे जमानत पर हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने कई बार इस सरकार को लिखा कि सम्बन्धित अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाय, लेकिन आज तक इस सरकार द्वारा यह इजाजत न दी गयी कि उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। इसी तरह से झांसी की पुलिस लाइन के आर्म्स गार्ड के सिपाहियों पर भी डकैती का मुकदमा चल रहा है। वे मय हथियारों के डकैती में पकड़े गए, इसी से आप समझ सकते हैं कि झांसी में ला ऐंड आर्डर की क्या स्थिति रही है। इसी तरह से आयुर्वेदिक कालेज में हड़ताल चल रही है, फिरोज बाद की चूड़ी फैक्टरियों में हड़ताल चल रही है, जनता के ऊपर तरह-तरह के टैक्स सरकार लगाती जा रही है, पिछले साल ही आपने भूमि भवन कर पहले तो ५ प्रतिशत रखा, उसे अब १५ प्रतिशत तक करने जा रहे हैं। किसानों पर आपने २५ प्रतिशत आपातिक अधिभारके नाम पर टैक्स बढ़ा दिया, आबपाशी टैक्स भी बढ़ाया, जिससे जनता काफी परेशान है।

यहां सोचने की बात है कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है। मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब के लिए झांसी से एक तोहफा लाया था लेकिन दुर्भाग्य से जिस आदमी ने यह दिया, जल्दी में वह दस्तखत नहीं कर सका। झांसी में जिस प्रकार की गिट्टी का भाव पी० डब्ल्यू० डी० से ६० रु० का १०० क्यूबिक फीट चार्ज किया जाता है वहां उसका खुला रेट ४५ रु० का १०० क्यूबिक फीट है। लेकिन वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने गिट्टी के नाम पर इस धूल को ६० रु० का १०० क्यूबिक फीट के हिसाब से खरीदने का साहस किया जो सड़क के किनारे जमा हैं जिस की शिकायत अधिकारियों को दी गई है। जो सड़क ऐसी मिट्टी से बनेगी वह कितने दिन रह सकती है? पिछले साल मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग पर कटमोशन पेश किया था कि अनेक जगह पर गड़बड़ी हो रही है लेकिन किसी ने कोई जांच नहीं करवाई। आप जांच इसलिए नहीं करवाते क्योंकि उन अधिकारियों के हाथ आपकी आत्मा गिरवी हो चुकी है इसलिए कि आप नाजायज तरीके से उनसे सुबह से शाम तक काम लेते हैं। अगर आप यह नाजायज काम छोड़ दें तो आप उनका सुधार कर सकते हैं।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि काफी दो दिन से उठता बैठता रहा, आज मुझे टाइम मिला। मैं नौ साल से मुसलसल सदन में जो भाषण होते हैं सुनता चला आ रहा हूं। दोनों पक्षों से एक दूसरे की आलोचना होती है। दोनों पक्षों के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि कुर्सी याफ्त हो और बरकरार रहे। मतलब यह है कि सबने कुर्सी को खुदा मान लिया। खुदा को सब भूल बैठे हैं। अब हमें यह सोचना है कि कौन सा तरीका अपनायें, क्या ऐसी चीजें इस माननीय सदन में पेश करें, जिससे देश तरक्की करे। अब तक ऐसा मसला चल रहा है "फलसफी को बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं"। यह किसानों का देश है। किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अगर किसान गरीब है तो डंके के चोट पर कहूंगा कि हमारा देश बहुत कमजोर है। आजादी मिलने के बाद हमारे नेताओं ने महान् प्रयत्न किया कि हमारा देश तरक्की करे और कोशिश करते करते बहुत से उनमें से स्वर्गवासी हो गये और बहुत से उनमें से मौजूद हैं। उनकी कोशिशें नाकारा साबित हो रही हैं। जो स्कीम लाते हैं अपनी जगह पर कागज पर स्कीम बन कर रह जाती है। जाहिर है कि वही देश खुशहाल है जहां के रहने वालों को अशियाये जिन्दगी आसानी से पहुंच सकें। अगर अशियाये जिन्दगी आसानी से नहीं पहुंचतीं तो वह देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। आज तक वही सिस्टम चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में था। हमने नहीं सोचा कि कौन सा तरीका अपनायें जिससे किसान तरक्की करे। मुझे बड़ी खुशी है कि बजट स्कीम में बहुत से डिपार्टमेंट्स

[श्री सैयद अहमद]

की स्कीमों का जिक्र किया गया है । अब देखना यह है कि उस पर ठीक से तामील होती है या नहीं । अभी तक हमारे ऊपर अंग्रेज का दिया हुआ लफ्ज लदा हुआ है । किसान लिखता है कि हमारा काश्तकारी पेशा है, खेतिहर मजदूरी का हमारा पेशा है ।

मन, सेर थे । वह महज इस वास्ते थे कि किस तरह से किसी चीज का वजन किया जाय । लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों ने यह सोचा कि इसको हटाने के लिये कौन सा तरीका अपनाया जाय, जिससे सरकारी कर्मचारी को पैसा प्राप्त हो जाय, तो वह कीलो ले आये । वह उस स्कीम को बहुत जल्दी मान गये । लेकिन काश्तकारों के लिये वही स्कीम चली आ रही है, उससे वह जरा भी नहीं हटे ।

काश्तकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है । हम बड़े बड़े उद्योगपतियों कोजो पूंजीपति हैं लाखों और करोड़ों रुपया अनुदान देते हैं । आपकी इस काम के लिये एक ईस्ट इंडिया कम्पनी खुली है, लेकिन अब गरीबों और साधनहीनों को कोई अनुदान या मदद नहीं देते हैं, और जो नियमों में देने का है वह भी इतना मुश्किल है कि जरूरतमन्दों को नहीं मिल पाता है । यदि हमारी सरकार यह सही मानों में चाहती है कि काश्तकार तरक्की करें तो उसके लिये सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि उसको ट्रैक्टर थोड़ी कीमत पर सप्लाई किया जाये । उससे हमारी खाद्य समस्या हल हो जायेगी । यदि कोई मनुष्य अपने खेती के कार्य के लिये चार जानवर पालता है तो उसे अपनी जमीन का करीब एक-चौथाई हिस्सा जानवरों की चराई के लिये छोड़ देना पड़ता है । अतः जानवरों के स्थान पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके हम उस जमीन के हिस्से का भी अनाज के उत्पादन में इस्तेमाल कर सकते हैं । इसके द्वारा आबपाशी की भी तरक्की हो सकती है और उसकी मुश्किल हल हो सकती है । अगर काश्तकार को थोड़ी रकम में ट्रैक्टर सप्लाई होंगे तो वह कुवें खोदेगा, जमीन जोतेगा, उसके लिये नहरों की भी जरूरत नहीं होगी । सब चीजें एक तरफ हो जायंगी । अगर मेकनाइज्ड फार्म्स हमारे हो जायं तो हमारी खाद्य समस्या तथा दूसरी जरूरियात की चीजें हमें पूरी हो जायंगी । इससे यदि हमारा काश्तकार ऊंचे उठेगा तो समझो पूरा देश ऊंचे उठेगा । जो जमीन ऊंची नीची है, बंजर है वह सारी की सारी ट्रैक्टर के द्वारा जोत के अन्दर लाई जा सकती है । विरोधी भाईयों ने सरकार को काफी कहा लेकिन उन्होंने कोई ठोस स्कीम अपनी नहीं रखी । ट्रैक्टर ही एक एसी चीज है जिसके जरिये पानी मिल सकता है, अन्न जो जानवर खायगा वह भी बच सकता है । सब चीजें ड्राप करके कम से कम कीमत पर ट्रैक्टर्स किसानों को सप्लाई किये जायं ।

सरकार ने वीकर सेक्शन की बहबूदी के लिये ध्यान दिया है, उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं । आपकी इतनी बड़ी टैक्टिक्स है कि आपने उनको वास्तव में कोई फायदा नहीं पहुंचाया है । जिनको खाना भी मुश्किल से एक वक्त मिलता है । पूंजीपतियों को बड़ी आसानी से कर्ज मिल जाता है, लेकिन पर्सनल बान्ड पर छोटे उद्योग धन्धों के लिये गरीबों को कर्ज नहीं मिलता है । यह जो लोन सिस्टम सरकार में निकाला है वह इसलिये निकाला था कि गरीबों को ऋण में रुपया मिल सके । लेकिन हमने पूरे यू० पी० में घूम कर देखा और पूछा पर लोगों से यह पाया कि कोआपरेटिव सोसाइटी तथा जिला उद्योग अधिकारी के जरिय कहीं भी गरीबों को पर्सनल बाण्ड पर रुपया नहीं दिया गया है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बैकवर्ड क्लास पर खासकर ध्यान दिया जाये जो मर रहे हैं ।

तीसरी मेरी दरख्वास्त यह है कि टाउन्स में जो सब्जियों का उत्पादन किये जाने की बात है, उससे मुझे भी बड़ा दुःख हुआ है । आप ऐसा करेंगे तो गांव का काश्तकार कहां जायेगा ? आप उनको साधन दीजिये, उनको फर्टीलइजर सप्लाई कीजिये तो वह ही आपकी सारी जरूरियात पूरी कर सकते हैं ।

मैं खुद गांव का रहने वाला हूं और मेरा खयाल है कि सबसे अच्छा आलू की काश्त करने वाला हूं । मैं ५० मन और ४५ मन कच्चा बीघा तक आलू की पैदावार देता हूं । लेकिन एक

दरख्वास्त में मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जरा सोचें कि शास्त्री जी में क्या गुण था जो उनकी एक आवाज पर लोग सब्जी बोने लग गये । यह उनकी आत्मशक्ति थी, रूहानियत थी उनकी, सदाकत थी जिसकी वजह से काश्तकार झुक पड़ा और इतना आलू पैदा कर दिया कि हाहाकार आज मच गया कि आलू के दाम ठीक करो । गोभी जो एक रुपये की एक नहीं मिलती थी वह आने और दो आने की बिकने लगी । अनाज की पोजीशन भी वही होने जा रही है । तो मेरे कहने का मंशा है कि मुखलिसाना तरीके से सोचना चाहिये । यह नहीं कहता कि हमारे मंत्रीगण नहीं सोचते । वह तो जनता के माता पिता के समान होते हैं और कोई भी माता पिता यह नहीं सोच सकता कि उसका लड़का तरक्की न करे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री सईद अहमद—

थोड़ा समय और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं, अब आपका समय समाप्त हो चुका ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का विरोध अपने विचारों के अनुसार करूंगा । जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं उसी से सारे प्रदेश की स्थिति को नाप रहा हूं । जब मैं सन् ६२ में पहले पहल चुनकर यहां आया था उस समय मैं ने यह कहा था कि सारे समाज को तीन हिस्सों में विभाजित करके देखा जा सकता है । पहला तो जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्तियां । इसकी जड़ तो हैं काश्तकार, दूसरे तना सरकारी अधिकारी और पत्तियां दूसरे कर्मचारी । आज तना मोटा होता जाता है और सरकारी कर्मचारियों रुपी पत्तियों में चिकनाहट आती जाती है । लेकिन सरकार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया । आज वह चीज पूर्ण होती जा रही है । मैं इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील से आया हूं । मैं पहले निर्माण विभाग से चलता हूं । कोई भी ऐसी पक्की सड़क तहसील मंझनपुर के भीतरी भाग में नहीं है जिस पर किसी सवारी का उपयोग हो सके, पक्की सड़कें उसके बाहरी भाग से निकल जाती हैं । कहने से गरमी बढ़ती है । यह सही है कि सरकारी कर्मचारी भी अपने परिवार के व्यक्ति हैं लेकिन वे अब इतने सूट बूट और बुचक्के पहनने वाले हो गये हैं कि समाज सेवा से उनका कोई मतलब ही नहीं रहा । पंचायत सेक्रेटरी, गांव सभा का प्रधान, सेक्रेटरी, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर देखिये सुबह से शाम तक दर्जनों अंडे तोड़कर नाश्ता कर रहे हैं और फैमिली प्लानिंग लाद रहे हैं जनता पर जबकि दर्जनों बच्चे इनके आगे पीछे चल रहे हैं । मैं तो खुली प्रार्थना मंत्री जी से करुंगा कि इन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगोंको हटाइये; अगर समाज सेवा दरअसल कराना चाहते हों तो किसान के लड़के को सरकारी नौकरी में लो जो अपने देश की वेशभूषा, चाल चलन और स्तर से समाज के स्तर को उठा सके ।

मान्यवर, इस बजट में जितनी रकम है उसको विभागों में वितरण करके उसका एक जाल सा फैलाया जाता है और फिर साल के आखिर में बड़ी भारी रकम बच जाती है, तो उस रकम को जोड़कर और नया टैक्स लगाकर एक नया बजट प्रति वर्ष यहां पर बजट का ढांचा तैयार करके प्रस्तुत कर दिया जाता है । इनके बजट में जितनी खामियां हैं उनको हर वर्ष यहां पर बताया जाता है लेकिन यहां पर सीधा जवाब दियाजाता है कि इसको नहीं माना जा सकता। प्रश्नों में जो अच्छी बात पूछी जाती है उसके लिये कह दिया जाता है कि यह जनता के हित के लिये बताने वाली बात नहीं है या शीघ्र करने वाले हैं और इस में कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं है। इस तरह से जवाब जो यहां पर दिये जाते हैं वे बिलकुल लचर होते हैं और उनका असर सारी मशीनरी पर पड़ता है । सरकारी कर्मचारी यह मानता है कि सरकार जो यहां पर बैठी हुई है वह हमारी समर्थक है । यही कारण है कि जो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है तो उसके जवाब

[श्री नाथूराम शिक्षक]

गोलमाल दिये जाते हैं । इस बात को सरकारी कर्मचारी खुद समझता है कि हमारे आका वहां पर बैठे हुये हैं । हम लोग केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से यहां पर नहीं आये हैं । हम रात दिन देखते हैं कि यह सरकार इसी दृष्टि को लेकर यहां पर काम करती है । सरकार यह समझती है कि जनता को बहुत ऊपर नहीं उठाना चाहिये । यह कांग्रेस सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि जब तक यहां की जनता गरीब रहेगी तब तक कांग्रेस का यहां प्रशासन रहेगा और जैसे ही यहां की जनता और यहां का समाज खुशहाल हो जायगा तो यहां की सरकार उनके हाथ से निकल जायगी । यही बात ऊपर तक सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में भरी है । इसी सम्बन्ध में तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है कि "ऊंच निवास नीच करतूती, देखि न सकहि पराई विभूति ।" जहां-जहां से विरोधी लोग जीत कर यहां आये हैं वहां-वहां सरकार ने कोई काम नहीं किया है । अगर सरकार से कहा जाता है तो यहां पर जवाब दिया जाता है कि पैसे की कमी है । ये उस पैसे को खा गये हैं । यह सब इनकी कार्य शैली ने जनता को बता दिया है । यह निश्चित बात है । इनकी स्कीमों ने, इनके कारनामों ने और इनके कानूनों ने देश के अन्दर एक अनिश्चित अवस्था पैदा कर दी है । किसान पैदा नहीं कर पा रहा है। श्रमिक अपना श्रम नहीं कर पा रहा है । मान्यवर, हमारी इस सरकार ने समाज को तीन तरह से ठगा है । नया कानून, नया पैसा और नया बटखरा । जो लेने वाले हैं उनको पता नहीं है, वे ठगे जा रहे है। बिजनेस मैन उनको पुरगें तरह से ठग रहा है। किसान की हालत यह हो गई है कि सब कुछ करते हुये भी वह आज उतना पैदा नहीं कर पा रहा है । हमारी सरकार में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो यह जानते नहीं हैं कि किस तरह से पैदावार बढ़ाई जाती है ? किस तरह से गल्ला पैदा किया जाता है और किस तरह से चलाया जाता है ? ये बड़े बड़े फार्म वाले हैं और बड़े-बड़े कैपिटल वाले हैं । और ये सरकार की सारी रकम खा गये हैं अनुदान और ऋण के नाम पर । इसलिये यह देश इस स्थिति में पड़ा हुआ है कि उठ नहीं पा रहा है ।

रोज दलील दी जाती है कि सरकार को इधर से कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिये जाते हैं। हम रचनात्मक सुझाव क्या दें ? किसी बातपर भी सरकार विचार करने के लिये तैयार नहीं होती है । किसी की बात न मानी जाय और देश का कल्याण भी चाहें तो यह नहीं हो सकता है । बालू पर दीवार खड़ी नहीं हो सकती है । यह नीति आपको छोड़नी पड़ेगी । समाजवाद के नाम पर सरकार हर चीज को अपने हाथ में लेना चाहती है । इसी का यह परिणाम है कि जो सब जगह देखने को मिलता है । अगर महापालिका में देखिये या और कहीं देखिये हालांकि जवाहर ज्योति यहां बनाई गई है, जवाहर फुहार बन गई इलाहाबाद और लखनऊ में । लेकिन ग्राम पंचायत और गांव सभा के चुनाव आज तक नहीं हो पाये ।

इसी प्रकार सहकारिता की बात है। वहां भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० का भी कोई ठिकाना नहीं है । इन सब दृष्टिकोणों से यह बजट तो एक जाल बट्टा सा है जैसे बाढ़ का पानी निकालने के लिये चारो तरफ नालियां खोद दी गयी हों ताकि पानी निकल जाय, बाद में उसका कुछ इंतजाम किया जायगा । हम ने ५ साल तक काफी सब्र किया, बहुत सहा और बहुत सुना । अब सुनने की सामर्थ्य नहीं रह गयी है । अब केवल चार महीने की बात और रह गयी है । मैं तो साफ कहूंगा कि या तो सरकार समस्याओं को सुलझाने में बुद्धि से काम ले अन्यथा आप के पैरों के नीचे की धरती खिसकती चली जायगी अगर आप का यही रवैया रहा तो किसी न किसी दिन, कहीं न कहीं इसका फैसला जनता करेगी । अंत में मैं फिर कहता हूं कि यह बजट केवल जाल बट्टा है और कर्मचारियों को कुछ दिलासा देने वाला है ताकि सन् ६७में वे इस सरकार के लिये कुछ करें, बैलट बक्स खोलें और फोड़ें और पेलें।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे बजट विवाद पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इस बजट विवाद का श्रीगणेश, जैसा कि आम तौर पर होता है, हमारे विरोधी दल के नेता द्वारा किया गया । इससे पहले जब असेम्बली बैठी थी, मैंने उनका भाषण आद्योपान्त सुना । नेता विरोधी दल का बजट का भाषण जनता के लिये, गवर्नमेंट के लिये, प्रेस के लिये बड़ा प्रेरणात्मक होना चाहिये । मैंने त्रिपाठी जी के भाषण में देखा कि एक भी बात कंक्रीट नहीं थी । शुरू से आखिर तक उनका भाषण इस तरह का था जैसे मुख्तलिफ मुहकमों की आडिट रिपोर्टें वे पढ़ रहे हों । एक सुझाव उन्होंने नहीं दिया । यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हमारे भाई जो बीच में बोल रहे हैं वे यही बात अखबारों में देखें, जो अखबार दिल्ली से छपते हैं उनमें यह बात उनको मिलेगी । इससे बेहतर त भाषण हमारे ठाकुर फूल सिंह जी का था और मुझे इस बात को कहने में गर्व होता है कि विरोधी दल का जो फंक्शन था वह भी हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है । यह प्रेस ने बतलाया है । तो, श्रीमन्, उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कहीं । मैं उन का जवाब तो नहीं दूंगा, उनका जवाब तो हमारे मंत्रिगण और अन्य नेता देंगे, लेकिन दो चार बातों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

श्रीमन, उन्होंने कहा कि समस्याओं का विवेचन होना चाहिये । हमारे उत्तर प्रदेश की खास समस्या इस वक्त किसान की समस्या है, कृषि की समस्या है । इस समस्या के लिये आज के युग में बिजली मुख्य चीज है । उसके आधार पर किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । विदेशी लोग कहते थे कि भारत में कृषि एक जुआ है । यहां किसान अपने प्रयत्नों से कुछ नहीं करता । तो किसान को बनाने के लिये बिजली बड़ी मुख्य चीज है । इसके लिये जो काम हुआ, वह कुछ मैं आपको बतलाना चाहता हूं ।

श्रीमन्, इसी पीरियड में हमारे यहां शुरू में ट्यूबवेल बिलकुल नहीं थे, लेकिन आज उनकी संख्या २,३०५ है । प्राईवेट ट्यूब वेल्स इनसे अलग हैं जिनकी संख्या २ ००० है जिनको बिजली दी जा चुकी है और वह काम कर रहे हैं । १,००० ट्यूब वेल्स और इसी प्लान पीरियड में बन जायेंगे । बिजली ५ ००० ग्रामों में दी गयी और इस प्रकार उनका विद्युतीकरण कि ा गया । पहले एक गांव भी में बिजली नहीं थी । हमने अपने यहां बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिये बांध बनाये और रिहन्द तथा माताटीला योजना ने बिजली के क्षेत्र में अनहोनी प्रगति की है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि माताटीला योजना से कानपुर तक बिजली गयी और इसी प्रकार रिहन्द योजना से गोरखपुर, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा तक बिजली दी गयी । सुल्तानपुर में २५०० किलोवाट का बिजली का पावर स्टेशन बनाया गया जो सुल्तानपुर को बिजली दे रहा है । बिजली के विषय में हमारे नेता विरोधी दल ने एक बात पूर्व पश्चिम की कही थी कि पूर्व में कुछ नहीं हो रहा है । मैं पूर्व की ही सिंचाई और बिजली की बात कहूंगा । इन योजनाओं में आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, जौनपुर, इन छः जिलों के लिये अलग से ४० लाख रुपया एलाट किया गया जो इन में बिजली को बढ़ायेगा । इसी प्रकार सिंचाई में ६० लाख रुपया देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, में छोटी ड्रेनेज योजनाओं के लिये रखा गया है । हम तो यहां उल्टी बात सुनते रहते थे । हमारी तरफ लोग कहते हैं कि इस समय तो गोरखपुर बस्ती का बोलबाला है । नेता, विरोधी दल और नेता सदन, दोनों उधर के ही हैं । लेकिन त्रिपाठी जी की बात सुन कर ताज्जुब हुआ । शायद वह अपने क्षेत्र में घूमते नहीं । इतना विद्युतीकरण होते हुये भी, गांव गांवमें बिजली होनेके बाद भी उनको कहीं रोशनी दिखायी न दे, इसके लिये सिर्फ यही कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अंधेरे में दिखाई देता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन को उजाले में दिखाई देता है । जिनको उजाले में दिखाई नहीं देता उनको परमात्मा ही कोई रास्ता दिखायेगा ।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन् एक बात कोआपरेटिव के बारे में कही गयी । हमारी तरफ के भी एक दो सज्जन ने उस बारे में कहा । मुझे बड़ी दया आती है वह बात सुन कर । आखिर कोआपरेटिव

[श्री कन्हैयालाल]

में सरकार का क्या दखल है ? यह तो जनता का महकमा है, उसमें जनता के नुमाइन्दे हैं, उसमें अगर बेईमानी होती है तो वह हम लोग करते हैं और अगर ईमानदारी से चलता है तो वह हम लोग करते हैं । उसे सरकार नहीं चलाती । उसमें सरकार के जो प्रयत्न हैं उनको जरूर बताया जा सकता है । एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर तैनात हैं । वह उसे देखते हैं । ६० करोड़ रुपये के करीब शार्ट टर्म लोन दिया जा चुका है । अभी-अभी माइनर इरिगेशन में हमारा जो लैण्ड मार्गेज बैंक है उसने रुपया बांटा है ।

अब मैं कुछ लैण्ड मार्गेज के बारे में कहूंगा । मथुरा में अलग स्थिति है । सिंचाई दृष्टिकोण से मथुरा बैकवर्ड है । ट्यूबवेल एक भी नहीं है । सरकारी रिपोर्ट गयी हैं, ट्यूबवेल वहां सफल नहीं हो सकते । टेल है वहां पर माठ ब्रांच और जमन नहर का इससे पता चलता है कि सरकारी प्रयत्नों से सिंचाई का बिलकुल अभाव है । दूसरी तरफ इस रेगिस्तान की हद है वहां आगरे में, अलीगढ, खुर्जा, बुलन्दशहर में ट्यूबवेल लगे हुये हैं । राजस्थान के बार्डर पर भरतपुर जिला सूखा जा रहा था, वहां पर कैनाल पहुंच गयी । तो अपने प्रयत्नों से ही केवल लैण्ड मार्गेज बैंक से माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिये जो रुपया दिया गया वहां पर उससे इसी साल एक हजार प्राइवेट नल कूप बने । २० लाख रुपया दिया जा चुका है इस समय तक । ३० लाख रुपया फरवरी में बंट जायगा और ३० लाख मार्च में । इस प्रकार से वहां की कुछ समस्या कोआपरेटिव के द्वारा सरकार ने हल करने का प्रयत्न किया है । लेकिन इस संदर्भ में निवेदन करूं, मंत्री जी बैठे हुये हैं, कि नलकूप और प्राइवेट नलकूपों पर जो सबसीडी दी जाती है वह ८० लाख रुपया हमारे यहां इस साल बांटा जायगा और वन-फोर्थ सबसीडी दी जाती है, इस हिसाब से २० लाख रुपया सबसीडी का होना चाहिये, जब कि ८० लाख के कुयें बन रहे हैं, लेकिन अब तक पौने दो लाख रुपये के करीब पहुंचे हैं । इसलिये वहां के किसानों का उत्साह वर्धन नहीं हो रहा है । वह कुंठित होते जा रहे हैं और जो प्रगति हुई थी इस दिशा में उसके कम होने की आशंका है । मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर के सबसीडी की रकम को बढ़ाया जाय ।

दूसरे, जो थोड़ी सी कमी नजर आयी वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बिजली और इरिगेशन विभाग में थोड़ी लाल फीतेशाही चल रही है, उसको चेक करना है । बिजली कनेक्शन देने में बड़ी गड़बड़ी होती है । असिस्टेंट इंजीनियर कोई मैंटीनेन्स के हाथरस में रहते हैं । यह मैंने देखा कि जो पीछे वाले एस्टीमेट्स सैंक्शंड थे उनको पहले लगा दिया गया और जो दो साल से लगे हुये थे उनको नहीं लगाया । एक भ्रष्टाचार की बात यह है कि वहां पर तार डाल दिया गया, लट्ठे डाल दिये गये एक पर्टिकुलर ट्यूबवेल में हाथरस के पास और ट्रांसफ रमर लगाने की स्थिति में जब सौदा नहीं हुआ तो "नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर उसको कैंसिल कर दिया गया । गवर्नमेंट का रुपया १०–१५ हजार लगा हुआ है, किसान का भी १०–५ हजार लगा हुआ है और डेढ़ साल से सिंचाई नहीं हो रही है । तो "नो-आबजेक्शन" के संबंध में निवेदन है कि जब किसान यह चाहता है कि मैं आबपाशी जैसी है वह वैसी ही लूंगा, मेरे वार खेतों के जैसे हैं वैसे ही रहें और फिर वह अडीशनल सिंचाई के लिये अगर ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो "न आबजेक्शन" सर्टिफिकेट की क्यों आवश्यकता रह जाती है ? यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । अगर ज्यादा सिंचाई के लिये उसका प्रयत्न होता है तो उसको छूट होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

*श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रस्तुत बजट के सिलसिले में हमारी सरकार की ओर से समाजवाद, जनतंत्र और बराबरी के दर्जे की बड़ी भारी आवाज के साथ साथ इस खाद्य समस्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सिलसिले में सारे प्रदेश के कर्मचारी, सारी सरकार २४ घंटे आंकड़े देना चाहती है और यही एक प्रायोजन उसके सामने है और इसी पर चर्चा और देश-विदेश से सलाह लेना, कर्जा लेना, इस मसले को हल करना ही एक मुख्य चीज बन गयी है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, कुछ अन्द परिवारों को छोड़कर, शेष सभी परिवार ऐसे मिलेंगे जिनका खेती से संबंध रहता है। लेकिन जो कोई भी यहां आकर मंत्री बन जाता है वह अपने को भूल जाता है, किसानों से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। यहां पर किसानों के लिये नाना प्रकार की सहूलियतें देने का नारा दिया जाता है, लेकिन अगर ठंडे दिल से विचार किया जाय तो वह सारी सहूलियतें कागज पर ही रह जाती हैं। इस सरकार की सारी स्कीम आंकड़ों के ऊपर ही चलती हैं। यहां बताया गया कि ३–४ हजार नलकूप लगाये गये। मैं पूछता हूं कि क्या सरकार ने यह भी पता लगाया कि उनमें से कितने नलकूप चल रहे हैं और जो बन्द है या खराब पड़े हैं वे किन किन कारणों से खराब पड़े हैं। जो १०–२० बीघा तक के किसान हैं, सरकार यदि उनको एक रेहट दे देती और एक कुआं बनाने के लिये अनुदान दे देती तो वह किसानों के अधिक फायदे में होता और उससे पैदावार भी बढ़ती। लेकिन सरकार तो आंकड़ों के बल पर दौड़ रही है और प्रदेश का अहित हो रहा है।

आलू का कम्पीटीशन होता है। उसमें होता क्या है? जो साधन सम्पन्न लोग होते हैं वे अधिकारियों से मिले रहते हैं। वह अधिकारी लिख कर भेज देते हैं कि फलां तारीख को क्राप कटिंग होगी। जो तारीख इसके लिये निश्चित होती है उसके दो दिन पूर्व यह साधन सम्पन्न लोग मंडियों से बड़ा बड़ा आलू खरीद कर, आलू के खेत में, नालियों में भरवा देते हैं और ऊपर से मिट्टी, आदि डाल देते हैं। जिस दिन अधिकारी जाते हैं, उनके खाने पीने का अच्छा इन्तजाम करते हैं, मुर्ग-मुसल्लम, मक्खन डबल रोटी तथा और बढ़िया-बढ़िया खाने की चीजें वहां होती हैं। जब अधिकारी पहुचते हैं तो यह लोग उनको अच्छी सी दावत देते हैं। वह लोग उधर जलपान करते हैं, इधर आलू खुदवाया जाता है और लिख दिया जाता है कि फलां खेत में इतनी जमीन मे ४५ मन पुख्ता आलू पैदा हुआ। बस उसको एक लाख का इनाम मिल जाता है, मगर जो किसान अपने अथक परिश्रम से, पाखाना और मल उठा-उठा कर अपने खेतों में डालते हैं और खेती करते हैं उनको एक पैसा भी इनाम आदि का नहीं मिल पाता। तो यह स्थिति है कम्पीटीशन की।

आज किसानों के सामने अनेक प्राब्लम्स हैं। उसको २ रुपये रोज, साथ में शरबत तथा बीड़ी आदि देने पर भी मजदूर नहीं मिलते। उनको अपना ऋशर पावर से चलाने के लिये पावर नहीं मिलती। हम तो अपना गन्ना पूरे सीजन अक्तूबर, नवम्बर से लेकर मई तक करीब-करीब बेंचते हैं। अगर उसी को हम, अपने ट्यूबवेल के ऊपर एक ऋशर लगा लें उस ऋशर के सहारे पेराई करा लें तो २० रु० प्रति दिन बचे और उसी से चारा भी काट लें, पानी निकाल लें, राब बना लें। लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

अभी एक नया आदेश सरकार की ओर से जारी हुआ है कि किसान प्रति एकड़ १० कम्पोस्ट के गड्ढे तैयार करे। दस गड्ढों के लिये न तो गरीब किसान के पास जमीन है; अगर जमीन है तो एक खेत गांव के किनारे है, दूसरा खेत नदी के कगार पर और तीसरा और कहीं है। तो इस तरह से वह दस गड्ढों में खाद कैसे पहुंचा सकता है? इसके लिये हमारी सरकार ने ए० डी० ओ० (कम्पोस्ट) की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन जो आवश्यक कार्य हैं उद्योग आदि, उसके लिये हमारी सरकार ने नहीं सोचा है। आज सरकार के सामने कोई ऐसा किसान नहीं है जिसने एक ट्यूबवेल लगा रक्खा हो, एक चक्की लगा रक्खी हो और इसी में एक धान की मशीन लगा रक्खी हो। लेकिन सरकार का एक आदेश है कि जिसने धान की मशीन लगा रक्खी हो उसको बीस मन चावल देना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं, वे करोड़ों रुपयों का धान खरीदते हैं और लाभ उठाते हैं, उनसे आप बीस मन क्या, दो मन भी नहीं लेते हैं। किसान जो कि अपने बीबी बच्चों के साथ २४ घंटे खेत में लगे रहते हैं अगर वे इन्जन से धान तैयार कर लेते हैं इसलिये कि काम की बचत हो, उसको आप कहते हैं कि २० मन देना

[श्री रामआसरे वर्मा]

होगा। यह कौन सा इन्स फ है? या तो आप उन्हें लाइसेंस दीजिये या उन्हें कह दीजिये कि तुम भूखों मर जाओ। बिजली उसके पास नहीं है। कोई रोशनी का प्रबन्ध उसके पास नहीं है। मिट्टी का तेल जो ५८ पैसे लिटर रेट पर मिलना चाहिये वह एक रुपया बोतल के हिसाब से किसान को मिलता है। उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस पर भी जरा हमारे मंत्रिगण और उस तरफ के बैठने वाले सदस्य ध्यान दें।

मैं एक बात और बता दूं कि इस प्रदेश में कितने ही एकड़ जमीन ऐसी है जो केवल ऊंची नीची है पर वह भी इतनी उर्वरक है कि उसमें तीनों फसलें पैदा हो सकती हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं अभी लखनऊ शहर के ऐशबाग में जो गवर्नमेंट का ऐग्रीकल्चर का कारखाना था इसमें ३०० ट्रैक्टर मेरे देखे हुए और एक बुलडोजर...

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री मूलचन्द्र शास्त्री (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी तथा उनके सहयोगियों को इस बात के लिय धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष उन्होंने सही मानी में यह कदम उठाया है और समाजवादी व्यवस्था को जो कायम करने की सरकार की इच्छा है उसका जिस तरह से बजट होना चाहिये, उस तरफ अग्रसर हुए हैं। सरकार को चौथे प्लान के लिये रुपये की आवश्यकता है, सुरक्षा के साधनों को जुटाने के लिये रुपये की आवश्यकता है और पे रेशनलाइजेशन कमेटी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिये रुपये की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार खेती को भी बढ़ावा देना चाहती है। इन सब बातों के होते हुए भी इस वर्ष कोई नया कर लगाने की योजना नहीं है और घाटा भी बहुत साधारण सा, केवल ३१ लाख का है। इसलिये भी वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य हमेशा कहा करते हैं कि सरकार कभी यह कोशिश नहीं करती है कि जिन लोगों पर बकाया है उनसे वसूल किया जाय और जो लोग कर-प्रवचन करते हैं, कर को रोकना चाहते हैं, उसपर रोकथाम की जाय, मितव्ययिता की जाय। मुझे खुशी है कि इस बजट में सरकार ने इधर ध्यान दिया है। साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारियों को हटाने की बात थी। गवर्नमेंट ने ऐसी योजना बनाई है कि उनको वहां से तो हटा दिया जाय लेकिन जहां नये कर्मचारी रखने पड़ते हैं वहां उन्हें खपा दिया जाय, जिससे लोगों को तकलीफ न हो। इन सब बातों के लिये मैं गवर्नमेंट को और वित्त मंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक बात और ध्यान देने की है। मैं बहुत पुराने आंकड़ों पर नहीं जाता हूं। सन् ६४–६५ में हमारी आमदनी करीब २२३ करोड़ थी। ६५–६६ में २४७ करोड़ थी और अब आने वाले वर्ष ६६–६७ में २९२ करोड़ आंकी गई है। ये ३ वर्ष के आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि कैसे हमारी सरकार अपने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में प्रयत्नशील है। इसी तरह से हम अपनी योजनाओं को देखें। तीसरी योजना में गवर्नमेंट ने ४९७ करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन वह अब ५५५ करोड़ हो गया है। इस प्रकार से ५८ करोड़ रुपया योजना में गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और यह निश्चित बात है कि इससे प्रदेश की हालत सुधरेगी।

मैं इन सब बातों को सामने रख कर अपने विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां गवर्नमेंट ने भूलें की हैं उनकी ओर तो उसका ध्यान खींचना ही चाहिये, लेकिन जहां उसने अपने काम को ठीक अंजाम दिया है और गरीबों की हालत सुधारने

की पूरी कोशिश की है, अपने प्रान्त की स्थिति को और दूसरे प्रान्तों के साथ लाने का प्रयत्न किया है, उनकी तरफ भी उन्हें थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिये।

सबसे अच्छी बात जो इस वर्ष बजट में मुझे मिली वह यह है कि जमीन रबड़ की तरह बढ़ाई नहीं जा सकती है। खाद जो उपलब्ध है वह गवर्नमेंट दे रही है। सबसे बड़ी आवश्यकता खेती के लिये है पानी की। इस बजट में, मैं जहां तक समझ पाया हूं, सबसे अधिक अगर किसी चीज पर बल दिया गया है और रुपया खर्च करने की बात रखी गई है तो वह खेती के लिए सिंचाई के ऊपर, चाहे वह लघु सिंचाई हो, चाहे ट्यूबवेल हो, नहर हो, बांध हो या दूसरी तरह की योजना हो, मेरी राय में गवर्नमेंट ने सही समझा है कि जब तक वह पूरी तरह से किसानों को पानी नहीं देगी तब तक उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सफल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुराने प्रधान मंत्री, श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने जो कहा था, जय किसान, जय जवान, उस पर पूरी तरह से अमल करने में प्रयत्नशील है। इस बात को किसी तरह से भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

अब मैं एक या दो बातें सुझाव के तौर पर रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसा और माननीय सदस्यों ने भी कहा, मैं यह समझता हूं कि इस समय सरकारी कर्मचारियों में एक प्रवृत्ति यह होती जा रही है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेकर काम को नहीं करना चाहता है। एक सरकारी अधिकारी दूसरे से नोट लिखाता है, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से, इसी तरह से काम चलता है। नतीजा यह होता है कि जो काम १०, २० दिन में या महीने दो महीने में हो जाना चाहिये था उसमें अधिक समय लग जाता है। कहां गलती है, यह हमारे मंत्रियों के देखने की बात है और साथ-साथ जो जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं उनके देखने की भी बात है। इसमें भी सन्देह नहीं कि रुपये के खर्च करने में बड़ी देखभाल की आवश्यकता है। चाणक्य ने लिखा है कि होठों पर लगे शहद को जीभ चाट ले यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन सरकारी रुपये का दुरुपयोग हो जाय यह बड़ी मामूली सी बात है। आम तौर से लोग ऐसा कर ही लेते हैं। इसलिये मैं यह मानता हूं कि वित्त विभाग का कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है लेकिन इसके माने यह नहीं कि एक फाइल जो वित्त विभाग में पहुंच जाय वह वहां पड़ी ही रहे और सिर्फ यह उत्तर मिले कि यह रुपये पैसे का मामला है, इसलिये ऐसा विलम्ब होगा ही। इसलिये इस विषय में जरूर गवर्नमेंट को सोचना होगा अगर कामों को जल्दी और सफलता से कराना है।

एक चीज और है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पश्चिमी जिलों में कई जगह नहरों के किनारों पर पानी भरा है। पिछले साल तो वर्षा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले लगातार बाढ़ आती रही और नीचे से पानी उबलने लगा। अगर नहर के किनारे गवर्नमेंट कुछ ट्यूबवेल लगा दे और उस पानी को नहर में ही डाल दे तो जो पानी उबलने लगा है वह ठीक हो जाय और सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी मिल जाय। नलकूपों के बारे में हमेशा शिकायत रहती है कि जब सिंचाई का खास समय आता है उस समय किसी नलकूप की बिजली खराब हो जाती है, किसी का मोटर खराब हो जाता है कभी और कोई शिकायत हो जाती है। जिम्मेदार अधिकारी वहां रहने चाहियें ताकि ये बातें जल्दी से देख कर ठीक की जा सकें और किसानों को समय से पानी मिले।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अन्त में केवल एक बात कहना चाहता हूं। हम सबको, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, यह प्रयत्न करना चाहये कि किसी प्रकार से लोगों में ईमानदारी और सेवा की भावना बढ़े और इसका एक ही ढंग हो सकता है और वह यह कि जो कुछ हम कहें वह करें भी।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)--

अधिष्ठाता महोदय, यह कांग्रेस वाले अंग्रेजों के राज्य जाने के बाद और अपना राज्य आने के पहले कहा करते थे कि सरकारी मेशीनरी को बदलेंगे और इसलिये बदलना चाहते थे कि उसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवरप्रसाद]

विदेशी सत्ता का भावना थी। उनका विचार बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन हुकूमत आने के बाद जो उस जमाने में कानूनगो था वह डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर होकर रिटायर हुआ है। एक मामूली सिपाही थानेदार और कप्तान होकर रिटायर हुआ है। जो सरकारी मशीनरी हम लोगों के ऊपर है उसने जो कुछ किया है, वह १८ वर्षों में हमारे सामने है।

जब अंग्रेज का राज्य था तो हमारे यहां से विदेशों को गल्ला जाता था। आज जो सरकार यह ऐलान करती है कि हमने इतने टन गल्ला पैदा किया है वह सब गलत होता है, आज लाखों टन बाहर से मंगाना पड़ता है। यह जो किल्लत होती है वह पटवारी और तहसीलदार को भेजी हुई होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हालैंड जैसा छोटा सा देश भी हमारे लिये गल्ला भेज रहा है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया से तो आ ही रहा है। यह गल्ले की जो कमी हो गयी है वह आपकी विचारधारा के बदल जाने से हो गयी है। गरीब लोगों के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं रही। आपने नये-नये कानून बना कर सब चौपट कर दिया है। अंग्रेज एक विदेशी सत्ता थी जिसके बारे में कहते थे कि वह हिन्दुस्तान को लूटके गयी ! उस जमाने में हरिजनों के बारे में कानून यह था कि खेतों में कोई मामूली सी इमारत भी नहीं बनवा सकता था। भूमिहीनों को जमीन मिल जाती थी जिससे उनका उदरपोषण होता था। लेकिन आज इस सरकार के कर्मचारियों के द्वारा उपजाऊ भूमि भट्ठों के लिये दे दी जाती है। ट्यूबवेल के लगाने में बहुत सी जमीन चली गयी है। देहातों में खेतों में मोटरों के लिये दगड़े बना दिये गये हैं जिससे इलेक्शन के दिनों में ये लोग जा सकें। इस प्रकार से आपने बहुत सी उपजाऊ जमीन को खत्म कर दिया है।

इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि गरीबी बहुत हो गयी है। किसान को जो पैसा एक मन अनाज का मिलता था वह अब ५ सेर का ही मिल जाता है, इसलिये मेहनत करने पर कम तवज्जह देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बंजर भूमि को तुड़वाया नहीं है, खेतों के योग्य नहीं बनाया है।

गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल की पालिसी चल रही है। देहातों में प्रधान, उपप्रधान, सरपंच, न्याय पंच आदि पैदा करके तमाम चौपट कर दिया है। कुछ दिनों तक तो प्रधान अच्छा चला, लेकिन चकबन्दी के बाद तो उसको बिल्कुल आराम ही मिल गया है। जमीनों को अपने भाई बन्दों को उसने उठा दिया है। उपजाऊ भूमि ग्राम समाज ने अपने कब्जे में ले ली है। अलीगढ़, गाजीपुर और लखनऊ में देख लीजिये जो उपजाऊ बाड़े थे, सब में मकानात बन गये हैं। यह सरकार इस प्रकार मकान बनवा कर खेती की तरक्की कर रही है। पहले जो न्याय दीवानी और माल का ३ महीने में और फौजदारी का ४० दिन में मिल जाता था अब उनको १-१, २-२ साल लग जाते हैं। सरकार ने अब देश को उस स्थिति पर ला दिया है कि इस बजट की आवश्यकता ही नहीं रह गयी है। मैं क्षमा चाहूंगा इस बात को कहने के लिये कि प्रधान को आप पैसा नहीं देते, वह इन्तजाम करता है, आप सरपंच को पैसा नहीं देते वह न्याय करता है, आपने यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर रक्खे हैं उनके लिये भी सरकारी पैसा खर्च नहीं होता, आपको कोई न्याय की परवाह नहीं है। आप नहीं चाहते कि न्याय व्यवस्था प्रदेश में ठीक हो। आज आपने यहां वह स्थिति पैदा की है और मैं वैरेन्ज करता हूं कि आप डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, दरोगा बढ़िया से बढ़िया एम० ए० पास ले लीजिये और उन्हें वेतन दिये जाइये, आपकी समस्या हल नहीं होगी। आप थानेदार, डिप्टी कलेक्टर एम० एल० ए० बनाइये। आज सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते हैं और शराब पीते हैं। वह भी आप बन्द नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि शराब बन्द करने से हमारी आय बन्द हो जायगी। आपने चकबन्दी का कानून बनाया कि उससे जमीन यकजाई हो जायगी, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ है कि लोगों की जमीन भी निकल गई और कुंये जो किसी के बाप-दादा के बनवाये थे वह भी चले गये। जिसके हिस्से में आये हैं वह कहते हैं कि हम पानी नहीं लेने देंगे, कुंये हमारी हद में हैं और इस तरह से जो हक असायश था पानी लेने का वह भी खत्म हो गया। ऐसा कानून इस सरकार की देन है।

इसी तरह से सरकार ने नये बाट और पेजरमेन्ट्स चलाये हैं, वह हमारी समझ में ही नहीं आते। ४ छटांक की जगह साढ़े तीन छटांक ही अब तोला जाता है। यह सरकार गरीबों को राहत नहीं देती जिसके वोट पर वह यहां आती है। सरकार हर जगह कृषि तक में अपने वही बी० ए०, एम० ए० पास लोग रख लेती है। जहां एम० एस-सी० कृषि बी० डी० ओ० वगैरह रखे जा सकते थे वहां नहीं रखे गये। वहां साधे ग्रेजुएट रखे जाते हैं। सब बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० ऐसे ही हैं, वह अगर कृषि के स्नातक या एम० ए० होते तो बेहतर था। जिन्होंने एल० एल० बी० किया उनको नायब तहसीलदार नहीं रखा जाता।

मैं सरकार से कहूंगा कि वह अपने न्याय विभाग को भी ठीक करें। जिस वक्त यह सरकार आई थी तो कहा गया था कि अदालतें हलफ लेंगी कि वह अपने यहां अहलकारों को और पेशकारों को रिश्वत नहीं लेने देंगी, लेकिन अब वह हलफ लेना भी बन्द हो गया है और बराबर उनके सामने पेशकार रिश्वत ले रहे हैं, डिप्टी साहब बैठे देखा करते हैं और वह लेते रहते हैं।

नहरों की हालत है यह कि सरकार ने उनको चौड़ा भी कर दिया, लेकिन पानी का लेविल उनका गिर गया है। अंग्रेज के समय में यही कांग्रेस कहती थी कि जमुना और गंगा क्या सरकार के बाप की हैं जो वह पानी का मूल्य लेते हैं, लेकिन आज नलकूप आपरेटर और अफसर सब पैसा वसूल करते हैं। आज किसानों का दम घुट रहा है, जनता का हर आदमी जानता है कि रिश्वत ली जाती है, लेकिन बेचारी इस सरकार को पता नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस ६६–६७ के बजट को देखा और इसकी जो विभिन्न मदें हैं उनका अवलोकन किया। मैंने उनको समझने का भी प्रयास किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में मुख्य लक्ष्य जो कि बहुत आवश्यक थे, कृषि उत्पादन और औद्योगिक प्रगति के, यह रखे हैं। इनमें उन्होंने उन विषयों और उन योजनाओं को रखा है जिनसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री ने आगे चल कर मौजूदा जो खाद्य की स्थिति है, उस पर चिन्ता व्यक्त की है और उसके लिए अतिरिक्त धन भी रख दिया है, इस बजट में और प्रान्त को यह आश्वासन भी दिया है कि खाद्य के विषय में वे प्रान्त को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही अच्छा उनका कदम है। जहां तक सरकार की मंशा है, हमारे नेताओं के उद्देश्य बहुत ऊंचे होते हैं। उन्होंने इस देश को स्वतंत्रता के लिये जो बलिदान किया है और प्रगति के लिए जो प्रयास किए हैं, वे ही ऐसे कारण हैं कि आज जनता का विश्वास और प्रेम उनके साथ है और यह मुल्क आगे बढ़ रहा है। यों तो जनता को दैवीआपदाओं का भी सामना करना पड़ा है और कुछ हमारी गल्तियों के कारण से भी उन्हें अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े हैं लेकिन फिर भी उनको सहन करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं अपने नेताओं और मंत्रियों से प्रार्थना करता हूं कि हमारी योजनाओं में कमियां हैं, जैसा कि यहां पर अक्सर कहा जाता है, और मैं तो उनके कार्यान्वयन में भी कमियां देखता हूं, उन्हें दूर करें। दूसरी बात जो मुझे इन महारथियों से कहनी है वह यह है कि वे अधिकतर इन आंकड़ों पर अवलंबित न रहें जो उन्हें विभागों द्वारा पेश होते हैं। यों तो शासन को आंकड़ों के आधार पर चलना ही पड़ता है लेकिन बहुत सारी बातें हो जानी चाहिए थीं यदि हमारे आंकड़े सही होते और आज प्रदेश में इतनी कमी नहीं पड़नी चाहिए थी मंत्री, उप मंत्री, सभासचिव जब दौरे पर जावें तो आंकड़ों की जांच करें यह कागज ही में हैं या भूमि पर भी होते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी आपको गलत आंकड़े देता है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हमारे उच्च अधिकारियों को भी

[श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी]

यह चाहिए कि वे इन आंकड़ों की जाच करें। शिक्षा ग्रहण करने के भी कई उद्देश्य होते हैं, कुछ का उद्देश्य यह होता है कि ऊंचे-ऊंचे पदों में पहुंच कर तरक्की करें, कुछ का उद्देश्य ही यह होता है कि खूब रुपया बटोरें। आपने मुल्क की जिम्मेदारी को संभाला है।

(इस समय २ बज कर ४८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुए।)

यह बात निश्चय है कि हमारे विकास में भी प्रगति हुयी है, शिक्षा में भी उन्नति हुयी है और हर क्षेत्र में ही काफी तरक्की हुयी है चाहे वह प्रगति कर्जा ले लेकर ही हुयी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इतना ही कर्जा ले जितना कि बहुत आवश्यक हो और उन योजनाओं के लिए लें जिनसे हमें वृद्धि की काफी आशा हो। जब तक हम स्वावलम्बी नहीं बनेंगे, तब तक मानसिक दासता व परेशानी में पड़ना स्वाभाविक है। प्रगति तो हर क्षेत्र में हुयी है परन्तु जितनी उत्तर प्रदेश की प्रतिभा है और हमारी आवश्यकता थी उतनी उन्नति नहीं हो पायी। अतः मैं अपनी सरकार से, अपने नेताओं से और अपने सहयोगियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें चाहिए कि जो हमारी गल्तियां हैं उन पर वे देखें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। जब मैं घूमता हूं तो मैंने देखा है कि आज सब पढ़े लिखे नवयुवक, ग्रेजुएट गांव में जाते हैं तो उनको काम करने में दिक्कत व झिझक होती है। हमारे देश में यह प्रवृत्ति हो गई है कि कम परिश्रम में आदमी मालामाल बनना चाहता है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा कि इनको गांव में जाने में झिझक है। ये किसान के पास ठीक समय से नहीं पहुंचते। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह इसकी जांच करें कि कमियां कहां हैं।

कृषि इंसपेक्टर या कृषि के कर्मचारी ठीक समय से बीज नहीं देते, खराब बीज देते हैं, वसूली में शिकायत होती है और अधिकांश शिकायत यह है कि अनपढ़ किसान को रसीद नहीं देते हैं और उनसे दुबारा वसूली होती है। बीज खराब होता है, खाद समय पर नहीं दी जाती है, खाद के प्रयोग करने की विधि उन्हें नहीं बतायी जाती है। ये सब कारण ऐसे हैं जिनसे हमारे किसान का दृष्टिकोण विज्ञान की और वैज्ञानिक तरीकों से खेती की ओर नहीं मुड़ पा रहा है। बल्कि मैंने देखा है कि उसका विश्वास नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों में नहीं है। इसलिये आपको इन कमियों को देखना होगा तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने रखा है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कोई नया कर नहीं लगाया। उन्होंने कृषि तथा उद्योग को प्राथमिकता दी है।

अब मैं उत्तराखन्ड और पर्वतीय जिलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सुन चुके हैं कि इस प्रदेश को दो हिस्सों में बांटने की बात कही जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिये तो सब समान है, सारा देश और सारा उत्तर प्रदेश एक है। क्या आप कह सकते हैं कि प्रदेश के किसी जिले के मुकाबले में पहाड़ के जिले अधिक पिछड़े हुए नहीं हैं, क्या आवश्यकता थी उत्तराखन्ड बनाने की? उसके पिछड़ेपन के कारण ही उत्तराखन्ड का निर्माण हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैदान के जिलों में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, जहां कोई एक कल कारखाना न हो। मेरे चमोली जिले में एक भी कारखाना सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया कि पहाड़ वालों का रुझान व प्रवृत्ति उद्योग की तरफ नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार लीड दे, वह तो पिछड़े हुए रहे हैं, ताकि वहां की जनता और गांव सभायें मिल जुलकर उद्योग धंधों को और बढ़ायें और नए उद्योग लग सकें।

प्रसन्नता की बात है कि हमारे वयोवृद्ध उप नेता सदन में मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय इस देश की स्वतंत्रता के लिये अर्पण किया और आज भी इस बुढ़ौती में उसके लिये तैयार हैं। उत्तराखन्ड के लिये २८ करोड़ रु० पिछली योजना में सरकार ने स्वीकार किया, किन्तु काम कितना हुआ इसकी जांच होनी चाहिये।

मैं शिक्षा का जिक्र करना चाहता हूं। उत्तराखन्ड के लिये मेरा प्रमुख जोर प्राइमरी शिक्षा और जूनियर शिक्षा के बारे में हैं, वहां प्राइमरी व जूनियर अधिक स्कूलों की आवश्यकता है। मेरे बदरीनाथ क्षेत्र में व चमोली जिले में अलकनन्दा, धौली, राम गंगा, नन्दाकिनी, बिरही मंदाकिनी व पिन्डर आदि नदियां बहती है लेकिन वहां पर अधिकांश गांवों में आज भी पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। पैसा इसके लिये काफी है। मेरी प्रार्थना है कि अगर वहां पर पम्पिंग सेट लगा दिये जायं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। सैकड़ों नदी नाले चमोली जिले में हैं, लेकिन बहुत सारे गांव हैं जहां पर आदमी को पीने को पानी नहीं है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। चमोली जिले में एक टेक्नीकल इंस्टीटयूट अगर यूनीवर्सिटी अभी न भी सही तो पौलिटेकनिक होना चाहिये। मैंने देखा कि अभी तक आई० टी० आई० की भी स्वीकृति नहीं मिली है। इसके अलावा मैंने चमोली जिले में एक मेडीकल कालेज की मांग की थी जिससे पासपड़ोस के २–४ जिलों को फायदा हो। लेकिन वह भी इस बजट में नहीं है। बद्रीनाथ घाटी के दोनों तरफ नंगे पहाड़ हैं। वैसे ८९ हजार फीट की ऊंचाई तक पेड़ उग सकते हैं। वन विकास के लिये इस घाटी में जंगल का रोपण व संरक्षण होना चाहिये। पहाड़ व चमोली जिले में वन हैं। किन्तु वनों की रक्षा तब ही हो सकती है जब कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक बिजली सरकार दे। वैसे पहाड़ों में बिना लकड़ी के नहीं रहा जायेगा अगर बिजली सरकार देगी तो बहुत बड़ी संख्या में वनों का संरक्षण होगा और जनता की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। जंगल दुनिया के देशों की जिन्दगी में बहुत बड़ी संपत्ति और निधि-निधि होते हैं, आर्थिक रूप में भी और अन्य रूपों में भी।

इसके अतिरिक्त मैं टूरिस्ट्स की ओर इस सदन का इन्डस्ट्री (पर्यटक उद्योग) व सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहाड़ों में अगर गरीबी को दूर करने वाली कोई इंडस्ट्री हो सकती है तो वह टूरिस्ट की ही हो सकती है। यहां पर बहुत से दिव्य और उत्तम स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। मैंने निवेदन किया कि हमारे यहां लक्ष्मी बन, लोकपाल, वेदनी बुग्यान और संसार प्रसिद्ध विरही ताल आदि बड़े रमणीक स्थान हैं। इन स्थानों पर आप इस इंडस्ट्री को शुरू करें। इमर्जेन्सी के दिनों में जहां खतरा न हो, ऐसे स्थानों पर इसको शुरू किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का हार्दिक दिल से समर्थन करता हूं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश हुआ है या जो बजट समय-समय पर पेश होते हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साधारण आदमी की समझ में नहीं आती हैं। सब से पहले मैं इसकी कुछ खामियों के बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें कुछ मदें ऐसी रखी हैं जिनसे भ्रम पैदा होता है और समझने में दिक्कत होती है। उनका मिलाव अस्वाभाविक है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि प्वांट नम्बर ८ में राज्य विधान मंडल के साथ साथ निर्वाचन भी रख दिया है। राज्य विधान मंडल पर हम बहस नहीं कर सकते हैं और निर्वाचन पर कर सकते है। दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया है। मैं समझता हूं कि यह गलत है और सरकार को इस पर तवज्जह करना चाहिये। इस चीज को बदलना चाहिये। इसी तरह से प्वांट नम्बर ९ है। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बोर्ड आफ रेवेन्यू और लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को भी मिला दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से इनका कोई संबंध नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू और लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में हटाया जाय। प्वान्ट नम्बर १९ में पब्लिक हैल्थ के साथ विलेज एन्ड टाउन प्लानिंग को रखा है। इनका क्या संबंध है? कहीं का तीतर और कहीं की बटेर का हिसाब कर दिया है। पी० डब्लू० डी० में विलेज एन्ड टाउन प्लानिंग को रखा जा सकता है। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे अहम मसलों की तरफ सदन की कोई नजर नहीं पहुंची है। मैं आपके

[श्री भगवान सहाय]

द्वारा बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को बदलना चाहिये। एक चीज और है जो बड़ी खतरनाक है और वह यह है कि एक टेंडेंसी होती जा रही है कि बजट की प्रान्ट का अधिकांश रुपया कंटिजेंसी में मार्क किया जाता है। उसकी परिभाषा को भी उन्होंने अपनी माफिक बना लिया है। कंटिजेन्सी का माने यह है कि वह आइटम जैसे झाड़, झाड़न, चाक, पेन्सिल, ऐसे मामूली आइटम इसके अन्तर्गत आते हैं जिनका ब्योरा उस समय प्रस्तुत किया जा सकता है, अगर आप देखें तो मालूम होता कि टोटल ग्रांट का करीब ६०–७० परसेन्ट एमाउन्ट कंटिजेन्सी में होता है। इसका नतीजा यह होता है कि बजट की पूरी शक्ल हमारे सामने नहीं आ पाती है। बजट जब हमारे सामने आता है तो इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य उस पर गौर करते हैं, उसके ऊपर अपनी तवज्जह देते है और उस पर बहस मुबाहसा करते हैं। उनके सामने यह बात रहती है कि जो रुपया हमने पास किया है वह किस काम के लिये पास किया है। लेकिन कंटिजन्सी के नाम पर लाखों रुपये जो रखे जाते हैं वह उनकी समझ में कुछ नहीं आता। और अगर ईमानदारी से कहा जाय तो यह फ्राड लैजिस्लेचर के ऊपर आता है कि कंटिजेन्सी के नाम पर इतनी बड़ी रकम रखी जाती है और लजिस्लेचर को डिप्राइव किया जाता है कि उसके द्वारा, बजट में जो रुपया प्रोवाइड किया गया है वह किस तरह से खर्च होने जा रहा है, इसकी कोई शकल उसे नहीं मालूम रहती। इसके लिये पिछले साल भी मैंने कहा था कि यह प्रथा बदलनी चाहिये, विधायकों को मालूम होना चाहिये कि रुपया किन-किन मदों पर खर्च हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात से मैं हैरान हो जाता हूं कि Constitution ने जो लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और, ब्यूरोक्रेसी की provision किया है वह क्यों है, आखिर ये सब चीजें क्यों है, किस लिये हैं? इतनी बड़ी हुकूमत जो बना रखी है जिसके विविध विभाग हैं, आखिर हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां की जनता को क्या बनाना चाहते हैं? वेलफेयर स्टेट के नजरिये से अगर हम देखें तो, अधिष्ठाता महोदय, वेलफेयर स्टेट में सिक्योरिटी होनी चाहये, पीस होनी चाहिये, लोगों को इतनी आजादी होनी चाहिये, इंडस्ट्री का डेवलपमेन्ट हो खेत व खलिहान में खुशहाली हो। हर आदमी को अपने अपने विकास का मौका होना चाहिये, जनता खुशहाली की तरफ बढ़ सके। इस नजर से अगर बजट को देखा जाय तो हमें बड़ी मायूसी होती है। आज न तो सिक्योरिटी है; आज यह हालत है कि कोई आदमी अगर यह चाहे कि १० हजार रु० अपने हाथ में लेकर कहीं सफर करने जायं तो कहीं न कहीं वह कत्ल कर दिया जायगा या उसका रुपया छीन लिया जायगा। यह गैरमुमकिन बात है कि वह बच जाय। इसी तरह से देहाती क्षेत्र में कोई आदमी भी हजार, दो हजार रुपये लेकर कहीं नहीं जा सकता। यहां तक कि १०० २०० रुपये भी अगर कोई लेकर जाय और लोगों को मालूम हो जाय कि इसके पास रुपये हैं, तो यह गैरमुमकिन है कि वह १० ५ मील, चला जाय और लूटा न जाय। जब आज यह हालत है तो हम हुकूमत किस लिये चला रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं? इसके लिये बहुत आवश्यक है कि हमें एक high power committee बनानी चाहिये और इस पर हमें विचार करना चाहिये। उसका हल निकालना चाहिये। आज नागरिक का जीवन व उसकी मालियत महफूज नहीं है।

वेलफेयर स्टेट के नजरिये से अगर हम बजट को देखें तो सबसे पहले हम शिक्षा को लेते हैं। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि हम लोगों को तालीम दें, उनको अच्छे नागरिक बनावें ताकि वे अपने फरायज व अपने हकूक को समझते हुए अपनी दिमागी तरक्की कर सकें और सोसाइटी का एक अच्छा अंग बन सकें। इस हिसाब से अगर हम शिक्षा विभाग को देखते हैं तो हमें मायूसी होती है। आज शिक्षा का हाल यह है कि लोहार का लड़का पढ़ता है तो वह अच्छा लोहार न बनकर नौकरी चाहता है। बढ़ई का लड़का भी पढ़ने के बाद अच्छा बढ़ई न बन कर नौकरी चाहता है, किसान का लड़का पढ़ाई के बाद अच्छा किसान न बनकर नौकरी चाहता है। इसका कारण

यह है कि यहां की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हर आदमी नौकरी चाहता है। आज एग्रीकल्चरल लाइफ की पसन्दगी खत्म ह ती जा रही है, ज नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मैंने अपनी कांस्टी-टुएंसी में कई जगह देखा है कि जिनके पास १६–२० एकड़ तक जमीन है उसका हाई स्कूल पास लड़का खेती करने के बजाय नौकरी करना ही पसन्द करता है। उसकी तवज्जह खेती की तरफ नहीं हाती। आखिर यह क्यों ? पहले किसान को अपनी जमीन से मुहब्बत होती थी। अपने बाद वह उस जमीन को अपने लड़के के लिये छोड़ जाता था और उसके बाद उसके लड़के के लिये छोड़ जाता था लेकिन आज आखिर उसकी तरफ उदासीनता क्यों ह ती जा रही है ? यह हमारी शिक्षा पद्धति की खराबी है। इस तरफ कोई छानबीन होनी चाहिये, कोई कमीशन ह ना चाहिये जो इस बात की छानबीन करे और सही तरीके से शिक्षा पद्धति सामने रख सके। जहां तक लिटरेसी का सवाल है आज भी ३० से ४० फीसदी लड़के तालीम नहीं पा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कम्पल्सरी एजूकेशन है लेकिन हर लड़का तालीम नहीं पा रहा है। उसके लिये सरकार की उदासीनता है। आज १८ साल की कांग्रेस की हुकूमत के बाद भी जो हम तस्वीर देखते हैं वह मायूसी की है। बहुत से बी० एस सी० एम० एस-सी० ज ऐग्रीकल्चर की डिगरी लेकर निकलते हैं वह खेती नहीं करते। वह नौकरी करना चाहते हैं। जब कि उनके पास जमीन हैं वह अपनी शिक्षा का लाभ नहीं लेना चाहते। इसके ऊपर कुछ ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिये।

इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट को देखिये। मिल मालिक आज इंडस्ट्रीज को पैरलाइज कर सकता है। अभी हाल में ही कानपुर की एक मिल को मिल मालिकों ने बन्द कर दिया। हजारों मजदूर बेकार हो गया। किसी को भी हक नहीं होना चाहिये कि हजारों आद यों को बेरोजगार कर सके, उसकी भ अवहेलन है। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि य हालत तब्दील होनी चाहिये। इंडस्ट्री के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पहले हमारा प्रान्त पंजाब से कहीं आगे था। आज पंजाब के बार्डर पर सीक्योरिटी न होते हुए भी पंजाब इंडस्ट्रीज में हमसे बहुत आगे है। कैरों को लोग बुरा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उसने और सके लड़कों ने दो करोड़ रुपया नाजायज तरीके से पैदा किया। मैं उसको बुरा नहीं कहता। उसने पंजाब जैसे सीमा प्रान्त को इन्डस्ट्रीज द्वारा आगे बढ़ाया बाकी रुपये का सही इस्तेमाल किया। पंजाब को उन्न किया। मैं कहता हूं कि आज सारे मंत्रियों को रु० की जरूरत है, यदि वह अ ने लिये २ करोड़ का Budget provision करें तो हम उसको स्वीकार करेंगे और उनकी ओर से वयादा करके कह देंगे, लेकिन बाकी रुपये का सही इस्तेमाल करें। हु ूमत आपके हाथ में हैं, हमारे नहीं। हम सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज का आप पर असर नहीं होता। लेकिन अगर आवाज से काम नहीं होगा तो कोई जरिया और निकालना पड़ेगा अगर बदकिस्मती से वह मौका कभी आया। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक कलकत्ते के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ४० लाख रुपया लगा कर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगायी। भारत सरकार ने लाइसेंस दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर किया लेकिन उसको रा मेटी-रियल नहीं दिया। इत्तिफाक से वह मेरे पास पहुंचा। मैं उसको लेकर माननीय मुख्य मंत्री के पास गया। तब जाकर रा मैटी .यल मिला। उसकी फैक्टरी का प्रयोग सुरक्षा के लिये जरूरी था। अफसरों का इतना बोलबाला हो गया है कि अफसर चाहें तो हर चीज हासिल, नहीं चाहें तो हर दुश्वारी। इस हालत को बदलिए।

एक हमारे यहां इंटस्ट्री की मीटिंग हुई। उसमें लोगों की दरख्वास्तें लोन के लिये पेश हुईं। विचार हुआ, किसी की दरख्वास्त पर इंसपेक्टर की टिप्पणी थी कि अनुभव है, उसको लोन मिल गया, किसी पर लिखा अनुभव नह है उसे नहीं मिला। अनुभव या अनुभव का अभाव रिश्वत लेकर किया गया जिससे पैसा नहीं मिला उस पर लिख दिया कि अनुभव नहीं है,' और जिससे पैसा मिल गया लिख दिया अनुभव है'। अब यह कोई बात नहीं है कि 'अनुभव है' या 'अनुभव नहीं है'। हमने उसी मीटिंग में पूछा कि इसको क्या अनुभव है ? प्रार्थी के बाप दादे क्या एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंटस बनाते थे, कैसे आपको मालूम हुआ कि उसको अनुभव है ? इसका आपके पास कोई जांचने का तरीका नहीं है, केवल मनमानी करते हैं और जिससे पैसा मिल जाता है उसके केस को रेकमेन्ड

[श्री भगवान सहाय]

कर देते हैं और जिससे नहीं मिलता है, उसमें आब्जेक्शन लगा देते हैं। यदि इस तरह की रिकमन्डेशन्स आएं तो आपको छानबीन करना चाहिये और गलत अधिकारियों को आपको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिये, क्योंकि वहीं पर भ्रष्टाचार की जड़ है। लेकिन मजबूरी यह है कि आप उसको देख नहीं पाते हैं।

अब आप जूडीशियरी की तरफ आइये। जूडीशियरी का उद्देश्य यह है कि जनता को इनसाफ मिले, कम पैसे में मिले और जल्द मिले। लेकिन आजकल हालत यह है कि न तो उसे राहत मिलती है और कम पैसे की हालत यह है कि साधारण हैसियत के आदमी के लिये न्याय प्राप्त करना असम्भव सा हो गया है, जो कि किसी भी बेहतर स्टेट के वसूल के खिलाफ है। सिविल अपीलें १० और १२ साल तक चला करती हैं और मर्डर आदि के केसेज की अपीलें ६ से ८ महीने में फैसल हो पाती हैं। इतने लम्बी अर्से के बाद कहीं जाकर फैसला हो पाता है। १०-१२ साल तक मुकदमा लड़ना और पैसा अन्धाधुन्ध खर्च करना साधारण स्थिति के आदमी के लिये कैसे सम्भव हो सकता है? सिर्फ मंत्रियों में इस समय माननीय गेंदा सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि उससे भी खतरनाक बात यह है कि जूडीशियरी से अब धीरे-धीरे ईमानदारी और निष्पक्षता की बात हटनी शुरू हो गई है और यह इस लिये कि सरकार से जो को अवकाश प्राप्ति के बाद फिर जगह दी जाती हैं। एम्प्लायमेन्ट देकर उन्हें आप भ्रष्ट करने का प्रयास मत कीजिये। यह चीज आपके लिये तो हानिकारक है ही और सभी के लिये बहुत खतरनाक है। इस ईमानदार सरविस को ईमानदार और रहने दीजिये। ईमानदारी को tamper करने की कोशिश मत कीजिये।

एक बात मैं और बहुत आजजी के साथ कहना चाहता हूं कि एल० आर० का डिपार्टमेन्ट गवर्नमेन्ट का डिपार्टमेन्ट बना लीजिये। मैं चाहता हूं कि एल० आर० डिपार्टमेन्ट के लोग मुस्तकिल तौर judicial service में फिर से वापस न जायें। होता यह है कि जूडीशियरी के लोग जब एल० आर० डिपार्टमेन्ट में आते हैं तो वह अनेकों तरह से आपका फेवर लेते हैं, बीसों मामलों में आपको फेवर करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, इसलिये वह उस समय आपके अन्डर रहते हैं। एल० आर० डिपार्टमेंट में आने के बाद आप उनको judiciary deptt. को वापस मत कीजिए। क्योंकि फेवर वाली बात की आदत उन्हें वापस जाने के बाद भी बनी रह सकती है, जिससे न्याय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जब वह वापस जाते हैं तब भी उनमें फेवर वाली परम्परा बनी रहती है और वह पूरी तरह से ईमानदार और सरकारी काम करने में असमर्थ रहते हैं।

बनारस यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित घटना के विवाद के समय हमारे दल के माननीय नेकराम शर्मा ने एक जज के बारे में कुछ बातें कही थीं, मैं नहीं जानता कि सही या गलत उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं किन्तु उस बात से इतना स्पष्ट हो जाता है कि जनता का विश्वास उन जजों पर से हट जाता है। मैं बुलन्द आवाज में कहना चाहता हूं लोगों का पब्लिक सर्विस कमीशन से फेथ हटता जा रहा है, अब उस पर से जनता का विश्वास दिन-दिन कम हो रहा है। लोग खुली तौर पर कहते हैं कि यहां सिफारिश चलती है। विभागीय Candidates के चुनाव के बारे में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक-दो साल पहले बरेली में सेलेक्शन हुआ, जिसमें १२ सौ कैन्डीडेट बुलाए गए। एक दिन में ११ से ५ बजे तक, एक घंटे के खाने के ब्रेक के बावजूद इतने समय में उन सारे लोगों का इन्टरव्यू हुआ। इतने कम समय में सारे इन्टरव्यू हो गए, यह सुनकर आपको हैरानी होगी। यदि सारे लोगों से सिर्फ उनके नाम ही पूछे जायं, फिर भी इतने कम समय में इतने लोगों का इन्टरव्यू हो जाना किसी हालत में भी मुमकिन नहीं है। बात यह थी कि लिस्ट पहले से तैयार थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने गरीब लड़कों का धन और समय क्यों नष्ट किया जब आपकी लिस्ट पहले से तैयार हो गयी थी?

अब आप एग्रीकल्चर विभाग को लीजिए। तो आज भी १८ साल के बाद हम खाना बाहर से मंगा रहे हैं। हमारी भूमि उपजाऊ होते हुए भी हमारा (food) प्रोडक्शन काफी नहीं हो रहा है। कुछ अवश्य बढ़ रहा है, लेकिन वह चींटी की चाल से बढ़ रहा है, वह हाई स्पीड की चाल से नहीं बढ़ रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के लोगों को खिलाने की जरूरत पूरी हो सके। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि गेंदा सिंह जी इस डिपार्टमेंट के यहां पर बैठे हुए हैं। आलू की समस्या पर आप विचार कीजिए, आलू की कीमत इधर कितनी अधिक घट गयी , इसे आप देखिए और यह देखिए कि उससे किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। मैंने उसी वक्त कहा था कि आलू पैरिशेबिल कमाडिटी है। जिस वक्त ज्यादा माल आएगा दाम बहुत कम हो जायेंगे और काश्तकार को बहुत नुकसान होगा। इस कड़वे अनुभव का नतीजा यह होगा कि अगले साल आलू की काश्त की खेती कम हो जायगी। मैंने उस वक्त कहा था कि यह हालत मत आने दीजिए। कोल्ड स्टोरेज की हालत अजीब है। माननीय मन्त्री जी से विभाग के अफसरों ने कहा कि सब ठीक है। ५ रु० बोरी पर जो आलू रखा जाता था वह अब ८ रुपए १० रुपए बोरी पर रखा जाता है। कीमत की बात छोड़ भी दीजिए लेकिन आज आलू का काश्तकार कोल्ड स्टोरेज वालों का गुलाम है। उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे तो अपने स्टोरेज में आलू रखे या न रखे। आलू में काश्तकारों की गर्दन इन cold storage वालों के हाथ में है।

अब इर्रीगेशन की बात लीजिए। नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल्स खराब हैं। एक-एक जिले का सर्वे कीजिए, अधिकांश ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। नहरों की हालत यह है कि न पर्याप्त मात्रा में पानी है और न वह समय पर मिलता है। उसकी वजह यह है कि पानी तो उतना ही है जितना नहर बनाने के समय पर था। लेकिन आपने उसका विस्तार बढ़ा दिया है। शारदा कैनाल पर सैकड़ों मील रजबहे बढ़ा दिये लेकिन पानी की मिकदार वही रही। आप चीप पापुलरिटी चाहते हैं। आबपाशी का दाम आप पूरा लेते हैं लेकिन न पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं और न वक्त पर ही उनको पानी मिलता है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आप ट्यूबवेल्स के लिए तकावी भी देते हैं और सबसीडी भी देते हैं। कुआं बन जाने के बाद जब आपका डिपार्टमेंट tubewell या कुएं को पास कर देता है तब तकावी के रुपए में से सबसीडी काटकर बाकी रुपया वापस लेना चाहिए लेकिन आज पूरा रुपया दिया जाता है और सबसिडी अलग से दी जाती है। यही करप्शन की जड़ है। मैं कहता हूं कि तकावी में से सबसीडी का रुपया काटकर १० साल या ५ साल का इन्सटालमेंट जो भी हो वसूल कर लिया जाए।

अब मैं पुलिस पर आता हूं। क्या कहूं पुलिस के बारे में इतने वाक्यात सदन के सामने आ चुके हैं जिनका कोई शुमार नहीं है। एक ही बात कहना चाहता हूं वह यह है कि अनुशासित से अनुशासित समाज में भी फौरी provocation पर जनता उत्तेजित हो सकती है गोकि यह उम्दा बात नहीं है लेकिन यह बात समझ में आ सकती है लेकिन ला ऐन्ड आर्डर के गार्जियन्स लेट लूज हो जायं तो देश की क्या दशा होगी? जिस फोर्स की आप भरती करते हैं तनख्वाह देते हैं, ट्रेन करते हैं, किस लिये, इसीलिये कि वे अनुशासित रहें। पुलिस की अनुशासनहीनता की यह हालत हुई किस दिन से? अंग्रेजों के जमाने में पुलिस अनुशासित नहीं थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं नेदरसोल का जिसके बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि नीयरेस्ट लैंप पोस्ट पर लटका कर फांसी दे देनी चाहिये। वह भी जब बनारस यूनिवर्सिटी में पुलिस लेकर आया तो पहले उसने वाइस चांसलर को बुलाया और उनसे कहा कि हम डिफेंस आफ इंडिया के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी को बन्द करना चाहते हैं। आप हमारे साथ आइये। वह जानता था कि यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है। वह ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। वह विदेशी था, शासक की हैसियत से गुलामों से डील कर रहा था लेकिन उसने भी यह किया, वायस चांसलर को लेकर पुलिस के साथ युनीवर्सिटी में दाखिल हुआ और यूनिवर्सिटी के लड़कों को ट्रक में भर कर स्टेशन पहुंचा दिया। यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई जुर्म होता है तो यह कोई नहीं कहता है कि आप उसे न पकड़िये, आप उसे अवश्य रोकिये, लेकिन कायदे के साथ सारी

[श्री भगवान सहाय]

चीजें होती हैं। यह हालत कब से बिगड़ी। मैं आपके द्वारा इस सदन को पंत जी के जमाने में ले जाना चाहता हूं। जब सबसे पहले बरेली में स्टूडेंट्स में और पुलिस में मुठभेड़ हुई झगड़ा हुआ। नतीजा क्या हुआ? पूरी पुलिस की बटालियन वाइल्ड हो गयी और लेट लूज हो गयी और स्टूडेंट्स को मारा, इंटरमीडियेट कालेज के प्रिन्सिपल को घर से निकाल कर मारा। लेकिन यहां से उनको पनाह मिली। सरकार ने इस चीज को अपनी prestige की चीज बता ली। पुलिस वालों की बगावत पर कोई सजा नहीं दी गई। उस दिन से पुलिस की अनुशासनहीनता की व जनता से बदला लेने की बुनियाद पड़ी जिसकी शक्ल आज देखते हैं। वही बुनियाद पड़ी इस पुलिस राज्य की जिसको आज हम देख रहे हैं। अगर कहीं पर पुलिस फोर्स इन्डिसिप्लिन्ड हो जाय तो फिर उसके इसी तरह से नतीजे सामने आते हैं। इसीलिये किसी भी समाज में पुलिस फोर्स को इस तरह से इन्डिसिप्लिन्ड होने का वाक्या नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। उस पर कड़ा दंड अवश्य देना चाहिये।

उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का किस्सा हुआ जिसमें हमने उसी बात को देखा कि पुलिस ने लड़कों को ढूंढ़ ढूंढ़ कर मारा। इलाहाबाद में सिनेमा का किस्सा हुआ। उस समय मैं इलाहाबाद में था और यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो पुलिस की कैजुवल्टी होती थीं उनको पुलिस को लाते हुये देखा है। पुलिस ही उन कैज्वल्टी को ला रही थी लेकिन पुलिस सिविल कैजुवल्टी को नहीं ला रही थी। हम सरकार से इस बात के जानने के मुस्तहक हैं कि क्या हम पुलिस को इसी वजह से तनख्वाह देते हैं कि वह हमारे ऊपर जुल्म का बदला लेने की कोशिश करे। गोरखपुर फरटीलाइजर कारखाने का किस्सा हुआ। वहां पर भी इसी से पुलिस ने वर्कर्स के साथ ज्यादती की। मुरादाबाद में लड़कों का किस्सा हुआ। इसी तरह लखनऊ में यूनिवर्सिटी में फिर लड़कों का किस्सा हुआ और लड़कों को मारा गया और फिर उसके बाद यह बनारस यूनिवर्सिटी का वाक्या हुआ। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर इस वक्त यह सरकार यहां पर जनता के बल पर है या पुलिस की लाठी और डंडे के बल पर है? यह हमारे सामने एक बड़ा मसला है जिसको तय करना पड़ेगा। उसके नतीजे में हमें भारी दिलचस्पी है जो हमारे भविष्य में क्या कदम उठेंगे इस पर निर्भर है और मैं इस बात को जानता हूं कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं वह भी इसमें हमारे साथ हैं सिर्फ मंत्रिमंडल के सदस्य ही इस तरह के हैं जो अपनी पावर को अपने हाथ में रखने के लिये यह सारी बातें कर रहे हैं।

ताज्जुब की बात यह है कि जब चीन का अटैक, हुआ हमारे मुल्क के लोगों से एक अपील की गई कि लड़ाई लड़ने के लिये और मुल्क की हिफाजत करने के लिये नेशनल डिफेन्स फंड में रुपया दो। उस वक्त जनता के हर एक आदमी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी ने चन्दा दिया। अमीर ने दिखावट के लिये दिया लेकिन गरीब ने उसमें अपनी ताकत के हिसाब से अपना पेट काटकर पैसा दिया। उस फंड में बहुत पैसा लोगों ने दिया। यह बात सब को मालूम है कि उस फंड से १ करोड़ ५५ लाख रुपया पुलिस फोर्स के लिये ले लिया गया। पुलिस की खिदमत के नाम पर यह रुपया ले लिया गया। उनसे कहा गया कि लो तुमको यह इनाम दिया जाता है तुमने बनारस यूनिवर्सिटी के लड़कों को सबक सिखाया। तुमने बरेली स्टुडेंट्स को सबक सिखाया, शाबाश तुमको यह इनाम दिया जाता है। गोरखपुर फरटीलाइजर फैक्टरी के वर्कर्स को तुमने सबक सिखाया इसलिये तुमको यह इनाम दिया जाता है। अब एक उसूल का सवाल पैदा होता है कि आखिर यह १।। करोड़ रुपया नेशनल डिफेन्स फंड का यह रुपया गैर डिफेन्स के काम लिये लाया गया था। यह सरकार के पास आना चाहिये था। इस तरह से उसमें क्यों दखल दिया गया? सरकार के पास आता तो सरकार तय करती या लेजिस्लेचर तय करता कि इसको पुलिस फोर्स को देना चाहिये या नहीं या किसको देना चाहिये। मगर यहां पर जनता की बात तो बहुत कही जाती है। लेकिन इस तरह की बातों पर सरकार ध्यान नहीं देती

और मनमाने ढंग पर अपना काम करती है, दो चार आदमियों की मनमानी कमेटी बनाकर इस रुपये का अलग ट्रस्ट बना । जनता के विश्वास पर विश्व सघात करना है । किसी भी नैतिकता के आधार पर, न कानून के बल पर ही यह बात सही हो सकती है । अधिष्ठाता महोदय, मुझे दो मिनट और दे दीजिये । एक और गंभीर बात है और वह है स्टूडेंट इन्डिसिप्लिन । आज students के स्ट्राइक होते हैं, झगड़े होते हैं । आखिर इस बात को सोचा जाना चाहिये कि क्या हमारे विद्यार्थी पागल हो गये हैं ? इसकी वजह एक है और वह यह कि आज का हमारा स्टूडेन्ट अपने उज्ज्वल भविष्य की बात सोच नहीं सकता । उसके सामने कोई ध्येय नहीं है । आखिर वह करे क्या ? वह मजबूर हो जाता है और फ़्रस्ट्रेटेड आदमी की तरह से गलत काम कर बैठता है । यह मुल्क के लिये अच्छी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इसके लिये आपको एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिये जो इसकी छानबीन करे और खोजे कि इसके कारण क्या हैं, इसका उपाय क्या है । आज जनता में सरकारी संस्थाओं की ओर से विश्वास मिटता जा रहा है । यह खतरनाक हालत पैदा कर सकती है, इसको रोकिये ।

इसके अतिरिक्त आज कल ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल हो गयी है । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जितने आफिसर लखनऊ में आते हैं वे यहां से चले जाने के बाद मकान नहीं छोड़ते । इसके लिये सरकार इंक्वायरी कराये कि जितने अफसर यहां रहकर चले गये हैं उनमें से कितनों के पास अभी भी मकान हैं जबकि एक सरकारी नियम है कि अगर सरकारी अफसर का तबादला हो जाता है तो उसे ६ महीने बाद मकान छोड़ देना चाहिये । ह्यमन कंसीडरेशन्स हो सकते हैं, लेकिन ५, ६ वर्ष तक मकान रोके रहना ठीक नहीं है । मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं और मजबूरन नाम लेना पड़ता है, हालांकि जिनका नाम लेने जा रहा हूं उनको इस हाउस के प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है । श्री जी बी० पांडेय जी के पास एक सरकारी मकान है फिर भी उन्होंने अपने लड़के के नाम एक मकान एलाट करा लिया है, बहुत बड़ा मकान है, लड़का भी मेडिकल कालेज का स्टूडेंट है और अविवाहित है । क्या सरकार इस बात का कोई भी justification दे सकती है ?

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं । एक पुस्तक है टक्नो इकोनामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश, इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सी नाकामयाबियों की बात बतलायी है और वह इस सिलसिले में लिखते हैं:

"It is reported that the attitude of the local officers in the grant of essentiality certificates, distributions of quotas, recommending the cases for licences, endors ment of labour laws, etc. has been too bureaucretic and rather unhelpful. There have been nstances where the licences granted for U. P. have been transferred by industrialists to adjoining S ates because of unsympathetic attitude of local officers. It is necessary to look into the prob ems of the local entrepreneurs, simplify the rules and pr cedures, ensure quick action on complaints and interpret laws in the spirit in which they are made rather than taken them as excuses for delay and in ction."

यह हालत हो गयी है । इसी तरह से एक टेक्निकल कालेज के प्रोफेसर थे । उनको मकान मिला लखनऊ क्लब के पास । उनके पास एलाटमेंट आर्डर मौजूद है, लेकिन एक साहब वहां जाकर बैठ गये और वह निकाले नहीं जा सकते । उनके खिलाफ कानून भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता । नतीजा यह है कि उनको मकान नहीं मिला । अभी हाल ही में नेशनल हेराल्ड के एक मिस्टर अग्रवाल हैं, उनको मकान एलाट हुआ । लेकिन उसमें दूसरे साहब जाकर बैठ गये । इसका नतीजा भी यही हुआ कि उनको मकान नहीं मिल सका और इन आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और सरकार से यह अपील करता हूं कि उसे सख्त कदम लेना चाहिये । एक बार अकबर बादशाह से किसी

[श्री भगवान सहाय]

साहब ने पूछा कि बादशाह के फरायज क्या हैं तो उसने कहा कि बादशाह का काम यह है कि कोने कोने में सूरज की रोशनी पहुंच जाय। तो मैं मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि वह इन इन फाइलों को उठा कर फेंक दें और अपनी पालिसीज की तरफ ध्यान दें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, कुछ दिन हुए जब मेरी आचार्य कृपालानी से बातें हो रही थीं। उस दौरान उन्होंने मुझ से कहा कि मुकन्दी लाल, अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि हमारा भारत, हमारा देश आजाद हो गया है। उनका तात्पर्य यह था कि हमारे सिपाहियों ने, हमारे अफसरों ने, सारी सेना ने, संसार को बतला दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, भारत कितना बलवान है, और हम कितने आत्म त्यागी हैं। यह बात याद रखने लायक है और वह लोग कौन हैं जिनके कारण आचार्य जी ने यह बात कही। वह हमारे सिपाही हैं। हम अपने सिपाहियों के लिये क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे राज्यपाल महोदय ने यह कहा था कि "हमारे वह वीर जवानों की पत्नियां तथा बच्चों तथा अन्य आश्रितों के शिक्षा शुल्क तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिये आवश्यक छूट की व्यवस्था की गयी है। उन्हें छात्रवृत्ति आदि प्रदान की गयी हैं।" किन्तु इस बजट में यह नहीं कहा गया है कि हम उन सिपाहियों के लिये जिन्होंने भारत के लिये अपनी जान लुटा दी, क्या करने जा रहे हैं। उनके लिये कोई खास व्यवस्था नहीं की गयी है जो की जानी चाहिये थी। यह बजट एक प्रकार से हमारी मिनिस्ट्री का स्वांग है। यह हमारा आखिरी समय है। बजट तथा इस पर हुए भाषणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इस प्रान्त में गंगा जमुना बहती हैं, इसी प्रान्त ने देश को सर्व प्रथम एक स्त्री प्राइम मिनिस्टर दी है, इसी प्रान्त में सर्व प्रथम एक स्त्री मुख्य मंत्री हुई, इसी प्रान्त में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं और सबसे ज्यादा डिस्टरबेंसेज भी यहीं होते हैं। इसी राज्य के मेम्बर सबसे अधिक वाक आउट करते हैं। हम हर बात में बात आगे रहते हैं। मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं। गढ़वाल जिले में २५ से ३० फीसदी तक लोग फौज में। उनके लिये बहुत कुछ किया जाना चाहिये, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके लिये हमारे पास रुपया नहीं है और इसलिये नयी सड़कें नहीं बनेंगी। यह वह गढ़वाल है जिसने हमारा सिर ऊंचा रखा और वह सारी सीमा की रक्षा कर रहा है। १९४७ से ६३ तक वहां केवल २२ मील सड़कें बनी हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वे हमारी सड़कों की कमी को पूरा कर देंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संकट कालीन समय आ गया है और इसलिये अब नई सड़कें नहीं बन सकेंगी। इसी तरह से हमारे खाद्य मंत्री ने इस बात का वचन दिया था कि कोटद्वार में जो अपने लिये अनाज, धान कुटवायेगा, खाने के लिये उससे लेवी नहीं ली जायगी, लेकिन अब एक आर्डर हो गया है कि जो खाने के लिये ५–१० सेर भी कुटवाये तो उसको भी लेवी देनी पड़ेगी। बाजार में सरकार तो लेव द्वारा २६ रुपये मन चावल लेती है और हम बाजार में ४५ रुपये मन चावल ले रहे हैं। गढ़वाल वह जिला है जिसमें हमेशा से अनाज की कमी रही है। कोटद्वार भावर में केवल ७५ हजार मन धान पैदा होता है जो वहां से गढ़वाल जिले के अन्दर जाता है। आज तक हम सरकार को धन्यवाद देते थे कि कम से कम खाने वालों से लेवी का प्रतिबन्ध नहीं होगा। कोटद्वार में जो शेरर मिल हैं उनके अलावा जो छोटी-छोटी चक्कियां हैं उनसे लेवी भी नहीं ली जाती थी। अबकी बार जब मैं कोटद्वार गया तो वह चक्की वाले भी रोते हुये आये और कहा कि हमसे भी लेवी ली जायगी। फिर जो चावल छोटी चक्कियों में कुटा वह तो खत्म हो गया, लेकिन उनसे कहा गया है कि मार्च तक तुमको उस चावल की भी लेवी पूरी करनी पड़ेगी। जब चावल कूटकर कुटवाने ले गये तो कहां से वह उसकी लेवी में देंगे? यह दृष्टान्त दे रहा हूं कि गढ़वाल के साथ कैसा सलूक इस अन्नाकाल के समय हो रहा है।

अब गढ़वाल की जनता ने वह देख लिया कि सरकार सड़क नहीं बना रही है तो उन्होंने श्रमदान फिर से शुरू कर दिया है। वे पहले २० मील सड़क श्रमदान से बना चुके हैं। अभी मैं और उप मंत्री, शिक्षा भक्त दर्शन, देखने गये थे। एक जगह पर १२ मील की सड़क श्रमदान

से लोग बना रहे हैं। स्त्रियां, पुरुष काम कर रहे हैं और सरकार उनको एक सेर आटा रोज और एक छटांक चीनी देती है। इसी पर काम कर रहे हैं। मैंने इस बात का जिक्र मुख्य मंत्री जी से किया है। सरकार की तरफ से ऐलान हो कि गढ़वाल में जो श्रमदान से सड़क बनायेंगे उनको ३० हजार मील के हिसाब से इमदाद दिया जायगा। पी० डब्ल्यू डी० के अनुसार ६० हजार फी मील तखमीना होता है तो सरकार ३० हजार मील देने को तैयार है। मैंने गढ़वाल में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से बातें की हैं और बहुत सी श्रमदान सड़कें बन रही हैं और कई और बनने को हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ऐलान होना चाहिये कि सरकार की तरफ से ५० परसेंट श्रमदान सड़कों के लिये दिया जायगा।

दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में जिक्र किया था कि हम दवा वगैरह के लिये अस्पताल बनवा रहे हैं। मैं सन् ६२ से अब तक बार-बार करता आया हूं कि गढ़वाल में एक भी टी० बी० सेनिटोरियम नहीं है। लेन्सडाउन से ८ मील नीचे ४,००० फिट की ऊंचाई में एक पाइन फारेस्ट में एक सैनिटोरियम बन सकता है। किसी ने एक प्राइवेट बनाया था, उसमें उन्होंने १६ बेड्स तैयार किये हैं डाक्टर, कम्पाउन्डर क्वार्टर भी हैं। वह बेचारे डाक्टर जो चला नहीं सके उसे ५० हजार में सारी भूमि भी और मकान भी देने को तैयार हैं। लेकिन उसके लिये ५०,००० रुपया तक भी खर्च सरकार नहीं कर सकी जो कि इतनी बड़ी सेवा है।

गढ़वाल में एक समाचार पत्र है जिसके बाबत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे भारतवर्ष में इतना उच्च कोटि का हिन्दी साप्ताहिक दूसरा नहीं मिलेगा, जिसका एडिटोरियल जनरल सेक्रेटरी यू० एन० ओ० ने तरजुमा कराके यू० एन० ओ० के सदस्यों को बंटवाया है। मेरा मतलब कर्मभूमि से है। उस पेपर को विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। वह बहुत पुराना पेपर है और उसने देश की आजादी के लिये बहुत कुछ काम किये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसको विज्ञापन दिये जायं। उसका ढाई हजार का सर्कूलेशन है, उतना सर्कूलेशन शायद ही और किसी पेपर का हो।

(इस समय ३ बजकर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

हमारे यहां डाक्टरों की भी कमी है। अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। इसके लिये सरकार को चाहिए कि वह पंजाब सरकार की तरह यहां भी डाक्टरों की रिटायरमेंट एज बढ़ा कर ६५ साल कर दे। इससे काफी हद तक यह कमी दूर हो जायेगी और बहुत से डाक्टर मिल जायेंगे।

एक सुझाव मेरा यह भी है कि जो हमारे यहां लैंसडौन में इन्टरमीडिएट कालेज है उसको डिग्री कालेज कर दिया जाय। बहुत दिनों से हमारे यहां की जनता यह मांग करती आ रही है और इसकी बहुत आवश्यकता है।

हमारे यहां की एक दुगड्डा रतवाड़ाक २६ मील की कच्ची मोटर सड़क है जो बहुत पुरानी है। उसको सरकार ने पहले पी० डब्ल्यू० डी० को देने का निश्चय किया था, किन्तु वह अभी तक उसको नहीं दी गई। उसका पक्की बारामासी बनाना बहुत आवश्यक है। यदि उसे P. W. D. को नहीं सौंपा जाता है जो जंगलात ही उस बारामासी बना दे जो कि वे कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्तमान बजट, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उस शीशे की तरह है जिसमें हम अपने राज्य की आर्थिक तस्वीर देख सकते हैं। उसमें यह तस्वीर देखने से पता चलता है कि यह बजट रक्तहीन है, एनेमिक है, उजड़ी तथा गिरती हुई हालत को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

बताता है । किसी भी राज्य के लिये यह बड़े अफसोस की बात है कि उसका बजट इतना खराब हो आज के विकास की इस अर्थ व्यवस्था के समय में । श्रीमन्, हमारे राज्य की एक सुन्दर परम्परा रही है, स्वतंत्रता के आन्दोलन में भी वह अग्रणी रहा है, और इसकी सांस्कृतिक परम्परायें भी उच्चकोटि की रही हैं । पूरे देश की अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये हमें यह कहना पड़ता है कि हम सबसे अधिक पिछड़े हुये हैं, जिन्दगी के हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुये हैं और उस ओर हमारी सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है । इस बजट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को उसका बिलकुल ही एहसास नहीं है । उसको यह पता नहीं है कि हमारी समस्यायें क्या हैं । जब उसको इस बात का ही एहसास न हो, तो वह कैसे किसी समस्या के हल के लिये कदम उठा सकती है ? अगर सरकार के बजट का यही पैटर्न रहा और यही आर्थिक नीति रही तो आगे के आने वाले १० वर्षों में यह प्रदेश और भी पिछड़ जायेगा । श्रीमन्, आज हमारी प्लान इकानामी के अन्दर चल रही है । क्या वह हमारे उन आब्जेक्टिव्स को विज्ञप्त करती है ? आज हमारी एकोनामी के आब्जेक्टिवस क्या हैं ? हमारी जो नियोजित अर्थ व्यवस्था है उसका कुछ मकसद हमारे सामने हैं । हमने बहुत सफाई के साथ कहा है कि हम तीव्रता के साथ अपनी अर्थ व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं । हम रोजगार के साधन इकट्ठा करना चाहते हैं । हम लोगों की आय व धन की खाईयों को पाटना चाहते हैं । हम चाहते यह हैं कि आज कुछ हाथों के अन्दर धन का विकेन्द्रीयकरण न हो जाय ताकि आज आम जनता दुःखी और परेशान न हो। अगर इस कसौटी के अन्दर देखें तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था में हमारी प्लानिंग में जितने आब्जेक्टिव्स बने हैं वे सब के सब फेल हो गये हैं, हमारे प्रदेश के अन्दर उसकी वजह यह है कि हमारे इस बजट के अन्दर दूरदर्शिता का अभाव, साहस का अभाव है और सरकार कांपते हुये पैरों से आगे बढ़ रही है और इसलिये जनता की मुसीबत बढ़ती चली जा रही हैं ।

श्रीमन्, बहुत आंकड़े पेश किये गये । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये बताना चाहता हूं कि जो लेटेस्ट आंकड़े मिलते हैं अपनी किसी दूसरे सूबे की कांग्रेस हुकूमत के अन्दर तो उनसे जाहिर होता है कि वे सूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । श्रीमन्, महाराष्ट्र में पर कैपिटा इन्कम ४६८ रु०, वेस्ट बंगाल में ४६८ रु०, पंजाब में ५५१.२ रु० और उत्तर प्रदेश में ३४० रु० ही पर कैपिटा इन्कम है । ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि हम हवाई बातें करते हैं । हमको इस बात का अहसास नहीं है कि हमारे प्रदेश के अन्दर गरीबी किस तेजी के साथ घर करती जा रही है । हमारे प्रदेश के अन्दर समस्यायें कितनी गम्भीर होती जा रही हैं इसका बजट के अन्दर उल्लेख नहीं है । आज सरकार जो कुछ भी कर रही है मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कुछ काम आजादी के बाद हुये हैं और काफी अच्छे हुये हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है । लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि आज इस प्रदेश के अन्दर ८० फीसदी जनता जो गांवों में रहती है या शहरों में रहती है, छोटे किसान ८० फीसदी हमारे कर्मचारियों में छोटे कर्मचारी ८० फीसदी, हमारे पूरे के पूरे मजदूर तबके, मध्यम वर्ग के ८० फीसदी जनता की परचेजिंग कैपेसिटी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है और ३० फीसदी और ८० फी सदी के बीच की खाई पिछले १६ वर्षों में लगातार बढ़ी है और अगर एकोनामी का यही ट्रैन्ड रहा तो यह जनता के आर्थिक विकास को बढ़ाने वाला नहीं है। आपका कृषि के ऊपर ज्यादा रुपया खर्च करने से यह मसला हल होने वाला नहीं है। यह बात सही है कि आप साधन जुटायेंगे लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला कौन होगा ? कृषि के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, देना भी चाहिये। लेकिन साठ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ढाई एकड़ से कम होल्डिंग्स हैं जो सरकार की दी गई सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वे नहर, ट्यूबवेल और पानी की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों में उनका जीवन दूभर हो गया है। अगर इस खाई को पाटने की कोशिश नहीं की गई तो मुझे खतरा है कि आने वाले दस सालों के बाद भयंकर राजनीतिक और आर्थिक संकट इस प्रदेश के अन्दर खड़ा होगा जिसका हमें मुकाबिला करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि वह खतरनाक स्थिति है और हम भूकंप के मुंह में बैठे हुये हैं, अगर इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे मध्यम वर्ग या गरीब तबके के लोग परेशान हैं ।

आज कृषि के लिये बड़ी योजनायें चली हुई हैं। बीज और फर्टीलाइजर की बात करते हैं, खेत बांटने की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये योजनायें इतनी विस्तार में हैं कि इनसे आपका मुख्य नारा निकल नहीं पा रहा है और आज जरूरत इस बात की है कि हम साधनों को फैलाये नहीं। जरूरत इस बात की है कि सिंचाई को मुख्य नारा बना कर सारी शक्ति सिंचाई पर लगायें और आम किसान को पानी मुहैया कर दें। तो मैं कह सकता हूं कि आप आने वाले चार पांच साल के अन्दर इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कुएं बनवा रहे हैं, यह बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिये कि केवल १० फीसदी लोग ही उससे लाभ उठा पायेंगे। इसके लिये आवश्यक है कि आप १-१, २-२ एकड़ के १०-१५ किसानों को लेकर कोआपरेटिव सोसाइटी बनायें, जो कुंआ सोसाइटी कहलायें और उसके लिये आप कुआं बनवा दें। इससे ५७-५८ प्रतिशत किसानों को पानी मिल जायगा। बड़े लोगों के पास तो वैसे से ही साधन हैं, वह तो अपने आप ही बना सकते हैं और उनको बनाना ही चाहिये।

इसके अलावा नये किसानों को आपको नई ऐजूकेशन देनी चाहिये। आप जो प्लानिंग के स्टाफ को कम करने की सोच रहे हैं, यह फाल्स सेन्स आफ एकोनामी है। आप साहस से काम लीजिये और उनके जिम्मे एक एक काम कर दीजिये। वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर गांवों में कोआपरेटिव की स्थापना करें, कुओं को खुदवायें। इससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है कि आप एक जगह से आदमी को हटा कर दूसरे नाम से उसे दूसरे स्थान पर रख दें। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है।

हमारे पास साधनों की कमी है। केन्द्रीय सरकार भी हमारे साधनों की कमी को पूरा नहीं कर सकती है। हमारा जो ३ अरब का बजट है वह ५ अरब का होना चाहिये था तब हमारा १० वर्ष पीछे गया हुआ प्रान्त आगे बढ़ सकता था। अगर आपको इस समस्या का समाधान करना है तो आपको जरा साहस से काम लेना होगा। लगान में ४ आना बढ़ाया है, ठीक है। सरकार के साधनों का इस्तेमाल करके बड़े किसानों ने लाभ उठाया है, पैसा कमाया है। उन पर आप लगान बढ़ाइये और जो अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं उन पर लगान माफ कीजिये। इससे आपकी आमदनी कम से कम १० करोड़ रुपया सालाना बढ़ सकती है। आज हमें सोचना है कि साधन कहां से आने हैं। उत्तर प्रदेश को साधन ढूंढ़ना पड़ेगा। आज हमारा टैक्सटाइल उद्योग सबसे बड़ा है। अगर वह आपके एरियर्स को नहीं देता है, मजदूरों को बोनस नहीं देता है, प्रबंध ठीक से नहीं करता है तो आपको उनको टेक ओवर करना चाहिये। इतना बड़ा साधन आपने पूंजीपतियों के हाथ में सुपुर्द कर दिया है। एक न एक दिन टैक्सटाइल मिल्स और शुगर फैक्टरीज को सरकार को अपने हाथ में लेना होगा। इससे सरकार की आमदनी कम से कम २०-२५ करोड़ सालाना की बढ़ सकती है। टैक्सों का जो इवेजन हो रहा है उसको भी आपको रोकना होगा। जयपुर के अन्दर देखा आपने कि सुब्रह्मण्यम साहब ने एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री को गिरों रख दिया। वहां इस पर तूफान मच गया। उसकी बड़ी भारी आलोचना वहां पर हुई। लेकिन यहां पर रिहन्द डैम जो जनता के लिये निर्माण किया गया था बिरला के हाथों बेंच दिया गया लेकिन उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा। १९६५ की आडिट रिपोर्ट में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि रिहन्द डैम की वह बिजली जो सरकार को ३.१६ पैसे प्रोडक्शन कास्ट पर पड़ती है उसको सरकार ने २ पैसे से कम के ऊपर दे दिया और इस तरह से हर साल ५० लाख सबसिडी पर बिरला को दे दिया। इस तरह से १२ साल में ६ करोड़ का लाभ उन को होगा। इस तरह से इजारेदारी और पूंजीवादी को प्रश्रय दिया जाता है। पंजाब में वहां की सरकार ने हरिजनों के लिये जिस जमीन का देना निश्चित हो गया था उस को बिरला को फार्म के लिये दे दिया। इस पर कांग्रेस के और शिड्यूल कास्ट के लोगों ने सदन में वाक आउट किया और सरकार को मजबूर हो कर उस पर पुनर्विचार करना पड़ा और अपने निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा। आज इस सरकार की वह स्थिति है कि उसके बयान में परिवर्तन है और उस की जो

[श्री चन्द्रजीत यादव]

ऐसी टेंडेंसी है और जो यह ट्रेन्ड उसका है उसमें तब्दीली की जरूरत है। आपने २५ साल के लिये इस तरह से गिरों कर दिया और १० प्रतिशत से अधिक फिर भी इजाफा नहीं किया जा सकता। इस तरह से गरीबों के अधिकारों का विरोध और पूंजीपतियों की हिफाजत की जाती है, यही ट्रेन्ड यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों में घर करता चला जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि मजबूती के साथ कांग्रेस के अन्दर के लोग और बाहर के लोग, वह ताकतें जो देश की प्रगति के लिये प्रगतिशील हैं, जो आज के नक्शे में तब्दीली चाहते हैं उनके लिये जरूरी है कि वह अब मजबूती से कदम उठायें।

दूसरी बात जिसके ऊपर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे सूबे में जो वीकर सेक्शन आफ दि सोसाइटी है, जो हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो माइनरिटी कम्युनिटी हैं, जिनको हम अकलियत के लोग कहते हैं उनकी समस्याओं पर यह सरकार उचित ध्यान नहीं देती। १८-१९ साल के स्वराज्य के बाद आज भी हरिजनों की स्थिति दयनीय है। उनके पास जमीन नहीं हैं, साधन नहीं हैं और हमारे संविधान में जो उनके लिये गारन्टी है, नौकरियों में उनके प्रतिशत की और उन के वजीफे और शिक्षा की उनका समाधान इस सरकार ने नहीं किया है। जो सरकार अपने को सोशलिस्ट और कल्याणकारी सरकार कहती है उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारे वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में कहते हैं कि राज्य के विकास के लिये हर नागरिक को बराबर त्याग करना चाहिये। आप एक सा त्याग अपने गरीब खेतिहर मजदूर से चाहते हैं और वैसा ही त्याग जयपुरिया और रामरतन गुप्ता से चाहते है। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत दृष्टिकोण है और उसका नतीजा यह है कि सारी आर्थिक व्यवस्था हल होने की जगह बिगड़ती जाती है और समस्या हल नहीं होती।

इसी तरह से हमारे राज्य में जो माइनारिटी कम्युनिटी है या मुसलमान हैं उनके अन्दर बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है और वह इस बात पर टची होते जाते हैं, उन की जबान का मसला है, उर्दू भाषा का मसला है, यह सही है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, उसका विकास हो लेकिन यह अक्षम्य होगा कि उर्दू को उचित स्थान न मिले। वह जबान अकेले मुसलमानों की ही नहीं है, वह दूसरे लोग भी बोलते हैं इसलिये सरकार की उसके प्रति उपेक्षापूर्ण नीति नहीं होनी चाहिये। हमारी कार्यवाही हिन्दी में छपती है, वह उर्दू में भी छापी जा सकती है। जब ५०० प्रतियां हिन्दी में छपती हैं तो वह उर्दू में भी छप सकती हैं, अल्प संख्यकों की इतनी सीमा पर विचार किया जाना चाहिये। यह उपेक्षापूर्ण नीति बहुत घातक होगी और इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

एक सदस्य—

एलेक्शन नजदीक आ रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

एलेक्शन के दिन नजदीक आरहे हैं इसको ध्यान में रखकर आप बात करते हैं और करना चाहिये। जो समस्यायें हैं उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, एलेक्शन हो या न हो हमारा ध्यान उनकी तरफ जाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि हमने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किये थे आज उनकी क्या हालत है? हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना में ५ लाख आदमी अनएम्पलायड थे और तीसरी पंच वर्षीय योजना जो कि समाप्त होने जा रही है अब वह संख्या २१ लाख तक हो गयी है। अगर पढ़े लिखे नौजवान जो निकलते हैं, उनके अन्दर बेरोजगारी पैदा होती है, उनके सामने कोई भविष्य नहीं है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह गम्भीर समस्या नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मुझे एक मिनट और बोलने दीजिये। दूसरी समस्या जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है हमारे राज्य कर्मचारियों की समस्या । उनकी लगातार मांग रही है कि हमारे प्रति सरकार की उपेक्षा बहुत से विभागों में रही, जिनमें हमारे हजारों कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी परमानेन्ट सर्विसेज नहीं हो रही हैं, चाहे वह कन्सोलिडेशन विभाग हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० हो, चाहे वह इर्रीगेशन विभाग हो । सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि हर कर्मचारी को, जिसने ३ वर्ष से अधिक किसी भी विभाग में सेवा कर ली है, उसको नौकरी पर स्थायी कर दिया जाय । अन्यथा परेशानी बढ़ ही रही है ।

दूसरी बात जो सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुझे कहनी है वह यह है कि उनको उनकी बढ़ी हुई महंगाई नहीं मिल रही है । एक साल से उसे सरकार रोके हुये हैं । मैं चाहूंगा कि इसको अविलम्ब इस फरवरी माह के अन्दर बढ़ी हुयी तनख्वाह और महंगाई भत्ता अवश्य देने की घोषणा करनी चाहिये ताकि उसमें जो असंतोष फैला हुआ है, वह समाप्त हो ।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि कई बार उठने पर आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया । जब इस बजट पर वाद-विवाद शुरू हुआ था मैंने माननीय नेता, विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर से सुना । उसमें मुझे निराशा की झलक ही दिखायी पड़ी । सबसे बड़ी बात जो मुझे चुभी वह यह थी कि उन्होंने कहा था कि उनका विचार व्यक्त करना भी विरोध मालूम होता है । उन्होंने यह भी कहा कि उनके विचारों का आदर नहीं किया जाता है । वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, अन्यथा मैं उनसे निवेदन करता कि वास्तव में उनके विचारों का आदर किया जाता है लेकिन जो चीज आदर करने की होती है, उसका ही आदर किया जाता है । आप लोगों ने देखा है कि जब गवर्नर का ऐड्रेस हुआ था उस पर भाषण हुये और अब जो भाषण हो रहे हैं, उन सबमें कोई नयी बात नहीं आयी । वे ही बातें दुहराई जा रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, पे रेशनलाइजेशन की जो स्कीम है उसे लागू नहीं किया जा रहा है परन्तु वे यह भी कहते हैं कि सब टैक्स समाप्त कर दिये जायं । लैंड रेवेन्यू के सरचार्ज को समाप्त किया जाय और साथ ही साथ विकास का कार्य भी होता रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि यह कैसे सम्भव हो सकता है कि टैक्स तो बढ़ाये न जायें पर तनख्वाह भी बढ़ा दी जाय, विकास का कार्य भी होता रहे, इन्डस्ट्रियलाइजेशन भी होता रहे, खाद्यान्न की समस्या भी हल हो जाये । तो यह कोई व्यावहारिक बात नहीं है । मैं तो यह कहता हूं कि अगर उधर (विरोधी दल के) के बैठने वाले माननीय सदस्य भी इधर कुर्सियों पर बैठ जायं तो वे भी ऐसा नहीं कर पायेंगे ।

वे कहते हैं कि बिजली की दरें कम कर दी जायें, ट्यूबवेल्स लगवा दिये जायं । किसानों को आलू की बिक्री में सबसीडी भी दी जाय तो मैं जानना चाहता हूं कि इन चीजों को मुहइया करने के लिये कौन सा जरिया अपनाया जाय । तो ऐसी बात नहीं है कि उनके विचा ों का आदर नहीं किया जाता है । उन्होंने अपने भाषण में और विशेषकर उधर के बैठने वाले बहुत से मित्रों ने यही कहा है, जितनी त्रुटियां निकाल सकते हैं गवर्नमेंट में वह निकाल कर रख दीं और जो कार्य किये हैं सरकार ने उन सब को नजरअन्दाज कर दिया । यह बड़ी भारी पुकार की जाती है कि फिजूलखर्ची की जा रही है, खर्चा बढ़ाया जा रहा है । इस के सम्बन्ध में गवर्नमेंट का दावा है कि ५ करोड़ की इकोनामी कर दी गई है ।

[श्री महावीर सिंह]

इर्रीगेशन पोटेंशियल जो प्रथम प्लान के शुरू में ७६.६९ लाख एकड़ था अब १३१.५९ लाख एकड़ हो गया हैं सन् १९६५-६६ में । तो क्या यह यों ही हो गया है, बिना खर्च किये ही ? ट्यूबवेल्स की तादाद जो पहले प्लान के शुरू में २३०५ थी उसके आखिर में ५,४४१ और दूसरी प्लान में ६,४८७ हो गई और तीसरी प्लान में ७,९२७ हो गई । यह तो स्टेट ट्यूबवेल्स की फिगर्स हैं । प्राइवेट ट्यूबवेल्स मार्च, १९६५ में ४,५५४ थे । अब मार्च, १९६६ में आशा की जा रही है कि ८,०००, हो जायेंगे ।

जो खर्चा बिजली पैदा करने पर किया जा रहा है पहले प्लान में २४.८३ करोड़ था । सेकेन्ड प्लान में ५६.७५ करोड़ हो गया और तीसरी योजना के आखिर में १०७.६ करोड़ हो गया । माननीय सदस्य इन बातों की तरफ तवज्जह तरफ नहीं करते कि किस तरह से देश की तरक्की सरकार कर रही है। ग्रामों के विद्युतीकरण को देखिये। पहली प्लान में जहां सिर्फ १० गांवों में बिजली थी, दूसरी प्लान के आखिर में २३ ग्रामों में बिजली पहुंचायी गई और दूसरी प्लान के आखिर में २११ ग्राम हो गये और तीसरी प्लान के आखिर में ५ हजार गांव होने जा रहे हैं । बिजली बढ़ाने के लिये माता टीला डम में ३० मेगावाट बिजली बनेगी, जमुना हाइडिल स्टेज वन में ८४.७५ मेगावाट, और जमुना हाइडिल स्टेज दो में ३६ मेगावाट, राम गंगा हाइडिल में १६५ मेगावाट, ओबरा में ९९ मेगावाट । थर्मल पावर स्टेशन ओबरा में कायम किया जा रहा है, उस में २५० मेगावाट बिजली तैयार हो जायगी ।

आबपाशी पोटेन्शियल जो पहली योजना के शुरू में ७६ लाख एकड़ की होती थी वह बढ़ कर १३१ लाख एकड़ हो गई है। नहरें भी १९५१ के शुरू में १९ हजार ६९ मील लम्बी थीं अब वह लम्बाई भी बढ़ कर २९,४०० मील हो गई है ।

बुलन्दशहर में भी हजारों सरकारी और प्राइवेट ट्यूबवेल बन रहे हैं और उनको बिजली दी जा रही है । हां, एक बात जरूर है कि बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद और खुर्जा में मांट ब्रांच नहर आती है । उसके सारे कुलाबे बंद कर दिये गये हैं । माननीय राममूर्ति जी यहां पर मौजूद हैं । उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक ट्यूबवेल यहां नहीं लग जायेंगे तब तक कुलाबे बंद नहीं किये जायेंगे । लेकिन सरकारी ट्यूबवेल्स से पानी नहीं दिया जा रहा है और कुलाबे बंद कर दिये गये हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इधर ध्यान दें ।

हमारे सामने साद्य समस्या का बड़ा भारी सवाल है । माननीय नेगी जी क्या करें ? उत्पादन ही कम है और बाहर से गल्ला बराबर मंगाया जा रहा है फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है । जितनी पैदावार नहीं बढ़ पाती उससे ज्यादा आबादी बढ़ जाती है । यह एक बड़ा भारी प्राब्लम है ; मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने दुनिया की आबादी का विवरण पेश करना चाहता हूं । जब ए० डी० सम्वत् शुरू हुआ तो दुनिया की आबादी केवल २०.३० करोड़ थी, १९५० में ५५ करोड़ हुई यानी करीब दुगनी हो गई । १८५० में १२० करोड़ हो गई, १९५० में २५० करोड़ हो गई, १९६० में ३०० करोड़ हो गई और १९६४ में ३३० करोड़ हो गई । अब आप देखिये कि कितनी जल्दी दुनिया की आबादी बढ़ रही है । इसी तरह से अगर दुनिया की आबादी बढ़ती रही तो खाने और रहने की कौन कहे, खड़े, होने के लिये भी जगह रखना मुश्किल है जिसको स्टैंडिंग रूम कहते हैं । इसलिये इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये प्रयास करना चाहिये ।

श्रीमन्, इसीलिये बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये ही हमारी सरकार ने फेमिली प्लानिंग का सही कदम उठाया है । लेकिन देश की जनता सहयोग नहीं दे रही है । जमीन की फर्टीलिटी कम हो गई है लेकिन मनुष्य की बढ़ गई है । जभी तो इतनी तेजी से संसार की आबादी बढ़ रही है । जब तक इसको रोका नहीं जायेगा तब तक हमारी समस्या हल नहीं

तो सकती है। इसके लिये या तो कोई महामारी आ सकती है या फिर न्यूक्लियर वैपन्स हो काम कर सकता। जिनको नर संहारी कहा जाता है। आप लोग परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने अपने ओजस्वी भाषण में विशेष बातों का जिक्र करके यहां सदन का बड़ा भारी फायदा किया। सबसे प्रथम बात यह है कि अभी जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। जिस प्रकार से रेडियो में हवा महल का प्रोग्राम होता है उसी प्रकार से जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन का प्रोग्राम हुआ। वहां पर समाजवाद की व्याख्या वहां के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से पूरे देश को इस तरह से बतलाया कि हमारे देश में क्या प्लान है, क्या नक्शा है। तो हमारे देश के लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ पाये हैं कि वास्तव में कांग्रेस किस तरह का समाजवाद देश में लाना चाहती है। यह हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि १८ वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात् भी जिस देश के लोग यह नहीं समझ सके कि हमारे देश का समाजवाद कैसा होगा। हमारे देश की जनता के लिये, हमारे देश के उन वरिष्ठ अधिकारियों के लिये जो देश का प्रशासन अपने हाथ में लेकर चला रहे हैं, अभी यह नहीं समझा पाये कि हमारे देश का समाजवाद कैसा होगा और हमारे देश के बड़े बड़े कांग्रेस के महान् दिग्गज नेताओं ने भी और सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टरों तक ने भी वहां आलोचना की और इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे कैबिनेट में अमेरिका और रूस को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। सही माने में वे रूस का गुणगान करते हैं, कुछ अमेरिका का गुणगान करते हैं और इस तरह से अपने अपने तरीके से लोग समाजवाद का अलग अलग राग अलापते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यह कहूं कि यह समाजवादी सम्मेलन या कांग्रेस मंच के ऊपर, तो वह कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, बल्कि वह हवा महल का प्रोग्राम था, जहां अपनी अपनी डफली अपना अपना राग था। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कहीं। अगर वही बातें छोटा आदमी कहता तो उसे देश का गद्दार कहा जाता, राष्ट्रद्रोही कहा जाता और न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी जातीं। बड़े आदमी चाहे कुछ भी कहें उनका कुछ नहीं होता, लेकिन छोटा आदमी अगर कुछ कह दे तो वह बड़ा भारी नुकसान कर देता है, और इस तरह से उसे बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

यह मानी हुई बात है कि हमारे प्रदेश के अन्तर्गत इन पंचवर्षीय योजनाओं में जनता के लिये क्या क्या किया गया, उसे क्या क्या सहूलियतें प्रदान की गयीं, इसको मैं आपके सामने रखूं तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। मैं सूक्ष्म में उन चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, जिसमें ८७ प्रतिशत किसान रहते हैं। यह सही बात है कि किसान इस देश की आत्मा है और यह सही है कि बगैर किसान के हमारा जीवन चल नहीं सकता। इतना समझने के पश्चात् भी अगर हमारे किसान पुलिस के डंडों से पीटे जायं, यहां के किसानों का बी० डी० ओज० द्वारा शोषण हो, उनसे मालगुजारी इस तरह से वसूल की जाय जैसे वे गुलाम हों, इस दृष्टि से अगर हम अपने प्रदेश के किसानों को देखते हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि १८ वर्ष के पश्चात् भी हमारे प्रदेश की जनता, खासतौर से ८७ प्रतिशत देहात के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी आलोचना प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर तक करते हैं। श्रीमन्, बराबर इस बात की अपील की गयी कि हमारे किसानों को वे सहूलियतें दी जायं जिससे वे अपना गल्ला इतना पैदा कर सकें कि बाहर से उसे लेने की जरूरत न पड़े। योजना के अन्तर्गत किसानों को मदद देने के लिये जितने रुपये रखे जाते हैं वे लखनऊ से निकलते निकलते न मालूम कहां चले जाते हैं कि किसानों तक बहुत कम पहुंचते हैं और किसी न किसी तरह से गलत इन्द्राज दिखला करके उनको खर्चे में दिखला दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत किसानों को देने के लिये जो रुपया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

रखा गया, सही माने में वह किसानों तक नहीं पहुंच पाया। इस योजना के अन्तर्गत ही सिंचाई व्यवस्था के लिये नलकूप, कच्चे कुएं, नहरों को गहरा करने आदि के लिये पैसे रखे गये थे, लेकिन उसका कोई भी उपयोग हमारे प्रदेश के अन्दर नहीं हो सका। यह कहने की बात नहीं है कि सिंचाई व्यवस्था के लिये नलकूप बनाने की योजना हमारे प्रदेश की सरकार ने बनायी और उसके लिये पैसा रखा लेकिन जब उसके उपयोग का प्रश्न आकर पड़ा लेकिन जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने बताया बड़े किसान लाठी के बल पर, या पैसे के असर से या इसलिए कि उनके रिश्तेदार कैबिनेट में हैं, उसके डर की वजह से, आपरेटर उनको पानी देता है। लेकिन छोटा किसान जिसके पास दो तीन या दस एकड़ जमीन है वह विकास अधिकारी या आपरेटर की मेहरबानी पर पानी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग में भी बड़े बड़े किसान घुस जाते हैं इसलिए उनको प्रशासन के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल जाता है और उनको हर एक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इसी प्रकार शहरों में जो पूंजीपति हैं उनसे ज्यादा देहात के रहने वाले गल्ले की होर्डिंग करते हैं। आज देहात के रहने वाले छोटे किसानों का गल्ला जमा कर के रख लेते हैं। यही कारण है कि आज गल्ले का होर्डिंग बजाय शहरों के देहातों में होने लगा है।

हर पांच वर्ष के बाद सरकार को देखना चाहिए कि हमारी जमीन की उत्पादन क्षमता बढ़ी है या घटी है। इतना पैसा अन्वेषण पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि हमारे साइंटिस्ट क्या काम करते हैं? सरकार को देखना चाहिए कि जो भी काम वह करते हैं उसका फायदा किसान को मिलता है या नहीं। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो सात ही मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

दस मिनट हो गये।

श्री बनवारीलाल विप्र—

दस मिनट से ज्यादा क्या कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता? अगर कोई बात कहना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है? पांच मिनट और दिये जायं?

यह तो किसान की बात है। पुलिस विभाग को सप्लीमेंटरी बजट में भी और इस बजट में भारी रकम दी जाती है। पुलिस विभाग पर बहुत से खर्चे बढ़े दिखाये जाते हैं। उसके बाद उनसे मिलता क्या है? यह शर्म की बात है। पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडे हैं। पुलिस की रहनुमाई में, बड़े बड़े अफसरों की वजह से वह पलते हैं। मैं गुंडों के आंकड़े रख दूं। केरल में १९३, आसाम में ४००, आंध्र में १,१२५, मद्रास में १,२३५, गुजरात में १२४६, इसमें ६–७ प्रदेश और बताये गये हैं। इसके अनुसार १६,८०० गुंडे उत्तर प्रदेश में पाये गये हैं। तो श्रीमन्, मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं कि आपके रहते हुये इस प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा इतने अधिक गुंडे क्यों और कैसे हैं? इतने गुंडों का होना स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि यहां पर जो एलेक्शन कराये जाते हैं, उनमें इन गुंडों का सक्रिय सहयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा लिया जाता है और उन्हीं के आतंक और शक्ति के बल पर आप लोग एलेक्शन जीतते हैं। यह गुंडे आपकी सभी प्रकार की मदद करते हैं और आप पदासीन होने पर उनको हर तरह की जायज नाजायज सहायता करते हैं, आपको अभयदान उनको देना पड़ता है। आपके गुंडे दूसरे चुनाव के सदस्यों पर और जोर असर डालते हैं उनको मजबूर करते हैं कि वह उनके सामने एलेक्शन में खड़े ही न हों और अगर खड़े होते हैं तो उनका कत्ल गुंडों द्वारा कर दिया जाता है। जिस समय मैं एलेक्शन लड़ा, हमारे खिलाफ भी इन गुंडों द्वारा कांग्रेसियों के इशारे पर षडयंत्र किया गया और मजबूर किया गया कि मैं चुनाव के मैदान से हट जाऊं। इतना ही नहीं हुआ हमारी शक्ल सूरत के लोगों को वहां पर डंडों से मारा गया। गुंडे उनके इशारे पर और इनकी छत्रछाया में पलते हैं और उनको पूरी छूट मिली रहती है। हमारे यहां एक दीवान चन्द्र ठाकुर हैं, जितने भी डकैत हैं सब वहां पर टिकाये जाते हैं। जिसके बारे में सभी को मालूम है,

पुलिस कप्तान को भी मालूम है, लेकिन पुलिस भी इन कांग्रेसी नेताओं के कारण उनके खिलाफ ऐक्शन लेने में असमर्थ रहती है ।

श्रीमन्, हमारा तीसरा प्वाइन्ट चर्म उद्योग से सम्बन्धित है जिसके बारे में मैं इस सदन में अनेकों बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं । मैं सरकार से पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चर्म उद्योग के विषय में अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और उसे भली-भांति निभाने का प्रयास करे, जिसमें प्रदेश और देश का हित निहित है । हमारे यहां आगरा के बने जूते, रूस, अमेरिका, स्वीटजरलैंड, पोलैंड और जर्मनी आदि के दूर दूर देशों से सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जरिये भेजे जाते हैं, जिससे हमारी केन्द्रीय सरकार को बहुत बड़ी राशि में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन, मुझे अभी दो मिनट का समय और दे दें । मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन जूतों को बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करती है । उत्तर प्रदेश का यह कर्त्तव्य है कि इस महत्वपूर्ण उद्योग को वह संभाल ले और इसकी बढ़ोत्तरी के लिये पूरा ध्यान दे । सरकार की तरफ से कुल केवल १ लाख ६० हजार रुपया चर्म शोधन से सम्बन्धित कार्यों के लिये बजट में दिया गया है, जबकि इस उद्योग से उसे ४८ लाख रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होता है जिस उद्योग से सरकार को इतनी बड़ी ४८ लाख रुपये की धनराशि टैक्स के रूप में प्राप्त होता हो उस उद्योग के विकास और उन्नति के लिये केवल १ लाख ६० हजार रुपया देना, उस उद्योग की उपेक्षा करना है । यह धनराशि उसके लिये किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं है । मैं तो यह कहता हूं कि एशिया के मुल्कों में जो बी क्लास और सी क्लास के जूते घरेलू बाजारों में चलते हैं उन पर सेल्स टैक्सेज क्यों लगाया जाता है ? अलीगढ़ के तालों पर सेल्स टैक्स लग सकता है, मुरादाबाद के बर्तनों पर सेल्स टैक्स नहीं लग सकता है और बनारस की साड़ियों पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण उद्योग पर सेल्स टैक्स लगाना कहां तक न्याय संगत है ? मैं सभी महानुभावों से अपील करूंगा कि जब इस वस्तकारी के कार्य को बड़े, बूढ़े बच्चे सभी घरेलू स्तर पर करते हैं, तो क्यों उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है । सेल्स टैक्स से इस उद्योग को सर्वथा मुक्त कर दिया जाना चाहिये, इससे इस उद्योग की तरक्की होगी । उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, उनकी गरीबी मिटेगी, सबको धंधा मिलेगा और देश को धन मिलेगा ।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट वहां पर पेश किया गया है वाकई में वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है । मैं यह समझता हूं कि विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं, वह भी यह समझते हैं कि बजट ठीक है लेकिन वह यह अवश्य चाहते हैं कि बजट में जो रुपया रखा गया है वह ठीक तरह से इस्तेमाल हो, इसमें शासन भी सक्षम है और हम सब भी चाहते हैं । इसमें कहां तक सरकार सफल होती है । यह देखना है पिछली योजनाओं से कुछ कठिनाइयां भी रही है, बावजूद उसके हम तीसरी पंचवर्षीय प्लान में काफी आगे बढ़े हैं खास कर जहां तक बिजली का उत्पादन था ।

इन्डस्ट्री में भी हम आगे बढ़े हैं । इसमें माननीय सदस्य जानते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो हमको सहायता प्रति व्यक्ति मिलती है वह और प्रदेशों से कम है । तब भी हमने आगे बढ़ने की कोशिश की । इम्पोर्ट लाइसेंस और कच्चा माल भी हमारे प्रदेश को कम मिला । यही स्थिति आज तक है इसलिये इन्डस्ट्रीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट पोपुलेशन के आधार पर हमें सहायता दे तो हमें विश्वास है कि इन्डस्ट्रीज में भी हम बहुत आगे बढ़ेंगे । शासन के काम में त्रुटियां होती हैं । जब महान कार्य हाथ में लिये जाते हैं तो त्रुटियां होती हैं और उनको देखकर यह कह देना कि शासन निकम्मा है उचित नहीं है गलतियां होती हैं उन गलतियों से सबक लेना पड़ता है और फिर आगे बढ़ते हैं । अभी कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र कह रहे थे कि टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लो । उसको लागू करने में फंड्स की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी सरकार के सामने आ सकती है मौजूदा स्थिति में यह असम्भव है ।

[श्री कृष्ण सिंह]

अब मैं अपने जिले की ओर आता हूं हमारा सीमान्त जिला है उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। पहल टिहरी गढ़वाल रियासत थी। १७५ वर्ष पहले इसमें गढ़वाल भी शामिल था। देहरादून भी शामिल था। गोरखों ने जब टिहरी गढ़वाल के महाराजा की फौज को हराया था उस वक्त महाराजा ने अंग्रेजों से मदद ली और गोरखों को गढ़वाल से हटाया। महाराजा और अंग्रेजों के बीच सन्धि हुई और गढ़वाल का हिस्सा अलग हुआ। इस प्रदेश में गरीबी बहुत है। मैं अपने पूर्वी जिलों के माननीय सदस्यों से विशेषकर कहना चाहता हूं जो बड़े (vocal) वोकुल हैं और बराबर यह कहते हैं कि पूर्वी जिलों में बहुत गरीबी है। मैं उनके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिनसे मालूम होगा कि उत्तर काशी और टिहरी गढ़वाल कितने पिछड़े इलाके हैं। एक एक्सपर्ट ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान में १० करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आमदनी ७ रुपये प्रतिमास है। इसमें टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिले पहल करते हैं। जिनमें निवासियों की प्रति व्यक्ति की आमदनी ८४ रुपये प्रतिवर्ष की है। यहां की जनता कृषि कार्य करती है। सौ में ९९ आदमी कृषि कार्य में लगे हैं और उनके पास जो जमीन है उसको सुन कर हमारे पूर्वी जिलों के माननीय सदस्य ताज्जुब करेंगे। वहां औसतन ०.२३ एकड़ प्रति व्यक्ति के पास जमीन है, उनमें से ८० प्रतिशत ऐसे हैं जिनके प्रति व्यक्ति के पास ०.१ एकड़ जमीन है। जिसके अर्थ हुये २ नाली। बीस नाली का एक एकड़ होता है। पहाड़ों में नाली से जमीन का रकबा दिखाया जाता है। दो नाली जमीन एक व्यक्ति के पास है और एक परिवार अगर ५ पांच आदमियों का मान लिया जावे तो उस परिवार में १० नाली जमीन होगी और उस १० दस नाली में ५ पांच मन अनाज का उत्पादन होगा। ५ मन अनाज एक परिवार ज्यादा से ज्यादा ३ या ४ महीने चला सकता है, आगे के लिये कुछ नहीं बचता है।

टिहरी गढ़वाल में इन्डस्ट्रीज भी कोई नहीं है वहां एक इन्डस्ट्रियल स्टेट बननी थी। बिल्डिंग्स उसकी बनाई गयी बगैर विचार किये कि बिजली कहां से आवे और पानी का इन्तजाम कहां से हो। सन् १९६१ में भी बिल्डिंग बन गयी थी। लेकिन आज तक वहां इन्डस्ट्रीज नहीं चल सकी और आज तक वे बिल्डिंग्स दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल हो रही हैं। इन्डस्ट्रियल उत्पादन टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी दोनों में कुछ भी नहीं है। पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल दोनों की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां एक ही सी हैं। पौड़ी गढ़वाल जब महाराजा से अलग हुआ तब बृटिश सरकार के अन्तर्गत उसकी थोड़ी बहुत उन्नति हुई। लेकिन टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी महाराजा के पास रहे और उसमें प्रगति कुछ भी नहीं हुई लेकिन लैन्ड रेविन्यू बढ़ता गया। वहां जब भी लैन्ड सेटलमेंट होता था वह बहुत आबिट्रेरी तरीके से होता था। उस समय वहां पर कोई रैशनल आधार व वैज्ञानिक आधार बन्दोबस्त का नहीं था। महाराजा साहब ने कहा कि हमको आमदनी ज्यादा करनी है इसी आधार पर मालगुजारी की पड़त बढ़ती चली गई। हालत यह हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी वहां पर १२.०० बारह रुपया एकड़ है और कम से कम ०.३१ पैसे है। पौड़ी गढ़वाल में औसतन ६६ पैसे पड़ता है और टिहरी में वह १ रुपया ४५ पैसे है। इस अन्तर को मिटाना चाहिये। हम चाहते हैं कि वहां भी पौड़ी गढ़वाल की तरह ६६ पैसे पड़ते हो जाय। हमारे यहां रियासत के समय एक आन्दोलन भी इस बढ़ी हुई पड़त के विषय में चला था और उसमें बहुत से लोग गोली से मारे गये थे। वह आन्दोलन इसीलिये हुआ था कि यह बढ़ी हुई दर कम की जाय। महाराजा साहब, भारत सरकार और प्रजा मण्डल के बीच एक समझौता हुआ था। शासन की बागडोर, प्रजा मंडल की अन्तरिम सरकार ने ले ली। अन्तरिम सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि पौड़ी गढ़वाल की पड़त वहां पर लागू होगी लेकिन इस बीच रियासत का विलीनीकरण हो गया। स्वर्गीय पन्त जी ने भी यह आश्वासन दिया था कि लैन्ड रिकार्ड आपरेशन के बाद वैसा ही किया जायगा लेकिन लैन्ड रिकार्ड आपरेशन खतम होते २ उसको सैटलमेन्ट में तब्दील कर दिया गया। वही पड़त वहां पर रखी गई जो महाराजा साहब के समय में थी। उसी पड़त से वसूली अब हो रही है जिससे वहां की जनता में बहुत

असन्तोष फैल रहा है। मुझे खास तौर से सरकार से निवेदन करना है कि उत्तरकाशी टिहरी सीमान्त इलाके हैं वहां पर पड़त लाजमी कम होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जो वसूली हो रही है उससे जनता में बहुत असन्तोष की भावना फैलती जा रही है। इससे सुरक्षा खतरे में हो सकती है। टिहरी गढ़वाल सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में वहां पर १२ मील मोटर रोड बनाने की योजना थी जिसका प्राविन्शियल बजट में प्राविधान किया गया था लेकिन आज तक वह १२ बारह मील मोटर सड़क नहीं बन पाई है, उस १२ मील सड़क के लिये भी पैसा कुछ महीने हुये मिला है। यह कहा जाता है कि जिला परिषद् ने जो सड़क प्रायोरिटी पर रखी थी उस सड़क को बनाने में लोगों ने बाधा डाली अगर ऐसी बात थी तो जो सड़क अन्य प्रायोरिटी में थी जिसको आसानी से बनाया जा सकता था और उसके लिये जमीन मिल सकती थी तो उसको क्यों नहीं लिया गया? इससे मालूम होता है कि लालफीताशाही चल रही है और जब तक चलती रहेगी, जिलों में प्रगति नहीं हो सकती है।

अब मैं वहां की बागबानी की योजना के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं जहां पर लोग पहाड़ों में बागबानी करना चाहते हैं और जहां बागबानी अच्छी हो सकती है वहां पर जंगलात महकमा वाले जमीन नहीं देते हैं। जंगलों के बीच २ में जहां जहां पर छोटे २ प्लाट्स पड़े हुये हैं उनमें अच्छी बागबानी हो सकती है। उन जगहों को जंगलात वालों से जब मांगते हैं तो जंगलात विभाग जमीन देने के लिये तैयार नहीं होते हैं। आखिर फलदार पेड़ लगाने के लिये जमीन की जरूरत हो जिससे स्वाइल इरोजन से भी बचाव हो जावे तो वहां पर जमीन उपलब्ध क्यों नहीं होती है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन अगर जल्दी बढ़ाना है तो उसके लिये ऐसी जमीन की आवश्यकता है मगर लालफीताशाही जमीन का एक टुकड़ा देने में भी रुकावट डालती है। सब को यह जानकर ताज्जुब होगा कई साल हुये कि एक स्कूल के लिये जंगलात विभाग को एक जमीन देने के लिये राजी किया लेकिन जंगलात विभाग वाले जमीन देने के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं जब तक उनको एजूकेशन डिपार्टमेंट वालों से, जो पेड़ उस जमीन पर खड़े हैं, उन पेड़ों की कीमत अदा न हो, कीमत भी दोनों विभागों ने तय कर ली। लेकिन फिर भी अभी तक जमीन नहीं दी गई। सरकारी विभागों में आपस में इस तरह का कोआर्डिनेशन नहीं है कि काम जल्दी हो सके। उसका नतीजा यह हुआ कि न जमीन मिल सकी और न स्कूल की बिल्डिंग बन सकी। सीमान्त जिलों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में २८ करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जिसमें से २६ करोड़ रुपये के करीब खर्च हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से आज भी सीमान्त जिले उतने ही महत्व के हैं जितने कि वे जिले ५, ६ साल पहले थे। जबकि वे सीमान्त जिले बने थे। चीन आज भी धमकी दे रहा है। चीन हमारी कमजोरी को देख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार यह समझती है कि अब सम्भवतः वहां सुरक्षा की समस्या उतनी नहीं रह गयी है जितनी कि पहले थी। अभी तक सुरक्षा का सवाल सीमान्त का सवाल है वहां जो भी बिल्डिंग्स हैं, नहरें हैं, व अन्य कार्य हैं वह सब (essential) आवश्यक मानी जायें। वहां अब तक इतना पैसा लगा कर काम बनाया गया, अब अगर काम ढीला करते व रोंकते हैं तो वहां असन्तोष बढ़ जायगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करनी है कि वहां पर जो भी बिल्डिंग्स, नहरें, हौज व अन्य काम हैं सब आवश्यक मानी जायें। और उसी तेजी से काम जारी रखा जाये जैसे थर्ड फाइव ईयर प्लान के दौरान में किया गया था और जब से वह सीमान्त जिला बनाया गया।

उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल के लिये हम लोगों ने एक सुझाव हरबीकल्चर (Herbiculture) के लिये दिया था जिससे जड़ी बूटियों की काश्त वहां हो सके। दूसरे देशों में यह काम बहुत तेजी से चल रहा है इससे बड़ा ही फायदा काश्तकारों को होगा। मेरे एक मित्र ने भी सुझाव दिया था लेकिन वे सुझाव सरकारी फाइलों में पड़े हुये हैं। मेरे मित्र से कहा गया कि वे जो एक्सपेरीमेन्ट जड़ी बूटी के काश्तकार का कर रहे हैं, वे जड़ी बूटी जो वहां पैदा कर रहे हैं वे सरकारी फार्म रानीखेत में भेज दीं जावें जिससे मालूम किया जा सके कि

[श्री कृष्णसिंह]

कितना कितना परसेन्टेज दवाइयों का उसमें है। जड़ी बूटी के पौधे भी उसमें भेजें। लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया कि कितना अंश उसमें लाभदायक निकला। इस लालफीताशाही को शासन से दूर करना है। सन् १९६०-६१ में प्रदेश में कृषि उत्पादन घटती चली आ रही है। कम हो कर ११६ लाख टन उत्पादन रह गया है---अगर कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो लालफीतेशाही को खत्म करना पड़ेगा। दूसरे कागज जो भरने पड़ते ह उनको कम करिये। जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको कागजों से मत लादिये। आजकल विलेज लेविल वर्कर को कुछ नहीं सूझता है सिवाय कागज भरने के, क्योंकि ऊपर से हिदायत आती है कि तुमको इतने कागज भरने पड़ेंगे। पहाड़ों में जो नहरें बन रही हैं जिस वक्त ठीक पानी की जरूरत होती है उसी वक्त वह टूट जाती हैं और उनसे कोई फायदा नहीं होता। हमको यह देखना है कि किस तरीके से उनको बनाया जाये, किस तरीके से पानी का साधन किसानों को उपलब्ध किया जाये जिससे किसान तरक्की कर सकें और हम आगे बढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, १९६६-६७ के सालाना बजट पर सामान्य विवाद में मैं जो कुछ दो चार बात जितना मुझे समय मिला है, कहना चाहता हूं। इस वक्त हमारा, २ अरब कुछ करोड़ रुपये का बजट है और प्रति वर्ष हमारे बहुत लम्बे बजट यू०पी० असेम्बली में आते हैं। रस्म के तौर पर हम प्रत्येक वर्ष सामान्य वाद-विवाद में भाग लेते हैं और हर एक प्रान्त पर अलग अलग हर एक विधायक अपने अपने अनुभव की बात कहना चाहते हैं और मैं भी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिगण विरोधी दल की तरफ से दिये गये सुझावों को अनसुना करने की कोशिश करते हैं और यह नहीं करते कि उनकी कुछ बात नोट करें और उन पर अमल करें। मैं शुरू में कृषि के ऊपर कुछ बातें कहना चाहता हूं। कृषि के बारे में हर एक आदमी, चाहे केन्द्रीय सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, हर एक की आवाज है कि कृषि में उन्नति की जाय, पैदावार को बढ़ाया जाय। लेकिन हम उस दिशा में अपना अमल नहीं करते हैं। देखने में आया है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन ५ सालों में बिजली की एक योजना बनायी और गांवों में बिजली लगा दी कि रोशनी की जाय। मैं उसी वक्त यह सोच रहा था कि गांव में बिजली लगाने का कार्य अगले चुनाव की एक पृष्ठभूमि बनाया जा रहा है ताकि गांव वालों को दिखलाया जाय कि हमने गांव में बिजली लगायी, रोशनी की। जब कि टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटियां अपने पैसे से बिजली लगाती हैं, नगर-पालिका अपने पैसे से बिजली लगाती हैं, हमारी सरकार इतनी उदार सरकार है कि हम अपने पैसे से रोशनी करना चाहते हैं। यह अनुभव है गावों को इसलिये बिजली गांवों में लगाई है, यदि वह प्राइवेट नलकूपों पर लगाई जाती तो क्या अच्छा होता। उसके बाद जब हमारे देश में भुखमरी फैली, फसल को नुकसान हुआ, तो किसानों के दिलों में फिर से जोश आया और उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने निजी ट्यूबवेल बनाने शुरू किये। जब उन्होंने उनको चलाने के लिये बिजली की मांग की तो सरकार की तरफ से कहा गया कि न हमारे पास तार है, न और सामान है, बिजली हम नहीं दे सकते। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हजारों गांव में बिजली चाहे दे या न दे। मगर सब से पहले उसे इन नलकूपों को बिजली देना चाहिये। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो कृषि की पैदावार भी बढ़ सकती है और प्रदेश की आर्थिक दशा भी सुधर सकती है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जितना पैसा इमारतों की सजावट आदि में खर्च किया जाता है, अगर उस रुपये को कृषि की ओर खर्च किया जाय तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। मैंने अपने यहां देखा है, कचहरी की इमारतों को सजाने, कलेक्टर के बंगले के चारों ओर जहां

पहले तार लगा था वहां चहारदीवारी बना कर उसको सजाने में, जहां पुलिस परेड होती थी वहां भी एक दीवार आदि बनाने में जितना पैसा खर्च किया गया है, उतना पैसा यदि उस जिले में कृषि का पैदावार बढ़ाने में खर्च किया जाता तो उससे बहुत कुछ लाभ होता।

सरकारी जो फार्म हैं जिनके ऊपर लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है उनकी हालत भी अगर देखा जाय तो पता चलगा कि गिरती जा रही है और उनसे बराबर नुकसान ही हो रहा है। हमारे यहां कानपुर में एक कृषि फार्म है। उस पर जो सब्जियां वगैरह होती हैं वे सब कर्मचारियों के घरों में चली जाती हैं, उनके यहां शादी वगैरह के अवसरों पर चली जाती हैं। आपको इसकी जांच करानी चाहिये।

आज प्रदेश भर के सारे सरकारी नलकूप खराब हालत में हैं। उनकी नालियां खराब हैं। जब अंग्रेजों राज्य था, उस समय भी हमने नलकूपों की हालत को देखा है। जब अगस्त का महीना आता था उनको ठीक कराया जाता था, नालियों की मरम्मत करायी जाती थी। आज हमारे यहां स्थिति यह है कि जानबूझ कर कर्मचारी नलकूपों को खराब कर देते हैं। वे इसलिये खराब कर देते हैं ताकि किसान उनके पास जायं नलकूपों को ठीक करने के लिये उनसे खुशामद करें और फिर उन कर्मचारियों को उनसे पैसा लेने का अवसर प्राप्त हो। सरकारी नलकूप खराब होगा तो किसान तो इस कोशिश में दौड़ेगा कि किसी तरह से उसका नलकूप जल्दी से ठीक हो और उसे पानी मिले। इस तरह से गांव वालों का पैसा उन कर्मचारियों के जेबों में जाता है कर्मचारी लोगों के मुंह में जोरा लग गया है।

जो नलकूप लगते हैं वे भी सही जगह पर नहीं लगते। जहां २-३ सौ बीघा का रकबा होता है वहां तो नलकूप लगा दिये जाते हैं, जहां २-३ हजार बीघे का रकबा होता है वहां नहीं लगाया जाता। होता क्या है। उसमें लम्बी लम्बी घूसें चला करती हैं। जो किसान रुपया नहीं दे पाते वहां उनके क्षेत्र में वह नहीं लगता, जहां लोग पैसा दे देते हैं वहां नलकूप लगा दिया जाता है बिना यह देखे हुए कि वहां उसकी जरूरत है भी या नहीं। जब मैं कहीं रेल आदि में जाता हूं तो यही कहते हुए लोगों को सुनता हूं कि सारा पैसा बजट का सरकारी कर्मचारियों की जेबों में ही चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम उत्तर प्रदेश की भलाई इसलिये नहीं कर पाते हैं कि सारी की सारी नौकरशाही गवर्नमेन्ट के ऊपर सवार है। मैंने देखा कि मंत्रियों के आदेश होते हैं, मेरे द्वारा कोशिश करने पर १ या २ आदेश हुए, और उनकी नीचे के कर्मचारियों ने जरा भी परवाह नहीं की और उपेक्षा की गई। तो फिर यह सरकार इस बजट का क्या उचित उपयोग कर सकती है ?

कृषि के बारे में जितनी रिआयत यह सरकार के द्वारा किसानों को देना चाहते हैं वह देने की जल्द कृपा करें। जब कभी हम शान्ति प्रपन्न जी से आकर कहते हैं कि यह जो ४ फर्लांग की पाबन्दी प्राइवेट नलकूप के ऊपर बिजली लगाने की लगा रखी है इसे हटा दीजिये, तो कहा जाता है कि हम विचार कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ३ या २ फर्लांग कर दें। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट नलकूप का कोई किसान पानी नहीं लेता है कारण यह है कि सरकार तो अपने पैसे को ६ महीने में अमीनों से वसूल कराती है और प्राइवेट नलकूप वाला तुरन्त पैसा लेता है। इसलिये आप इस पाबन्दी को तुरन्त हटावें कि यह नलकूप सरकारी नलकूप से कितनी दूर है। यदि आपके पास बिजली के खम्भे और तार के लिये पैसा नहीं है तो आप गांवों की बिजली उखड़वा कर नलकूपों पर बिजली दें क्योंकि गांव वाला तो अपना काम लालटेन हाथ में लटका कर भी कर लेते हैं। पहला सवाल सबके लिये रोटी का है।

कुछ मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। पहले लोग पैदल यात्रा किया करते थे लेकिन आज कोई १० रुपये का सामान बेचकर रास्ता जाता है तो रास्ते में ही उसे लुटवा दिया जाता है। इसलिये वह कोशिश करता है कि कहीं से उधार लेकर ही रेलगाड़ी में या बस में चलें। वे लूटने वाले लोग पुलिस के सिपाहियों और थानेदारों से मिले हुए होते हैं।

[श्री श्रीराम]

पिछले साल की बात है कि मेरे भतीजे के पास जब वह रास्ते में जा रहा था कुछ पैसे और एक घड़ी थी, इसी प्रकार से उसके साथ वाले आदमी के पास भी एक घड़ी और कुछ पैसे थे। उनको रास्ते में बदमाशों ने रास्ता चलते छीन लिया उनको मेरे भतीजे के साथी ने कहा कि उसकी घड़ी मांगी हुई है। चोरों के भी कुछ जमीर होता है चाहे पुलिस वाले उनसे कुछ भी कराते हों उन्होंने उसकी घड़ी वापिस कर दी। मेरे भतीजे की घड़ी बाद में बिजनौर में पुलिस के हैड कांस्टेबिल के पास देखी गई और उसका कुछ नहीं हुआ। साथ ही ३०० रुपये की रिश्वत मेरे यहां बिलकुल गलत तरीके से ली गई। एक किसान जंगल से अपना हल ला रहा था। थानेदार ने उसे पीटा। वह कुछ कड़ा हुआ। वह उसे पकड़ कर थाने में ले गया और उसके किसी आदमी से ३०० रुपये रिश्वत के ठहराये। जब वह छूट कर आया तो मैंने कहा कि यह रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। बिजनौर से फोन पर कहा। लेकिन वहां के थानेदार विजयदार ने उसी रात को एक कांस्टेबिल भेजकर मेरा बाग कटवा दिया और उसका कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार से प्रदेश के अन्दर अराजकता फैली हुई है। पुलिस का शासन अस्तव्यस्त हो गया है। मैं सरकार से दरखवास्त करूंगा कि पुलिस सिंचाई और कृषि विभाग की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और सरकार को जनता के हित में अपने बजट को अच्छी तरह से खर्च करना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी की ओर से जो ६६-६७ का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। आज जिस संकटकालीन स्थिति से हमारा मुल्क और प्रान्त गुजर रहा है। ऐसी संकटकालीन स्थिति में जो सब से अच्छी बात देखने में आयी वह यह है कि इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया गया है कम से कम प्रदेश की जनता के लिये यह बड़े संतोष की बात है कि आगे कोई ऐसी चीज इस वर्ष नहीं आ रही है जिससे कोई कठिनाई होने वाली हो। ज्यादा अच्छा तो यह होता कि पिछले वर्ष कुछ ऐसे टैक्स और कर लगाये गये थे जो पाकिस्तान और चीन की आपत्कालीन स्थिति में लगाये गये थे, उनको भी सरकार अगर हटा लेने का ऐलान करती तो बहुत ही अच्छी बात होती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो आपत्कालीन कर लगाये गये थे उनको वापस लेने की शीघ्र ही घोषणा कर सके तो अच्छी बात होगी।

आज हमारे यहां अन्न की कमी को पूरा करने के लिये कृषि पर बहुत जोर दिया जा रहा है इस समय हमें यह देखना है कि गांवों के विकास के लिये जो इतना बड़ा स्टाफ लगा रखा है उनके जिम्मे मुख्यतः यही काम दिया हुआ है कि ये ऐसे कामों को करें, ऐसी सुविधाएं किसानों को पहुंचाएं जिससे उनको कृषि उत्पादन के बढ़ाने में मदद मिल सके। लेकिन सब से बड़ी आवश्यकता इस समय खेती के लिये सिंचाई की है। लेकिन पिछले दिनों यह देखा गया है कि नहर विभाग से समय पर पानी नहीं मिलता। पहली बात तो यह है कि महीनों नहर खाली पड़ी रहती है। जब किसानों को जरूरत होती है तब नहरों में पानी नहीं होता और जब किसान को जरूरत नहीं तब पानी आता है। ऐसा मालूम होता है कि बरसों पहले जो चार्ट बना हुआ था उसी के अनुसार सिंचाई विभाग पानी का प्रबन्ध करता है। आज अगर मौसम को देखा जाय तो अब वह पहले से बहुत बदल गया है। पहले जिस प्रकार से वर्षा होती थी, अब नहीं होती। गरमी और जाड़ों में भी फर्क हो गया है। जब मौसम बदल गया है तो उसके अनुसार पानी दिये जाने की तिथियां भी बदल जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कल बोलियेगा।

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६

*सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में विधान परिषद् द्वारा किये संशोधनों पर बिचार किया जाय।

श्रीमन्, पिछले दिनों में यहां एक छोटा सा विधेयक पेश किया था और उसको यहां माननीय सदस्यों ने पारित किया और विधान परिषद् में जब यह गया तो वहां पर एक आपत्ति उठाई गई और वहां पर यह प्राविधान इस में किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं में जब कोई टीचर्स और मैनेजमेंट का झगड़ा होता है तो उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जिस में एक प्रतिनिधि मैनेजमेंट का, एक टीचर्स का और एक वहां के डिप्टी डाइरेक्टर हुआ करते हैं जो उस रीजन के होते हैं। पहले वह मामला इंसपेक्टर के सामने जाता है और उसकी अपील फिर डिप्टी डाइरेक्टर के सामने आती है। अब हमारे यहां से यह तय हुआ कि बजाय इसके कि उंस कमेटी को अपील का अधिकार हो वह केवल डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन को दिया जाय और इसकी वजह यह थी कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और टीचर्स दोनों के ही प्रतिनिधि होते थे और जिस की कमेटी में जाने की इच्छा नहीं होती थी वह अपने प्रतिनिधि नहीं भेजता था और उसका फल यह होता था कि केसेज मुद्दत तक पड़े रहते थे और उससे टीचर्स को बहुत कष्ट होता था क्योंकि वह बमुकाबले मैनेजमेंट के कमजोर पक्ष होता था। उसी दिक्कत को दूर करने के लिये परिषद में यह संशोधन पारित हुआ है। वहां एतराज यह हुआ कि किसी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के सामने एक बात जब सुन ली जाती है और अपील के वक्त तक अगर इंसपेक्टर वहीं डिप्टी डाइरेक्टर बन जाय और वही अपने फैसले पर फिर अपील सुने तो वह बात मुनासिब नहीं होगी। तो इसमें यही संशोधन किया गया है कि अगर केस ऐसा हो तो यह किसी अन्य डिप्टी डायरेक्टर को निर्णय के लिये संक्रमित हो जायगा और उसका फैसला वहां के डिप्टी डायरेक्टर का फैसला माना जायगा। यह सीधी सी एक बात इसमें है। हमने परिषद् में इस मुनासिब बात को मान लिया था और यह चीज सही मालुम भी होती है।

एक चीज इस में केवल वर्बल सी है कि मूल ऐक्ट में 'उत्तर प्रदेश' शब्द नहीं आये हैं, उसमें खाली 'इंटरमीडिएट एजूकेशन' शब्द हैं। इस तरह से अब वह एक जगह जो उत्तर प्रदेश रह गया है वह वहां से भी हटाया जा रहा है। यह वर्बल चीज है। ऐसी ही एक और भी चीज है जो वर्बल है कि 'अध्यादेश' के स्थान पर 'अधिनियम' रख दिया जाय। यह खाली जरा सी लिख देने की ही चीज है। आशा है कि माननीय सदस्य इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस सदन में जो कमी रह गई थी वह कम से कम परिषद में आकर ठीक हो गई। वह चीज यह है कि यहां पर एक एक दिन में चार-चार बिल पास करा लिये जाते हैं। उसका नतीजा यह है कि लीगल डिपार्टमेंट में जहां तक ड्राफ्टिंग का सवाल है वहां जितने चीफ मिनिस्टर के और ला मिनिस्टर के खास-खास लोग हैं उनको उन पदों पर रखा गया है लेकिन जो लाज के एक्सपर्ट्स हैं और जो अमरीका वगैरह से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, वह सप्लाई भी करते हैं तो उनको वहां जगह नहीं दी जाती, अपने फेवरिट्स को ही वहां जगह दी जाती हैं। एक ही बिल वापस नहीं आया है हम इसी तरह देखते हैं कि जबसे यह विधान सभा चल रही है हमेशा कोर्ट्स से स्ट्रिक्चर्स पास होते रहे हैं। आज मैं तो यह चाहता था कि इस तरह की जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

चीजें हैं वे न हों । या तो ऐसे लोगों के खिलाफ, जो कि ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और जो इतनी गल्तियां करते हैं, सख्त कार्यवाही की जाय या फिर जो योग्य व्यक्ति बाहर से ड्राफ्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आये हैं, उनको स्थान दें ताकि वे गल्तियां बार-बार दुहराई न जा सकें ।

श्रीमन्, बजट के कारण आपने इसे ५ बजे के बाद ले लिया, लेकिन अगर इसको किसी और दिन लिया जाता तो इस पर ही काफी खर्च होता और समय भी बरबाद होता । इसलिये मैं चाहता हूं कि ला विभाग में जो आपके ड्राफ्ट करने वाले हैं, उनके स्थान पर सुयोग्य व्यक्तियों को रखें ।

अब श्रीमन्, मैं आपका ध्यान खंड ३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आप "अध्यादेश, १९६५" के स्थान पर शब्द "अधिनियम १९६६" रखना चाहते हैं । मुझे अफसोस केवल यह है कि अगर वे इस विधेयक के खंड ४ को पढ़ लिये होते तो उनकी आंखें खुल गयी होतीं खंड ४ में यह दिया हुआ है कि

"उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश १९६५ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।"

इसके उपखंड (२) में यह दिया हुआ है कि:—

"ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम, २४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो ।"

अगर इसको ठीक से पढ़ लिया गया होता तो उनको शब्द "अध्यादेश" रखने की जरूरत नहीं थी । हमेशा आर्डिनेंस जारी करने की आवश्यकता जब होती है तो फौरन ही बिल लाया जाता है और जब वह दोनों सदनों द्वारा पास कर लिया जाता है तो "ऐक्ट" हो जाता है । इसलिये "अध्यादेश" के स्थान पर "अधिनियम" रखने की जरूरत है । खंड (२) में दिया हुआ है कि "कोई पक्ष, खंड (बी) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध चाहे वह उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन अध्यादेश, १९६५) के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो।" तो इस तरीके से अध्यादेश के पूर्व तो कोई कार्यवाही नहीं हुयी और जो अधिनियम हम बना रहे हैं, उसके अन्दर भी जो कार्यवाही हुयी, यानी अध्यादेश जारी होने के बाद बिल रखने के पूर्व जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने पेश किए हैं, इस बिना पर भी "अध्यादेश" के स्थान पर अधिनियम होना चाहिए था ।

जहां तक इन्टर प्रिटेशन आफ स्टेट्यूट्स का सम्बन्ध है दो चीजें हमारे सामने आयी हैं । एक तो यह है कि कोई भी बिल हो, उसके इफैक्टिव होने के दो तरीके हैं । एक तो प्रास्पेक्टिव और दूसरा होता है रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट । एक तो यह कि कोई कोड या बिल जिस दिन पेश हों, उसी दिन से माना जायेगा ।

मैं समझता हूं कि इस वक्त भी इस चीज को ठीक कर लें तो यह अच्छी बात है ।

श्रीमन्, पहली बात जो माननीय मंत्री जी ने कही कि पहले एक कमेटी थी, उस कमेटी में एक रीजनल डिप्टी डायरेक्टर होता था और दो और प्रतिनिधि होते हैं । एक तो टीचर्स की ओर से और दूसरा मैनेजमेंट की ओर से ? एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है । जब यहां पर माननीय कमलापति त्रिपाठी जी थे, उस समय नेता विरोधी दल श्री राजनारायण थे । माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था कि अपोजीशन उल्टा शीर्षासन कर रहा है इसलिए उसको दुनिया उल्टी नजर आ रही है । लेकिन आज तो सरकार उल्टा शीर्षासन कर रही है । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने उस वक्त यह कहा था कि जितने रिप्रेजेनटेशन हुए हैं टीचर्स के या मैनेजर्स असोसिएशन के.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो यह डिस्कशन नहीं है। अब तो केवल इतना है कि जो रीजनल निरीक्षक थे उन्होंने एक फैसला किया और बाद में भी वही करें तो उनके बजाय दूसरा हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर यह बात उस समय कहते जब मंत्री जी कह रहे थे तो..

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने तो यह बताया कि कांउन्सिल में क्या संशोधन हुआ। रीजनल निरीक्षक जो थे अगर उन्होंने फैसला किया था तो उन के बजाय दूसरे साहब करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

जिस कमेटी का जिक्र वह कर रहे हैं उसी का मैं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह रेलीवेंट नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

जैसा पहले मंत्री जी ने बताया कि स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि होता था तो एक माध्यमिक शिक्षक संघ का होता था और एक शिक्षा उप-निदेशक होता था। अगर टीचर्स ने या मैनेजर एसोसिएशन ने कोई गलती की है तो दोनों का एक-एक प्रतिनिधि उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए होता था। लेकिन आज यह समाजवादी सरकार कहां जा रही है? लालफीता शाही के चंगुल में फंस रही है। अगर कोई इंस्पेक्टर है, उसने कोई आदेश दे दिया और कल अगर मंत्री फोन कर दें शिक्षा संचालक को तो उस वक्त उस की हिम्मत नहीं है कि जो आर्डर दिया है उस के खिलाफ वह जाय। लेकिन जब तक दो प्रतिनिधि रहते थे तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता था। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि जो बात आप कहते थे और बहुत सोच समझ कर उस सदन से आपने पास की आज क्या वजह है कि शीर्षासन की नौबत आ गई। मंत्री जी ने कहा था कि अपील वगैरह जो होती थी तो अकेले वह ठीक न्याय नहीं कर सकता था इसलिए कमेटी बनानी पड़ी ताकि टीचर्स और मैनेजर्स असोसिएशन का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो। तो आज कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है? मंत्री जी ने कहा कि कभी कभी यह लोग अपने प्रतिनिधि नहीं भेजते थे। अगर प्रतिनिधि कोई नहीं भेजता तो कोरम के बारे में आप कह सकते थे कि तीन में दो आदमी आ जायंगे तो वह कन्टीन्यू करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सब डिस्कशन हो कर तय हो गया कि उप-निदेशक वहां रहेंगे। लिहाजा सवाल इतना है कि जब वह इंस्पेक्टर थे उन्होंने अगर फैसला किया था वह फैसला न कर के दूसरे उप निदेशक करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य वकील हैं सब समझ कर बहस कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक दूसरे आइटम का सवाल है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो गल्ती उन्होंने की थी उस को न दोहरायें, इसी पर जोर दे रहा हूं। एक बात यह है कि इसके उद्देश्य और उसूल स्पष्ट हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार जो शीर्षासन की बात हम लोगों के लिये कह रही थी वह स्वयं कर रही है। कल उसने एक बात की और आज दूसरी बात करने जा रही है। एक तरफ आप सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, अब तो केवल यही संशोधन है और सब बातें हो चुकी हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं उसी पर आ रहा हूं। इसमें बहुत सी खामियां हैं लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन जिस रूप में यह रखा गया है यह वास्तविक संशोधन है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में जिनकी गलती से यह यहां आया है वह दोहरायी न जाय। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह संशोधन विधेयक आया था तो मैंने उसी समय आपत्ति की थी कि यह रोग का इलाज नहीं है। यह एक ही कमी को दूर करने के लिये लाया गया है। एजूकेशन ऐक्ट में तो बहुत सी कमियां हैं, लेकिन सरकार केवल एक को पूरा करने के लिए यह संशोधन लाई है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बसंतसिंह जी, कौंसिल से जो संशोधन आया है उसी पर कहिये।

श्री बंसतसिंह—

जी नहीं, मैं उससे अलग नहीं जाऊंगा। एजूकेशन ऐक्ट की सब कमियों को दूर करने के लिये एक संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिये था। लेकिन यह एक ही कमी को दूर करने के लिये लाया गया है। हमारे अन्य संशोधनों की बात को मंत्री जी ने नहीं माना और विधान परिषद के इस छोटे से संशोधन को मान लिया। अगर उन कमियों को भी दूर किया गया होता तो यह सार्थक होता। इससे तो केवल नौकरशाही बढ़ेगी और अधिनायकवाद बढ़ेगा। मैं मध्यमिक शिक्षा परिषद में काम कर रहा हूं। उसका चेयरमैन शिक्षा विभाग का डायरेक्टर होता है। जबसे मौजूदा डायरेक्टर आये हैं वे मनमानी करते हैं और तब से इसका कोई स्तर नहीं रह गया है। जब ऐसी संस्था में जहां विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं, शिक्षा संचालक मनमानी करता है तो एक आदमी के हाथ में सारी पावर आ जाने से तो गलत काम ही होगा। उपसंचालक एक मात्र निर्णय करने वाला होगा। दोनों पक्षों की बातें अच्छी तरह से नहीं आ सकेंगी। इसलिये जो उसके जी में आयेगा करेगा। सरकार जो चाहेगी उससे करायेगी और शिक्षकों को न्याय नहीं मिल सकेगा। ऐसे सैकड़ों की संख्या में उदाहरण मौजूद हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उप संचालक द्वारा उत्तर तक नहीं दिये गये हैं। इसलिये मंत्री जी इधर ध्यान दें और ऐसा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिससे सारी खामियों का निवारण हो सके। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में दो विषयों पर संशोधन है। जहां तक अध्यादेश की जगह अधिनियम रखे जाने की बात है, वह तो शाब्दिक था और इसको होना चाहिये। जहां तक अपील वाली बात है, श्रीमन, आप भी वकील हैं और आपने कानून पढ़ा है, आपके समक्ष भी सैकड़ों कानून आये होंगे जिनमें यह विषय कहीं नहीं जोड़ा गया है। यह एक सर्वमान्य स्थिति है कि जिसने लोअर कोर्ट में फैसला किया है, अगर वह कहीं ऊपर को बढ़ा दिया जाय तो यह नहीं हो सकता था कि सभी के लिये कहें कि संशोधन लाया जा सकता है आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह बिलकुल निरर्थक है। माननीय कमलासिंह ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। जहां तक श्री कमला-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह ने कहा कि इस सदन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, यह अनुकूल नहीं कहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहीं कमिश्नर हो जाता है तो आपने सैकड़ों कानून देखे होंगे, ऐसी तरमीम कोई नहीं होती कि वह फैसला उसका नहीं माना जायगा। जनरल क्लाजेज ऐक्ट में है कि जहां छोटा आफिसर बड़ा आफिसर हो जाय तो उसका फैसला नहीं बदल सकता। आज लोग यही कहेंगे और कह देते हैं कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा या सम्बन्धित पार्टीज ही कह देती हैं कि आपको अधिकार नहीं है इसकी अपील देखने का यानी किसी न किसी तरह से लोग इस बात को कह ही देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिलकुल निरर्थक था। माननीय कमलासिंह जी ने मान लिया कि अपर हाउस ने इस गलती को पकड़ लिया, लेकिन वास्तव में वहां पकड़ की कोई बात ही नहीं थी, यह निरर्थक है, इसको आना नहीं चाहिये था। जो शाब्दिक गलती है उसको मैं मानता हूं। प्रतिबन्ध के रूप में रखने का जहां तक प्रश्न है, वह किसी रूप में नहीं होना चाहिये यह तो सर्वमान्य चीज है कि अगर छोटा आफिसर बड़ा हो जाता है तो वह उस अपील को नहीं देख सकता है क्योंकि वह तो उसी के अनुरूप काम करेगा जैसा कि उसने फैसला किया है। वह खुद ही उसको ट्रांसफर कर देता है या कोई पार्टी ही उसे कह देती है कि आपको इसका फैसला करने का अधिकार नहीं है। हमारे राय जी भी इस बात को मानेंगे कि इसके लिये कोई संशोधन नहीं आया। सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार भी ऐसे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां आपने अधिनियम रखा है, वह तो ठीक रखा है, लेकिन इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन को आप गिरा दें या इसको वापस ले लें।

*श्री राममूर्ति---

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं मानता हूं कि ड्राफ्टिंग के वक्त विभाग को बड़ी होशियारी से काम करना चाहिये और बड़ी सावधानी से काम करना चाहिये। लेकिन इस दलील को भी कोई दो दलील नहीं हो सकती कि चाहे कितना ही आप अक्ल से काम लें फिर भी इन्सान से गलती हो ही जाती है और हमारा यह विधान मंडल इसलिये बना हुआ है कि अगर हमारी कोई गलती रह जाय तो वह उस को सम्भाल लें और हम निरन्तर इसके लिये बैठा करते हैं। किसी काम को हम तय करते हैं और उसको कार्य रूप में देखने के बाद हम समझते हैं कि उसमें किसी तरह की गलती है तो हम उस चीज को मान लेते हैं और उसे ठीक कर देते हैं।

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, सरकार की बड़ी मुश्किल है। अगर सरकार माननीय सदस्यों की कोई बात मान ले तब बड़ी मुश्किल और न माने तब बड़ी मुश्किल। यह तो टीचर्स के रेप्रेजेंटेटिव्ज का बड़ा इसरार हुआ कि आप को इस बात को मान लेना चाहिये, तब हमने मान लिया। मैं भी इस बात को मानता हूं कि इसमें लॉ की कोई गुंजायश नहीं है। अगर एक मुंसिफ जज हो जाता है या हाईकोर्ट में जा कर जस्टिस बन जाय तो इसके माने यह नहीं हैं कि उसके सामने इस तरह की कोई अपील न जाय। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था इसलिये उसको मान लिया।

एक बात मैं वकील साहबान से उम्मीद करता हूं कि जब वे कोई बहस करें तो उसमें तर्क का इस्तेमाल होना चाहिये। अललटप्पू बातें कहना वकीलों के लिये मुनासिब नहीं है। जितनी बातें कही गयीं, जिस दिन यह विधेयक यहां पेश हुआ था, माननीय सदस्यों ने अपनी बहस में कह दी थीं। उसी रोज की बात फिर से कहना बिलकुल निरर्थक था। जिन बातों को यह सदन पहले मान चुका है, उन्हीं तमाम बातों का जिक्र करना और उनका विरोध करना, मैं समझता हूं कि इसके कोई माने नहीं है। अगर दिल को हल्का करने की बात हो तब तो माननीय कमलासिंह जी की तबियत की बात है, वे अपने को खुश कर लें। जितनी बातें यहां कही गयीं उन सबको मैं पसन्द करता हूं और सिवा तिवारी जी के सबने उसे पसन्द किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

लेकिन फिर भी मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। इसके अलावा और जो बातें कही गयी हैं उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में निम्नलिखित संशोधन जो विधान परिषद् द्वारा किये गये हैं वह स्वीकार किये जायं—

१—खण्ड २ (१) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा १६जी (३) के खण्ड (सी) की द्वितीय पंक्ति में से शब्द "उत्तर प्रदेश" निकाल दिये जायं और तृतीय पंक्ति में शब्द "अध्यादेश १९६५" के स्थान पर शब्द "अधिनियम, १९६६" रख दिये जायं व अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:

"यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो सम्भागीय उप निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य सम्भागीय उपनिदेशक को निर्णय के लिये संक्रमित हो जायगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस सम्भागीय उपनिदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वह अपील उसी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी।"

२—खण्ड २ (२) द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १६ जी (३) के खण्ड (डी) की प्रथम पंक्ति में से शब्द "उत्तर प्रदेश" निकाल दिये जायं और द्वितीय पंक्ति में शब्द "अध्यादेश, १९६५" के स्थान पर शब्द "अधिनियम, १९६६" रख दिये जायं तथा चतुर्थ व पांचवीं पंक्ति में आये हुये "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा संशोधन

है। प्रस्तावित विधेयक में धारा ३, (१) १ में उपकुलपति की नियुक्ति का प्राविधान है। अगर यह खण्ड २ की उपधारा (७) का 'झ' उसमें बना रहता है, तो पुराने अधिनियम में जो प्राविधान है उपकुलपति की नियुक्ति का वह एक नई धारा के बन जाने से रिडेन्डेन्ट हो जाता है। गलती से यह यहां रह गया था, वह गलती विधान पारषद् में पकड़ी गयी और वहां पर यह निश्चय हुआ कि इसमें संशोधन कर दिया जाए। तो वह सिर्फ इतना ही है कि "खण्ड २ की तीसरी पंक्ति में शब्द "निम्नलिखित रख दिया जाय" के बाद शब्द "और उप धारा (७) का भाग (झ) निकाल दिया जाय" बढ़ा दिया जाय। अगर यह उसमें बना रहता है तो यह दोनों प्रक्रियायें विद्यमान रहती हैं और हमने उपकुलपति की नियुक्ति की नई धारा बना कर उसका प्राविधान कर दिया है। इसलिये इस 'झ' को निकाल दिया जाए। यह आवश्यक है, इसलिए यह अमेन्डमेन्ट हम आप के सामने विचार के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह सरकार के लिये कोई नई बात नहीं है। अभी चकबन्दी विधेयक सरकार ने पास किया, दो कन्ट्राडेक्टरी सेक्शन्स उसमें भी हैं। उसमें एक तरफ तो उसका नक्शा फाइनल नहीं माना गया है और सेक्शन ४९ में कहा गया है कि यह किसी कोर्ट में ओपेन नहीं किया जाएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट से स्ट्रक्चर इसके बारे में कई जगह पास हो चुके हैं और इस तरह की जो परिपाटी चल रही है वह बहुत ही खेदजनक है। तो जब अपोजीशन की तरफ से ऐसी बातें बताई जाती हैं, तो माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरी जगह रहता है। इसमें और भी दूसरी खामियां हैं, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पहली बात मैं यह बताना चाहता हूं। उन्होंने उपकुलपति के चुनाव की जो बात रखी है, उन्होंने उसमें ढंग बिलकुल बाद में बदल दिया है। जो उसके बिलकुल कान्ट्रेडेक्टरी हो गया है। और नतीजा यह होगा कि किसी परिणाम पर मंत्री जी नहीं पहुंच सकेंगे जो बोर्ड की स्थिति पहले बनाई गई थी वह अब नहीं रह गयी है। पहले तो यह था कि बोर्ड में उपकुलपति, कृषि संचालक, शिक्षा संचालक और पशु-पालन संचालक होंगे। लेकिन इस वक्त इसमें यह है कि सचिव रहेंगे। उन्होंने शिक्षा बिभाग की तरफ से सचिव को रखा, कृषि विभाग का सचिव रखा और वित्त विभाग का सचिव रखा। तो जहां तक टेक्निकल हैन्ड का सवाल है वहां पर एक चीज मानने की थी कि डाइरेक्टर जो होता है वह अपने विभाग के सम्बन्ध में काफी एक्सपर्ट होता है और उसको एडामनिस्ट्रेशन की खामियों का भलीभांति ज्ञान होता है। लेकिन सचिव महोदय जो आज इस विभाग में हैं कल वह दूसरी जगह चले गये तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह सचिव लोग बोर्ड में कार्य करेंगे तो यह प्रक्रिया किस प्रकार से उपयुक्त होगी? इसको किसी प्रकार नहीं माना जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि सरकार पहले एक सदस्य को नामजद करती थी अब वह ५ के लिये हो गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आप संशोधन पर बोलिये, आप तो पूरे विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

चुनाव से सम्बन्धित है, इसलिये मैं उस पर बोल रहा था। समाज कल्याण बोर्ड से महिला आती थी अब यह है कि एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकत्री और कार्यकर्ता यह भी हो सकता है कि वह सरकारी अधिकारी हो। अगर आप इसके पहले वाले के १० (१) को देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें एक नामजद ऐसा है जो खेती करता हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया :

[श्री कमलासिंह यादव]

और दूसरा महिला होगी। खेती करने वाला तो ठीक है एग्रीकल्चरिस्ट होगा, लेकिन महिला कार्यकर्ता अगर रखना चाहते हैं तो समाज कल्याण बोर्ड काफी तजुर्बे की चीज थी। अगर उसका कोई प्रतिनिधि होगा तो ज्यादा एक्सपीरियंसड होगा।

इसमें एक तिहाई छटनी का हर साल जिक्र है। अब कैसे छटनी करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड २ उपखंड ५ की ओर दिलाऊंगा ओरिजिनल ऐक्ट की और ज्यादा डिटेल्स में न जाकर केवल इतना कहूंगा कि पहले यह था कि जहां तक उपकुलपति के चुनने का सवाल है तो उसमें और नये में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें यह दिया गया है कि बोर्ड का मेम्बर होगा। तो इस तरीके पर सरकार ने अपनी मेजारिटी तो वैसे ही कर ली तो ऐसी कमेटी या बोर्ड को रखने से फायदा ही क्या है। सरकार सीधे नाक न पकड़ उलटे पीछे से नाक पकड़ रही है। मैं चाहता हूं कि उपकुलपति का नामिनेशन सीधे कर दिया जाय ताकि पार्टीबन्दी के आधार पर झगड़े में वह न पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक मामली खामी को दूर करने की कोशिश परिषद् ने की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अच्छे रूप में एक नया विधेयक लावें ताकि जो खामियाँ रह गयी हैं वे सही मानों में दूर हो सकें और सही मानों में विश्वविद्यालय की इसकी रूपरेखा बन सके और यह इंटरमीडिएट बोर्ड है उसी को विश्वविद्यालय का रूप दे रहे हैं तो यह तो आड़ में शिकार खेलना है। नये विधेयक लाने से यह खामियां दूर हो जावेंगीं। और जो सत्याविरोध उत्पन्न होने से दिक्कतें आयेगी वह भी भविष्य में नहीं आवेंगी। लड़ाई-झगड़े का सवाल खत्म होगा और अमेरिकन फंड से जो एक संस्था चल रही है वह अच्छे तरीके से चल सके और उसके स्नातक वहां से निकलकर देश की सेवा कर सकें। मुझे आशा है कि मंत्री जी नये विधेयक को फिर से यहां सदन के सामने लाने का प्रयत्न करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाया गया है वह इसलिये लाया गया है कि जो आशा की जाती है प्रजातन्त्र में कि इंसान कभी-कभी गलती भी कर सकता है चाहे जितना वह सही सोचे। यह देखने से भी पता चलता है कि इस पूरी विधान सभा ने इस बिल को पास कर दिया लेकिन बहां जाने पर एक माननीय सदस्य को यह बात सूझी कि अगर यह रहने दिया जायगा तो फिर काम करने में कुछ कठिनाई पड़ेगी। हम लोगों ने उसका स्वागत किया और उसको संशोधित किया और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मैं समझता हूं कि उससे कोई विरोध कमलासिंह जी को नहीं है। जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि जल्दी में जो जरूरी समझा गया है वह सामने आ गया, लेकिन उस विश्वविद्यालय के लिये, जो और जगह पर विश्वविद्यालय खुले हैं उनका लाभ उठाकर और दूसरे वैज्ञानिक तथा एक्सपर्ट की सलाह लेकर एक विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। जो खामियां अभी बताई गई हैं उनको दूर करने का मौका मिलेगा। तो इन बातों को कहने से मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन, "खंड संख्या २ की तीसरी पंक्ति में शब्द" निम्न-

लिखित रख दिया जाये के बाद शब्द "और उपधारा (७) का भाग (झ) निकाल दिया जाय" बढ़ा दिये जायं, स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,

२१ फरवरी, १९६६ ।

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट 'क'

(देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न १०७ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

श्री बसन्तसिंह सेठ, तत्कालीन सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग का समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को संबोधित गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ५७४ ××/× - बी० डी० (२) के ०/६८ दिनांक ७ फरवरी, १९६३ का अनुवाद

मेरे अर्द्ध शासकीय पत्र सं० ११७०५/××/×बी० डी० (२)-दिनांक २७ दिसम्बर, १९६२ के क्रम में जो कि उत्तर प्रदेश किरोसीन कंट्रोल आर्डर १९६२ के लागू करने के विषय में है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि तेल की कंपनियों के प्रतिनिधियों से स्थिति पर वार्ता करने से यह पता चला है कि तेल अब पर्याप्त मात्रा में है और वितरण पर से कुछ प्रतिबन्ध हटा लेना ठीक होगा। चूंकि अब स्थिति संतोषजनक है अतः यह निर्णय किया गया है कि :—

१—अभी तक एजेन्ट १० प्रतिशत तेल फुटकर में बेच सकते थे। अब यह सीमा २० प्रतिशत कर दी जाय। अन्य शर्तें वही रहेंगी जो कि उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्र के पैरा १ के उप पैरा ५ में है।

२—उस अर्द्ध शासकीय पत्र के उप-पैरा ७ में कहा गया था कि एजेन्टों को तेल का कुछ प्रतिशत आपकी इच्छानुसार सुरक्षित रखने के लिये कहा जाय। चूंकि स्टाक की स्थिति ठीक है अतः, १० प्रतिशत से अधिक तेल सुरक्षित न रखा जाय।

३—जिन जगहों पर टैंक वैगन की डिलेवरी लेने में एजन्टों को कठिनाई पड़ती है उनको एक या दो नामनी बनाने की आज्ञा दे दी जाय परन्तु नामनियों के कार्यों का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से एजेन्टों पर होगा। यह आज्ञा इसलिये दी जा रही है ताकि नामनियों द्वारा ऐजन्ट अपने स्टाक को उठा सकें। एजेन्टों के लाइसेंस में जो कालम व्यापार के स्थान के लिये है उसमें उन जगहों के नाम भरे जायेंगे जहां पर नामनी कार्य करेंगे।

४—उस अर्द्ध शासकीय पत्र में यह भी कहा गया था कि अधिक से अधिक जो तेल की मात्रा बेची जा सकती है और अधिक से अधिक बोतलों की संख्या जो एक उपभोक्ता को दी जा सकती है निर्धारित कर दी जाय स्टाक पोजीशन अच्छी होने के कारण यह अनुभव किया जा रहा है कि कदाचित अब ऐसे प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है। अतः यह निर्णय किया गया कि बिक्री पर से ऐसे प्रतिबन्ध जहां तक संभव हो बिलकुल हटा लिये जायं, जब तक आप किसी विशेष कारण से ऐसे प्रतिबन्ध आवश्यक न समझें ऐसे जो भी प्रतिबन्ध आप लगायें उसकी सूचना सरकार को दें और कारण स्पष्ट करें जिनसे बाध्य होकर यह प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया।

५—जिनों में बिक्री पर अभी तक प्रतिबन्ध था और यह आपके द्वारा या किसी दूसरे आपके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिटों पर ही बिक सकता था। यह महसूस किया जाता है कि यह प्रतिबन्ध जहां तक संभव हो शीघ्र ही हटा लेना चाहिये। अतः यह निर्णय किया गया कि एजेन्टों को अपने फुटकर विक्रेताओं को आये हुये माल का ७५ प्रतिशत बेचने की आज्ञा प्रदान कर दी जाय और शेष २५ प्रतिशत परमिटों पर बेचा जाय। जो स्टाक इस २५ प्रतिशत में शेष रह जाय वह तेल आने की तिथि से एक महीने बाद कंपनियों को दे दिया जाये। जहां तक फुटकर विक्रेताओं का संबंध है उनको आज्ञा दे दी जाय कि किसी उपभोक्ता को एक बार में एक दिन से अधिक न बेचें। जो उपभोक्ता इन फुटकर दूकानों से एक पीपे से अधिक तेल चाहते हैं उनको तेल परमिट पर दिया जाये।

६—कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचित करें।

श्री ना० राजगोपाल,
उप सचिव ।

म० शा० पत्र संख्या ७८१२/२९-ख-१-केरो-१(३०)-६५
खाद्य तथा रसद (ख-१) विभाग
विधान भवन ।

लखनऊ दिनांक १५ अक्तूबर, १९६५

प्रिय महोदय,

श्री बिसेन के गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ४४३४ / २९-ख-१, दिनांक २१ जून, १९६५ जो कि मिट्टी के तेल के वितरण की देख रेख के संबंध में है उसके विषय में मुझे यह कहना है कि मिट्टी के तेल की स्थिति की देखरेख अभी करनी पड़ेगी, चूंकि यह संभव है कि कुछ समय तक मिट्टी के तेल का अभिएशन में प्रयोग होने के कारण राज्य सरकार को कमी का सामना करना पड़े । यह आवश्यक है कि मिट्टी के तेल का वितरण सुचारु रूप से हो और इस परिस्थिति में मूल्य अधिक न चढ़ने पावें ।

२—उत्तर प्रदेश किरोसीन कन्ट्रोल आर्डर, १९६२ में जो आपको अधिकार प्रदान किये गये हैं उनके द्वारा आपके लिये यह संभव होगा कि आप सुचारु रूप से वितरण कर सकें और मूल्य भी निर्धारित कर सकें । निःसंदेह जहां आवश्यक होगा आप उन अधिकारों का प्रयोग करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे फिर भी यह सुझाव दिया जाता है कि आप निम्नलिखित रूप से कार्यवाही करें, यदि आप पहले से ही ऐसा नहीं कर रहे हैं—

(१) जो स्टाक एजेन्टों और डीलरों के पास हैं उनकी सूचना प्राप्त कर लें और उस माल के बारे में भी सूचना प्राप्त करें जो समय समय पर उनको प्राप्त होता है ।

(२) परिवारों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिये उपयुक्त प्रतिबन्ध लगा दिये जायं और तेल राशन कार्डों द्वारा दिया जाय ।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में तेल संस्थाओं की एजेन्सीयों और सहकारी समितियों द्वारा पूरे स्टाफ को दृष्टि में रखते हुये पहुंचाया जाय ।

(४) उत्तर प्रदेश किरोसीन कन्ट्रोल आर्डर, १९६२ के अन्तर्गत थोक और फुटकर बिक्री के दाम निर्धारित कर दिये जायं ।

(५) उत्तर प्रदेश किरोसीन कन्ट्रोल आर्डर १९६२ के प्राविधान १४ में दिये हुये अधिकारों का प्रयोग करते हुये डीलरों के स्टाक को आप समय समय पर चेक करते रहें ।

(६) आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिये उपयुक्त स्टाक सुरक्षित रखें ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

भवदीय,
ना० राजागोपाल,
उप सचिव ।

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

सं० ८८२९/२९-ख-१-(केरो) १/४०-६५

प्रेषक]

न० राजगोपाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

समस्त जिलाधीश,
(जिला पूर्ति अधिकारी,)

लखनऊ दिनांक २१ सितम्बर, १९६५।

खाद्य तथा रसद (ख-१) विभाग

महोदय,

मिट्टी तेल वितरण व्यवस्था से संबंधित अर्द्धशासकीय परिपत्र सं ७८१२/२९-ख-१ केरो १-३०-६५ दिनांक १५ अक्तूबर, १९६५ के तारतम्य में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि मिट्टी के तेल का वितरण सुचारु रूप से नहीं हो रहा है तथा ग्रामीण जनता को तेल मिलने में कठिनाई का सामाना करना पड़ रहा है। अतः अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में मिट्टी के तेल का वितरण निम्न प्रणाली से किया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहर में जहां बिजली नहीं है उनको तेल सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके।

१—शहरों में जिनके घरों अथवा दूकानों में बिजली है उनको आधा लीटर तक प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड तथा जिनके यहां बिजली नहीं है उनको २ लीटर तक प्रतिमाह तेल दिया जायगा।

२—ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार को ग्राम प्रधान की पर्ची पर प्रति माह २ लीटर तक तेल दिया जाय।

३—तेल की मात्रा राशन कार्डों पर अंकित सदस्यों की संख्या अथवा परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्धारित न की जाये।

४—ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की अपेक्षा अधिक तेल भेजा जाये और आवश्यकतानुसार दूकानों की संख्या बढ़ा दी जाये।

५—जो विद्यार्थी होस्टल में रहते हैं उनकी सुविधा के लिये मासिक कार्ड बना दिये जायें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो लीटर और शहरी क्षेत्रमें जहां बिजली है, आधा लीटर और जहां बिजली नहीं है वहां दो लीटर तक तेल दिया जाये।

६—ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गैस की लालटेन का प्रयोग करते हैं उनको माह में दो लीटर तक और तेल दिया जा सकता है।

७—इसकी पुष्टि के लिये कि तेल वास्तव में देहातों में पहुंचता है या नहीं गांव के दूकानदार को एक अतिरिक्त रजिस्टर संलग्न प्रपत्र पर रखना चाहिये जिसमें तेल की जो मात्रा उसे प्राप्त हुई लिखी जाये और होल सेलर से हस्ताक्षर हों। इसी प्रकार गांव में तेल पहुंचाने पर गांव प्रधान/सरपंच के हस्ताक्षर होने चाहिये।

८—इन अनुदेशों के अतिरिक्त उक्त अ०शा० परिपत्र में दिये गये अनुदेशों का यथावत् पालन किया जाये।

९—कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना भेजें।

आपका विश्वास पात्र,
ना० राजगोपाल,
उप सचिव।

कार्ड या परमिट सं० व	तारीख जिसके द्वारा रिटेलर को मिट्टी तेल दिया जाय।	उठाई गई वर मात्रा	एजेंट के हस्ताक्षर (तिथि सहित) कि उसने स्तम्भ दो में दी गई मात्रा दी	तिथि जिस दिन मिट्टी तेल दूकान पर पहुंचा	ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर (तिथि सहित) कि मिट्टी तेल दुकान पर पहुंच गया	लाई गई मात्रा के समाप्त होने की तिथि	ग्राम प्रधान या सरपंच के हस्ताक्षर (तिथि सहित) कि मिट्टी तेल समाप्त हो गया और वितरण सुचारु रूप से हुआ है
१	२	३	४	५	६	७	

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

सूची—क

क्रम-संख्या	जिला का नाम
१	गोरखपुर
२	बस्ती
३	देवरिया
४	आगरा
५	अलीगढ़
६	एटा
७	झांसी
८	वाराणसी
९	मिर्जापुर
१०	उत्तर काशी
११	अल्मोड़ा
१२	नैनीताल
१३	बदायूं
१४	बिजनौर
१५	रामपुर
१६	मुरादाबाद
१७	शाहजहांपुर
१८	इटावा
१९	कानपुर
२०	फैजाबाद
२१	बाराबंकी
२२	गोंडा
२३	प्रतापगढ़
२४	बहराइच
२५	सुल्तानपुर
२६	देहरादून
२७	सहारनपुर
२८	मुजफ्फरनगर
२९	मेरठ
३०	बुलन्दशहर
३१	लखीमपुर
३२	सीतापुर
३३	हरदोई
३४	राय बरेली
३५	उन्नाव
३६	[illegible] ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

जमींदारी विनाश के बाद उन्नाव जिले में जो भूमि बन विभाग को हस्तान्तरित हुई उसका तहसील-वार विवरण निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	तहसील का नाम	क्षेत्रफल जो वन विभाग को प्राप्त हुआ
१	२	३
		(एकड़)
१—उन्नाव ..	.. .. ..	८,४९२.०१
२—हसनगंज ..	.. .. ..	१५,१८९.५५
३—शफीपुर ..	.. .. ..	५,०८२.००
४—पुरवा ..	.. .. ..	१,५३८.९९
	कुल ..	३१,०७२.५५

वास्तव में कितनी भूमि वन विभाग को प्राप्त होगी यह वन बन्दोबस्त कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही जाना जा सकता है।

उपर्युक्त क्षेत्रों में से उन्नाव जिले की विभिन्न तहसीलों में निम्नलिखित भूमि पर जंगल लगाया जा चुका है :—

क्रम सं०	तहसील का नाम	क्षेत्रफल जिस पर जंगल लगाया जा चुका है
१	२	३
		(एकड़)
१—उन्नाव ..	.. .. ..	१८७.००
२—हसनगंज ..	.. .. ..	३३८.५०
३—शफीपुर ..	.. .. ..	५७.००
४—पुरवा ..	.. .. ..	१९०.००
	कुल ..	७७२.५०

शेष भूमि में जंगल लगाने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में इन क्षेत्रों में या तो घास और चारे वाले वृक्ष (फाडर ट्रीज) अथवा ईंधन वाले वृक्ष (फ्यूअल ट्रीज) लगाने का प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव भूमि की उपयुक्तता तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

तालिका जिला बुलन्दशहर के सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९६५ में आटे की बोरी दी जाने की

दूकानदार का नाम	दी गई आटे की बोरियों की संख्या		
	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बुलन्दशहर			
१—अल्ला महर ..	१०१	९०	१००
२—बिशन सिंह	७०	६०	९५
३—सिविल लाइन उपभोक्ता सहकारी समिति	९०	१२३	२०५
४—सिविल लाइन उपभोक्ता सहकारी समिति (द्वितीय)	४५	४०	८०
५—उपभोक्ता सहकारी भंडार ..	१६०	१००	१३०
६—कलेक्ट्रेट सहकारी समिति ..	१००	५०	१३०
७—नेशनल उपभोक्ता सहकारी समिति ..	७०	५८	२०
८—द्वारिका प्रसाद ..	४०	७०	१२५
९—बैन्ती प्रसाद	८५	६५	१०५
१०—राम नरायन गुप्ता	३५	५८	९५
११—प्रेम कुमार एन्ड को० ..	४८	८८	१३५
१२—सुन्दर लाल एन्ड को० ..	४२	७०	१३२
१३—सत्य नरायन	३७	६६	१००
१४—सोल्जर्स सहकारी समिति ..	९५	९२	१६०
१५—सब एरिया बी० उपभोक्ता सहकारी समिति	४५	६०	११५
१६—जिला सहकारी विकास ..	३७	६५	९५
खुर्जा			
१७—खुर्जा उपभोक्ता सहकारी भंडार ..	१२०	६०	१२०
१८—विनोद कुमार	१२५	७५	११०
१९—नत्थे लाल	१०५	५०	१३०
२०—हरी शंकर शर्मा	१४३	८३	१४०
२१—रामजीलाल महेश्वरी ..	१४२	२५	१३५
२२—छेदा लाल वर्मा	१६०	१५	१३५
२३—अब्दुल अजीज	१३५	९०	१३०
२४—चिम्मन लाल हर प्रसाद ..	१६६	९१	१५५
२५—हरगुलाल ओम प्रकाश	१४५	११०	१४५
२६—किशन लाल वर्मा	११५	४५	१२०
२७—श्याम लाल सैनी	८५	५५	१२५
२८—रामा शंकर सिकन्दराबाद ..	..	..	१००
२९—नेम चन्द जैन सिकन्दराबाद ..	..	..	१००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२० एल० ए०—१९६६—८६२।